सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

मिशन अंत्योदय

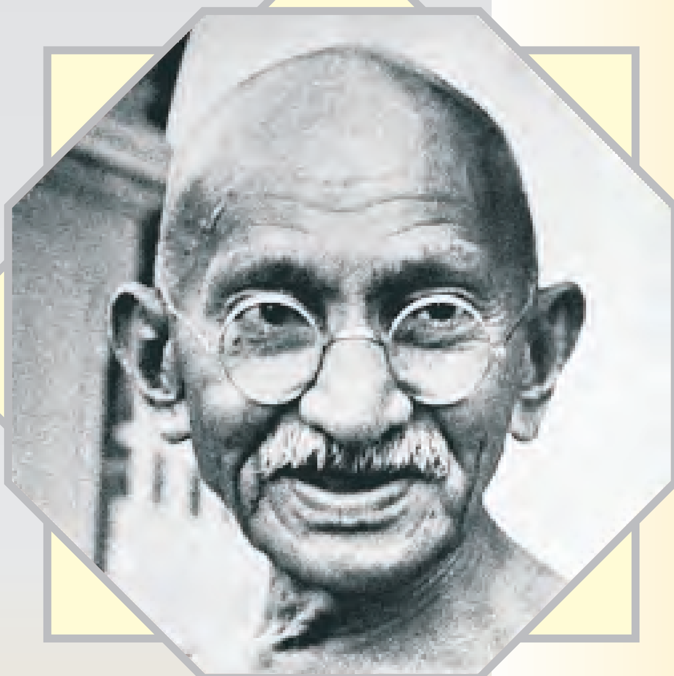

कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

अक्टूबर, 2017

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय
भारत सरकार

मिशन अंत्योदय

राज्यों की अगुवाई में ग्रामीण बदलाव की साझेदारी
मापन–योग्य परिणामों के माध्यम से जन–जीवन और आजीविकाओं में बदलाव

कार्यान्वयन फ्रेमवर्क

अक्टूबर, 2017

‘मिशन अंत्योदय’

राज्यों की अगुवाई में ग्रामीण बदलाव की साझेदारी

09 अगस्त, 2017 को माननीय प्रधान मंत्री ने वर्ष 2022 में भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने तक गरीबी के उन्मूलन की चुनौती प्रस्तुत की थी। स्थानीय और राज्य सरकारों की साझेदारी में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निर्धारित समयावधि में मापन योग्य परिणामों की प्राप्ति पर जोर देते हुए गरीबी उन्मूलन के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव को समझने की अपनी यात्रा शुरू की।

‘मिशन अंत्योदय’ का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क परिवर्तन और बदलाव की इसी साझेदारी का परिणाम है। इस फ्रेमवर्क को तैयार करने के लिए ग्रामीणों, महिला स्व–सहायता समूहों की सदस्यों, पंचायत के नेताओं, शिक्षाविदों, प्रशासकों, सामाजिक संगठनों, बदलाव के लिए प्रयासरत आदर्शवादी युवाओं, युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों एवं प्रारंभिक उद्यमों तथा अन्य कई व्यवसायियों से परामर्श किया गया है। आजीविकाओं को विविधता प्रदान करने और विभिन्न आजीविकाओं के विकास के माध्यम से परिवारों को गरीबी से उबारने के लिए यह राज्य की अगुवाई में तीव्र ग्रामीण बदलाव का फ्रेमवर्क है।

बदलाव की निगरानी करने और वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर रैंकिंग के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई है। ग्राम पंचायतों के आकार में व्यापक अंतर को देखते हुए राज्यों ने इस ‘मिशन अंत्योदय’ फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए लगभग 50,000 ग्राम पंचायतों के 5,000 क्लस्टरों का उद्देश्यपूर्वक चयन किया है। इन ग्राम पंचायतों ने गरीबी उन्मूलन के लिए सामाजिक पूंजी तथा तीव्र ग्रामीण बदलाव के कार्यान्वयन की क्षमता का उच्च स्तर दर्शाया है। इस फ्रेमवर्क के लिए अंतिम परामर्श का आयोजन नानाजी देशमुख की जन्म शताब्दी के अवसर पर 10 अक्तूबर, 2017 को किया गया था। स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों की सभी ग्रामीण विकास टीमों ने शीघ्रगामी बदलाव के इस फ्रेमवर्क की तैयारी के लिए आपस में सहयोग किया है। इस फ्रेमवर्क की सफलता का मापन विशिष्ट परिणामों की प्राप्ति के माध्यम से किया जाएगा। यह समयबद्ध तरीके से गरीबी के विविध आयामों को वित्तीय एवं मानव संसाधनों के तालमेल द्वारा दूर करने का प्रयास है। इस शीघ्रगामी बदलाव में प्रोफेशनल्स, संस्थाएं और उद्यम की भूमिका महत्वपूर्ण होगी, जिन्हें इस फ्रेमवर्क द्वारा पूर्ण बदलाव का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

संक्षिप्तियों की सूची

आई.टी.	सूचना प्रौद्योगिकी
आई.आई.एम.	भारतीय प्रबंधन संस्थान
आई.आई.टी.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान
आई.आर.एम.ए.	भारतीय ग्रामीण प्रबंधन अकादमी, आंणद
आई.डब्ल्यू.एम.पी.	समेकित वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
आई.सी.ए.पी.	समेकित क्लस्टर कार्य योजना
आई.सी.टी.	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
आर.एफ.	परिक्रामी निधि
आर.एस.ई.टी.आई.	ग्रामीण स्व–रोजगार प्रशिक्षण संस्थान
ई.ओ.आई.	रूचि की अभिव्यक्ति
ए.एन.एम.	सहायक नर्स मिडवाइफरी
ए.एस.एच.ए. (आशा)	मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
ए.पी.आई.	ऐप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस
एच.एच.	परिवार
एन.आई.आर.डी. एंड पीआर	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान
एन.आई.टी.	राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान
एन.आई.टी.आई.	राष्ट्रीय भारत बदलाव संस्थान
एन.एच.एम.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एन.एस.ए.पी.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
एन.जी.ओ.	गैर सरकारी संगठन
एफ.एफ.सी.	14वां वित्त आयोग
एम.आई.एस.	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एम.एस.एम.ई.	सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम
एम.ओ.आर.डी.	ग्रामीण विकास मंत्रालय
एम.टी.ई.एफ.	मध्य कालिक व्यय फ्रेमवर्क
एम.पी.	संसद सदस्य
एम.पी.आर.	मासिक प्रगति रिपोर्ट
एम.जी.एन.आर.ई.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
जी.ए.	रोजगार गारंटी अधिनियम
एल.जी.डी.	स्थानीय शासन डायरेक्टरी
एल.पी.जी.	द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस
एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर.	राज्य ग्रामीण विकास और पंचायत राज संस्थान
एस.ई.सी.सी.	सामाजिक आर्थिक और जाति आधारित जनगणना
एस.ए.जी.वाई.	सांसद आदर्श ग्राम योजना
एस.एच.जी.	स्वयं सहायता समूह
एस.एल.डब्ल्यू.एम.	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
एस.टी.	अनुसूचित जनजातियां (अ.ज.जा.)
एस.डी.जी.	सतत् विकास लक्ष्य
एस.पी.एम.आर.एम.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन
एस.बी.एम.	स्वच्छ भारत मिशन
एस.सी.	अनुसूचित जातियां (अ.जा.)
ओ.डी.एफ.	खुले में शौच से मुक्त
के.वी.आई.सी.	खाद्य एवं ग्राम उद्योग आयोग
जी.पी.	ग्राम पंचायत
जी.पी.डी.पी.	ग्राम पंचायत विकास योजना
जी.आई.एस.	भौगोलिक सूचना प्रणाली
जी.एस.	ग्राम सभा
जी.डी.पी.	सकल घरेलू उत्पाद
डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.	दीन दयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
डी.डी.यू.जी.के.वाई.	दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना
पी.आर.आई.	पंचायती राज संस्थान
पी.ई.एस.ए.	अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों का विस्तार अधिनियम, 1996
पी.एच.सी.	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पी.एम.ए.वाई.–जी.	प्रधान मंत्री आवास योजना–ग्रामीण
पी.एम.जी.एस.वाई.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पी.एम.यू.	परियोजना प्रबंधन एकक
बी.आई.	व्यापारी सूचना
यू.टी.	संघ राज्य क्षेत्र
वी.ओ.	ग्राम संगठन
सी.आई.एफ.	सामुदायिक निवेश निधि
सी.आर.पी.	सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
सी.ई.ओ.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
सी.एल.एफ.	क्लस्टर स्तरीय संघ
सी.एस.आर.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
सी.एस.ओ.	सामाजिक संगठन
सी.जी.एफ.	आवश्यक पूरक वित्तपोषण

विषय सूची

कार्यकारी सारांश		5
'मिशन अंत्योदय': एक नजर में		7
1.	'मिशन अंत्योदय' संदर्भ ('Mission Antyodaya' Context)	14
2.	संसाधनों का अभिसरण (Convergence of Resources)	17
3.	कार्यविधि (Methodology)	23
4.	सहभागी मंत्रालय/विभाग (Participating Ministries/Departments)	29
5.	ग्राम पंचायत/क्लस्टर विकास के मापन के मानदंड (Parameters for Measuring GP/Cluster Development)	32
6.	अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणाली और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली (Robust MIS and Web-based Reporting System)	33
7.	समन्वयन व्यवस्था (Coordination Arrangements)	34
8.	मानव संसाधन सहायता (Human Resources Support)	36
9.	वित्तपोषण (Funding)	37
10.	सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलाप (Information Education and Communication (IEC) Activities)	38
11.	ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता (Incentives to Gram Panchayats)	39
12.	निगरानी एवं मूल्यांकन (Monitoring and Evaluation)	40
अनुबंध		41
अनुबंध 1:	एस.ई.सी.सी. 2011 में निर्धारित अभाव संकेतक (Identified Deprivation Indicators under SECC 2011)	42
अनुबंध–2:	'मिशन अंत्योदय' के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों का आवंटन (Allocation of GPs to States/UTs under 'Mission Antyodaya')	43
अनुबंध 3:	ग्राम पंचायत के निष्पादन और परिवार की खुशहाली की स्थिति का मापन (Measuring Gram Panchayat Performance and Wellbeing of Households)	44

अनुबंध 4: 'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए निष्पादन आधारित भुगतान समिति' की सिफारिशों का सार
(Summary of Recommendations by Performance Based Payments Committee for better outcomes in Rural Development Programmes) 48

अनुबंध 5: ग्राम पंचायत स्तर की विकास योजनाएं तैयार करने हेतु दिशा निर्देश
(Guidelines for preparation of Gram Panchayat level Development Plans) 56

अनुबंध 6: ग्रामीण प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास पर 10–11 अक्टूबर, 2017 को आयोजित बैठक में राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श की सिफारिशों का सार
(Summary of recommendations of National level consultation on Rural Technology and Rural Development held on 10-11 October, 2017) 71

आरेखों की सूची

आरेख 1: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत बहु–आयामी दृष्टिकोण
(Multidimensional approach under 'Mission Antyodaya') 15

आरेख 2: ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में मूल्य संवर्धन और वर्ष 2022 तक पारिवारिक आय को बढ़ाना
(Creating value in the Gram Panchayats/Clusters and raising household income) 18

आरेख 3: 'मिशन अंत्योदय' एम.आई.एस. को निरूपित करने वाला रेखाचित्र
(Representational diagram of 'Mission Antyodaya' MIS) 33

तालिकाओं की सूची

तालिका 1: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत निष्पादन संकेतक
(Performance indicators under 'Mission Antyodaya') 22

तालिका 2: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत सहभागी मंत्रालय/विभाग
(Participatin Ministries/Department under 'Mission Antyodaya') 29

बॉक्सों की सूची

बॉक्स 1: दिशा, विकास योजनाओं की प्रगति की तत्काल निगरानी का समेकित प्लेटफॉर्म
(DISHA, An integrated platform to monitor real time progress of development schemes) 17

बॉक्स 2: 'ग्राम संवाद' ऐप (Gram Samvaad App) 19

बॉक्स 3: योजनाओं में तालमेल के उदाहरण (Examples of convergence of schemes) 25

बॉक्स 4: एस.ए.जी.वाई., व्यापक विकास के लिए तालमेल
(SAGY, convergence for holistic development) 26

बॉक्स 5: गैर वित्तीय रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के जरिए जन कल्याणकारी संगठनों को तैनात करना
(Engaging public-spirited organisations through non-financial Expression of Interest (EoI) 27

कार्यकारी सारांश

वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) के अनुसार आश्रयहीनता, भूमिहीनता, अकेली महिला मुखिया वाले परिवारों, अ.जा./अ.ज.जा. परिवारों या विकलांग सदस्य वाले परिवारों जैसे बहुआयामी अभावों की दृष्टि से भारत में 8.85 करोड़ परिवार वंचित और गरीब पाए गए हैं। इन परिवारों को मजदूरी रोजगार सृजन, कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका सृजन जैसे क्षेत्रों में सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जाने वाले लक्षित प्रावधानों की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय सहित कई मंत्रालय/विभाग ग्रामीण गरीबों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से ग्रामीण मजदूरी, ग्रामीण सड़कें, कौशल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, पेय जल, बिजली, पर्यावरण, इत्यादि से संबंधित योजनाओं में लगभग चार लाख करोड़ रूपये का वार्षिक आवंटन पहले से ही कर रहे हैं।

इस संदर्भ में 'मिशन अंत्योदय' का उद्देश्य स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने के लिए मानव एवं वित्तीय संसाधनों का समन्वय कर 'सेचुरेशन' दृष्टिकोण अपनाते हुए, आयोजना के लिए ग्राम पंचायतों को आधारभूत इकाई मान कर, सरकारी कार्यकलापों के बीच तालमेल स्थापित करना है। यह 1,000 दिनों में 5,000 हजार ग्रामीण क्लस्टरों या 50,000 ग्राम पंचायतों में 1,00,00,000 परिवारों को प्रभावित करने के उद्देश्य से मापन–योग्य परिणामों के आधार पर वास्तविक ग्रामीण बदलाव लाने के लिए राज्यों की अगुवाई में चलाई जाने वाली पहल है।

'मिशन अंत्योदय' में ग्रामीण आजीविकाओं के बदलाव में और तेजी लाने के लिए व्यवसायियों, संस्थाओं और उद्यमों के नेटवर्क के साथ साझेदारियों को प्रोत्साहित किया गया है। अपनी सामाजिक पूंजी और सामाजिक एकजुटता की अपनी प्रमाणिक क्षमता के कारण स्वयं–सहायता समूहों (एस.एच.जी.) को तालमेल के इस प्रयास में सहायक माना गया है। इस पहल में वास्तविक अवसंरचना ही नहीं बल्कि 'मिशन अंत्योदय' क्लस्टरों में एस.एच.जी. के विस्तार को सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए कृषि, बागवानी, पशुपालन कार्यकलापों को बढ़ावा देकर सामाजिक अवसंरचना तैयार करने पर भी जोर दिया गया है। जमीनी स्तर पर वित्तिय ऑडिट व सामाजिक ऑडिट की क्षमता का भी विकास किया जायेगा। यह ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के स्तर पर कार्यकर्ता टीमों, क्लस्टर संसाधन व्यक्तियों (सी.आर.पी.) व्यवसायियों का तालमेल स्थापित कर किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर भी क्लस्टर सहायता दल उपलब्ध कराए जाएंगे।

अतः 'मिशन अंत्योदय' कार्यान्वयन फ्रेमवर्क तालमेल, जवाबदेही और मापन योग्य परिणामों पर आधारित है, ताकि एस.ई.सी.सी. 2011 के अनुसार प्रत्येक अभाव ग्रस्त परिवार के लिए स्थायी आजीविकाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके।

इस फ्रेमवर्क में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि लाभ ऐसे व्यक्तियों तक पहुंचे जो एस.ई.सी.सी. के अनुसार सर्वाधिक पात्र हैं। सामान्य एल.जी.डी. कोड का प्रयोग करते हुए योजनाओं के डाटाबेसों से जुड़े सक्रिय एम.आई.एस. की सहायता से यह सुनिश्चित कर पाना संभव हो पाएगा कि बेसलाइन के हिसाब से प्रगति का मापन करने के लिए सूचकांकों के निर्धारित समूह के अनुसार लक्ष्यों का निर्धारण किया जाए। आशा है कि ऐसे सूचकांक की समय–समय पर निगरानी और सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने से परिवारों को विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। केन्द्र और राज्य सरकारों के 25 से अधिक विभाग और मंत्रालय अपने विशिष्ट कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से इस मिशन में भागीदारी करेंगे। विभिन्न योजनाओं के आकड़ों मे ए.पी.आई. भी साझा किए जाएंगे, जिन्हें पूर्ण पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक किया जाएगा।

क्षेत्रीय दौरों के अतिरिक्त पंचायत प्रतिनिधियों, स्वंय–सहायता समूहों, गैर सरकारी संगठनों, कार्पोरेट, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों, नीति आयोग, प्रारंभिक उद्योगों और युवा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ इस फ्रेमवर्क के विषय में व्यापक परामर्श किए गए। इन सभी प्रयासों की परिणति 10 अक्तूबर, 2017 को राष्ट्रीय स्तर के परामर्श के रूप में हुई, जिसमें 'मिशन अंत्योदय' के लिए विषय–विशिष्ट सुझाव दिए गए। इन परामर्शों, अनुभवों, क्षेत्रीय दौरों और अध्ययनों, जैसे कि आई.आर.एम.ए. के यह दर्शाने वाले अध्ययन के आधार पर कि तालमेल से गरीबी कम होती है और परिवारों की आमदनी बढ़ती है, इस फ्रेमवर्क में 'मिशन अंत्योदय' के कार्यान्वयन की कार्य योजना दर्शायी गई है।

राज्यों ने ओ.डी.एफ., डी.ए.वाई.–एन.आर.एम., मिशन जल संरक्षण, एस.ए.जी.वाई. / रर्बन क्लस्टर, पुरस्कार विजेता ग्राम पंचायत, अपराध / विवादमुक्त ग्राम पंचायत या विशिष्ट प्रयोजन वाली ग्राम पंचायत जैसी योजनाओं के अंतर्गत शामिल ग्राम पंचायतों / क्लस्टरों का चयन 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत किया है। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतें देश के सर्वाधिक पिछड़े जिलों में भी हैं।

आशा है कि 'मिशन अंत्योदय' के परिणामस्वरूप सभी स्टेकहोल्डरों (हितधारकों) के तालमेल और समन्वित कार्यों से इन भागीदार ग्राम पंचायतों की अंतर्निहित क्षमता साकार रूप लेगी और इन ग्राम पंचायतों में विकास का सुचक्र आरंभ होगा।

मिशन अंत्योदय

एक नज़र में

1

मिशन अंत्योदय

ग्रामीण स्वरूप को परिवर्तित करने के लिए राज्य की अगुवाई वाली पहल

1,000 दिनों में 5,000 ग्रामीण क्लस्टरों (50,000 ग्राम पंचायतों) में एक करोड़ परिवारों की जीवन दशा में सही मायने में सुधार लाना

2

'मिशन अंत्योदय' क्या है?

'मिशन अंत्योदय' मापन योग्य परिणामों के संबंध में जनजीवन और आजीविकाओं के बदलाव के लिए जवाबदेही और तालमेल फ्रेमवर्क है।

तालमेल और सेचुरेशन
- इकाई के रूप में परिवार / ग्राम पंचायत के साथ कार्यक्रमों / योजनाओं का तालमेल
- इसी के साथ गरीबी के विभिन्न आयामों को दूर करने वाले उपाय
- सेचुरेशन दृष्टिकोण–क्षेत्र और आवश्यकता के अनुसार
- अनेक विभागों का आपस में सहयोग करके अवसंरचना और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना।

आमदनी बढ़ाने पर जोर
- स्थायी आजीविका कार्यकलाप और विविध आजीविकाओं के माध्यम से वंचित परिवारों की आमदनी बढ़ाने पर जोर
- महिलाओं और युवाओं को संगठित करना–सामाजिक पूंजी
- लघु उद्यमों को बाजारों से जोड़ना – स्केलअप

संस्थाओं को बढ़ावा
- सामुदायिक, पंचायती राज संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, कार्पोरेट के लिए प्लेटफॉर्म
- प्रमुख बदलाव के प्रेरकों के रूप में व्यवसायी, संस्थाएं और उद्यम

समेकित निगरानी डेशबोर्ड
- परिभाषित सूचकांक के संबंध में बेसलाइन के आधार पर परिणामों का मापन करना
- हितधारकों को समेकित जानकारी प्रदान करने के लिए ए.पी.आई. के माध्यम से आंकड़े साझा किया जाना।

3

मिशन अंत्योदय क्यों?

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामाजिक क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा प्रति वर्ष लगभग 4 करोड़ रू. की राशि खर्च की जाती है। खुद ग्रामीण विकास विभाग का बजट व्यय 1,05,448 करोड़ रू. (2017–18) होने का अनुमान लगाया जाता है। क्षेत्रों के बीच तालमेलयुक्त दृष्टिकोण अपनाने से परिणाम बेहतर होंगे।

- तालमेल से गरीबी में कमी आती है, आय में बढ़ोतरी होती है*
- महिला एसएचजी–बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार लाने में सहायता करते हैं
- सैचुरेशन मोड पर आधारित हिवरे बाजारों के जैसे 'आइलैंड्स ऑफ एक्सिलेंस'
- बैंक ऋण के उपयोग से उद्यम मॉडल को बढ़ावा मिलता है।
- आजीविकाओं में तेजी से विविधता आती है –स्किलिंग लैडर

*आई.आर.एम.ए. के अध्ययन के अनुसार

- लक्षित कवरेज – उज्ज्वला, एस.बी.एम., पी. एम.ए.वाई., कौशल, बिजली, सड़क,
- वास्तविक एवं सामाजिक अवसंरचना की मदद से आर्थिक उद्यमों को चलाना
- 5,000 सफल ग्रामीण क्लस्टरों से 2022 तक अन्य क्लस्टरों को गरीबी मुक्त बनाने के लिए इसी प्रकार के कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी
- परिवर्तन के लिए क्षेत्र–विशिष्ट, आवश्यकता आधारित आजीविका

4

एस.ई.सी.सी. 2011–परिवार स्तर पर सर्वाधिक वंचित वर्गों के लिए संकेंद्रित प्रयास किए जाने की जरूरत है......

विवरण	वंचित परिवार
केवल कच्ची दीवारों एवं कच्ची छत वाला शून्य या एक कमरा (डी 1)	2,37,31,674
16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न होना (डी 2)	65,15,205
महिला मुखियाओं वाले ऐसे परिवार, जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई वयस्क सदस्य न हो (डी 3)	68,96,014
दिव्यांग सदस्य और कोई सक्षम वयस्क सदस्य न होना (डी 4)	7,16,045
अनुसूचित/जातियों/अनुसूचित जनजातियों के परिवार (डी 5)	3,85,82,225
25 वर्ष से अधिक आयु के किसी भी सदस्य का साक्षर न होना (डी 6)	4,21,47,568
भूमिहीन और दिहाड़ी मजदूर के रूप में कार्य कर रहे परिवार (डी 7)	5,37,01,383

पहल की जरूरत है

- पी.एम.ए.वाई. ग्रामीण
- डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.
- मनरेगा योजना
- डी.डी.यू.–जी.के.वाई./आर.एस.ई.टी.आई.
- एन.एस.ए.पी.
- आजीविका
- शिक्षा/कौशल
- पशु संसाधन
- गैर–कृषि विकल्प
- बाजार/मूल्य
- सामाजिक पूंजी
- बैंक लिंकेज
- उद्यम
- पेशेवर
- बागवानी
- जैविकर खेती
- स्वास्थ्य
- पोषण
- एस.बी.एम.

परिणामों का आकलन करते हुए जीवन दशा और आजीविका में बदलाव लाना

...ऐसे परिवारों की आय को दुगुना करने के लिए योजनाओं में तालमेल को...
5
स्किलिंग लैडर
उत्पादकता, बाजार, मूल्य
आजीविकाओं में विविधता
कृषि में प्रौद्योगिकी
लाभ से वंचित परिवारों की आय को बढ़ाना
ग्राम पंचायतों की क्षमता बढ़ाना
अवसंरचना विकास
सेवा विनिर्माण मूल्य श्रृंखला विकास
एस.एच.जी. सामाजिक पूंजी को उपयोग में लाना

क्लस्टर एप्रोच के जरिए शामिल करना चाहिये
6
बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों के लिए सामाजिक सुरक्षा
संपर्कता, सड़कें, इंटरनेट, एल.पी.जी., आधार, सूचना तकनीक/डी.बी.टी., परिवहन
ऊर्जा, आवास, ओ.डी.एफ., अपशिष्ट प्रबंधन
खेलकूद युवा क्लब कल्चर
स्वास्थ्य और पोषण
मिशन अंत्योदय क्लस्टर
गैर–कृषि आजीविकाएं, विविध आजीविकाएं
जल संरक्षण
कमजोर वर्गों का कल्याण
बैंक/ऋण/वित्तीय समावेशन
महिला स्व–सहायता समूह आर्थिक कार्यकलाप
शिक्षा, कौशल विकास

7

ग्राम पंचायतों के कार्य–निष्पादन का मापन (जनगणना 2011) परिवारों का कल्याण (एस.ई.सी.सी. 2011)

अवसंरचना तथा सेवाओं की उपलब्धता	सामाजिक विकास और सुरक्षा	आर्थिक विकास और आजीविकाओं में विविधता
बारहमासी सड़क	पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का %	अलग–अलग प्रकार की आजीविकाओं के लिए बैंक से ऋण पाने वाले परिवारों का %
बैंक/बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी	0–3 वर्ष की आयु के कम वजन वाले, अविकसित तथा सुस्त बच्चों का %	दुग्ध और पशु संसाधन से अपनी कमाई प्राप्त करने वाले परिवारों का %
सुरक्षित मकान वाले परिवारों का %	मातृत्व लाभ/स्वास्थ्य सुरक्षा, मूलभूत औषधियों तथा प्राथमिक देखरेख की सुविधा पाने वाले वंचित परिवारों का %	मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार में नियोजित/रोजगार पाने वाले परिवारों का %
प्रतिदिन 12 घंटे बिजली पाने वाले परिवारों का %	खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ जल पाने वाले परिवारों का %	बचत खाते में 10,000 रू. से अधिक की राशि रखने वाले परिवारों का %
एल.पी.जी. पर खाना पकाने वाले परिवारों का %	माध्यमिक शिक्षा/कौशल प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम पूरी करने वाली बालिकाओं का %	कौशल, बाजार और बैंक लिंकेज के साथ गैर–कृषि रोजगार से जुड़े परिवारों का %
दो फसलें उगाने वाली/सुरक्षात्मक सिंचाई वाली कृषि भूमि का %	सामाजिक सुरक्षा के तहत जरूरतमंद वृद्धों, विधवाओं, दिव्यांगों का %	किसान उत्पादक संगठनों/प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में शामिल परिवारों का %
ओ.डी.एफ. गांव सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली वाले गांव	कौशल/उच्चतर शिक्षा के तहत शामिल किए गए 18–24 वर्ष की आयु के बच्चों का %	वैतनिक रोजगार/स्वरोजगार में महिलाओं का %

8

सहभागी मंत्रालय एवं निगरानी

- विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से 25 से अधिक मंत्रालय/विभाग
- मिशन के तहत ग्राम पंचायतों/क्लस्टर के लिए वरीयता के आधार पर संसाधन
- प्रगति पर नजर रखने के लिए साझा लोकल गर्वन्मेंट डायरेक्टरी (एल.जी.डी.) कोड का अनुपालन
- मिशन अंत्योदय डैशबोर्डः निगरानी को आसान बनाने के लिए ए.पी.आई. को साझा करना
- मिशन की ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में प्रति वर्ष क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के साथ–साथ बेसलाइन के रूप में एस.ई.सी.सी. और जनगणना 2011
- निर्वाचित प्रतिनिधियों/जनता को पब्लिक डोमेन में उपलब्ध वेब आधारित प्लेटफार्म के माध्यम से प्रगति की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना
- बेहतर दक्षता, प्रभावशीलता, परिणाम

मापनीय परिणाम, जीवन एवं आजीविकाओं में बदलाव

9

अत्यंत पिछड़े जिलों पर ध्यान केंद्रित करना

- पिछड़े जिलों में अनेक ग्राम पंचायतें/क्लस्टर
- पिछड़े जिलों में युवा पेशेवर
- ब्लॉक स्तर पर क्लस्टर फेसिलिटेशन टीम
- पिछड़े जिलों में एस.एच.जी. के विस्तार को वरीयता
- वास्तविक एवं सामाजिक अवसंरचना पर जोर
- कृषि, बागवानी, पशुपालन को सुदृढ़ करना
- विशेष जिम्मेदारियों वाली तकनीकी संस्थाएं

10

संभाव्यता के अनुसार विकास के लिए चुनी गई ग्राम पंचायतें/क्लस्टर

संभाव्यता और आश्वासन के आधार पर
राज्यों द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायतें/क्लस्टर

- खुले में शौच की प्रथा से मुक्त ग्राम पंचायत
- डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम., एस.एच.जी. ग्राम पंचायत
- मिशन जल संरक्षण वाली ग्राम पंचायतें
- सांसद आदर्श ग्राम योजना वाली ग्राम पंचायतें
- रूर्बन क्लस्टर वाली ग्राम पंचायतें
- अपराधमुक्त/विवादमुक्त ग्राम पंचायतें
- विशेष कवरेज के लिए किसी राज्य द्वारा चुनी गई अन्य ग्राम पंचायत।
- अवार्ड जीतने वाली ग्राम पंचायतों के प्रधान।

...और इन ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों को
निम्न के रूप में विकसित किया जा सकता है

- कृषि क्लस्टर
- पशुपालन क्लस्टर
- शिक्षा/स्वास्थ्य क्लस्टर
- मात्स्यिकी क्लस्टर
- बागवानी क्लस्टर
- जैविक कृषि क्लस्टर
- सेवा क्लस्टर
- पर्यटन क्लस्टर
- विनिर्माण हब
- वेयरहाउसिंग हब

11 आजीविका विकास का वित्तपोषण और ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर इन आजीविकाओं में विविधता

- केंद्र और राज्यों के बजटीय संसाधन
- सभी संबंधित विभागों के संसाधन
- एस.एच.जी. व अन्य कार्यक्रमों के लिए बैंक लिंकेज
- वित्त आयोग अनुदान
- राज्य विशिष्ट विशेष वित्तपोषण व्यवस्थाएं
- अतिरिक्त बजटीय संसाधन
- कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी
- पारिवारिक बचत
- स्टार्ट–अप और निजी क्षेत्र के उद्यम

12 सहायक संस्थाएं एवं पेशेवर

- कृषि विज्ञान केंद्र/आई.सी.ए.आर./राष्ट्रीय डेयरी विकास संस्थान/पशु चिकित्सालय संस्थाएं
- आई.आई.टी./केंद्र/राज्य विश्वविद्यालय/आई.आई.एम./एन.आई.टी./निजी तकनीकी विश्वविद्यालय।
- पर्यटन, टैक्सटाइल, विनिर्माण/एम.एस.एम.ई. की सहायक संस्थाएं
- के.वी.आई.सी./सिल्क/क्वायर/समुद्री विकास/मात्स्यिकी/डेयरी/मुर्गी बोर्ड
- सी.एस.ओ./एन.जी.ओ./फाउण्डेशन/सी.एस.आर.
- स्टार्ट–अप/युवा सी.ई.ओ./उद्यमी

वृहत स्तर पर आर्थिक कार्यकलापों का सृजन करना

भौतिक/सामाजिक अवसंरचनाओं से क्लस्टरों के स्वरूप को परिवर्तित करने वाले पेशेवर, संस्थाएं, उद्यम

13

क्लस्टरों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण

- परिणामों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन – संरचना में सुधार
- ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर सक्रिय कामगारों में तालमेल
- सामुदायिक कैडर के रूप में सामुदायिक संसाधन व्यक्ति
- साझेदार/क्लस्टर फैसिलिटेशन दल/युवा पेशेवर
- प्रबंधन का व्यावसायीकरण – तकनीकी, वित्तीय, आई.टी. आधारित
- आई.टी. संबंधी चुनौतियों – संपर्क, पारदर्शिता का समाधान करना
- आंतरिक एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए क्षमता निर्माण
- पेशेवरों के परिणामों का आकलन करना

14

समन्वय व्यवस्थाएं

- ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित विभागों के साथ संचालन एवं समन्वयन
- राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री का नेतृत्व
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति
- जिला स्तर पर दिशा समिति
- ब्लॉक–स्तरीय पंचायत समिति
- ग्राम पंचायत–स्तरीय स्थायी समितियां
- ग्राम पंचायत की रैंकिंग/परिवारों के कल्याण की निगरानी
- वर्ष 2017–20 में 20% ग्राम पंचायतें, वर्ष 2018–21 में 30%, 2019–22 में शेष ग्राम पंचायतें

1. 'मिशन अंत्योदय' संदर्भ
('MISSION ANTYODAYA' CONTEXT)

1.1 सामाजिक क्षेत्र पर व्यय कुल सरकारी व्यय का एक मुख्य भाग है। यदि ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, स्कूली शिक्षा और साक्षरता, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, महिला एवं बाल विकास, 14वें वित्त आयोग के अनुदानों जैसे विभिन्न विषय–विशिष्ट क्षेत्रों और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए राज्यों के अंश के अंतर्गत फिलहाल आवंटित वित्तीय संसाधनों को एक साथ जोड़ लिया जाए तो हर वर्ष चार लाख करोड़ रूपए से अधिक धनराशि इस क्षेत्र पर व्यय की जा रही है। केवल ग्रामीण विकास पर ही बजट व्यय वर्ष 2013–14 में 58,630 करोड़ रूपए से वर्ष 2016–17 में 95,099 करोड़ रूपए हो गया है, जो 62 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2017–18 के लिए अनुमानित व्यय 1,05,448 करोड़ रूपए है।

1.2 हालांकि अधिकांश सार्वजनिक निवेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों की आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबी के बहु–आयामी स्वरूप के कारण विभिन्न क्षेत्रों के कार्यकलापों के माध्यम से इन प्रयासों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिए जाने की आवश्यकता है। अब यह माना जा रहा है कि गरीबी किसी परिवार विशेष की आमदनी और खर्च के बीच विषमता से कहीं अधिक जटिल संकल्पना है।

1.3 अतः गरीबी के इस बहु–आयामी स्वरूप पर कार्रवाई करने के लिए बढ़े हुए वित्तीय आवंटन के साथ तालमेल, जवाबदेही और मापन योग्य परिणामों पर आधारित आदर्श फ्रेमवर्क तैयार करने की आवश्यकता है, जिससे 'प्रत्येक वंचित परिवार को स्थायी आजीविकाएं' उपलब्ध कराने के लिए संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो पाए। इसका अर्थ यह है कि 'एक ओर जहां वार्षिक वृद्धि सहित मौजूदा संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाये[1]; वहीं दूसरी ओर विभिन्न केंद्रीय और राज्य विभागों द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले स्वीकृत सूचकांक के आधार पर प्रगति की निगरानी' भी की जाये। इस प्रकार जिम्मेदारी और तालमेल सुनिश्चित करने के अतिरिक्त एक 'समग्र संसूचक' ग्राम पंचायत और परिवार स्तरों पर मापन योग्य परिणामों के संदर्भ में प्रगति भी दिखा सकेगा।

1.4 ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) ग्रामीण वर्ष 2011 में कराई थी। एस.ई.सी.सी. के आंकड़ों से हम बहु–आयामी अभावों (जैसे कि भूमिहीनता, महिला मुखिया के परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति परिवारों इत्यादि) के परिप्रेक्ष्य में किसी परिवार की सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों को समझ पाए हैं। अतः बहु–आयामी अभावों का अर्थ यह होगा कि केवल परिसंपत्तियों, गुणवत्तापूर्ण आवास, स्वच्छता सुविधाओं एवं स्वच्छ जल के अभाव के कारण ही नहीं बल्कि सामाजिक विषमता, शिक्षा की कमी, स्थायी आजीविकाओं के अभाव, अपर्याप्त आमदनी, अपर्याप्त कौशलों या/और स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं इत्यादि के अभाव के कारण भी कोई परिवार वंचित हो सकता है। यह अभावग्रस्तता कुछ कारणों जैसे महिला मुखिया के परिवार में आय अर्जक सदस्य न होने से और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे विशिष्ट चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। *(अनुबंध–1)*

1.5 73वें संविधान संशोधन के बाद त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली जमीनी स्तर पर विकास के प्रयासों को अधिकाधिक बढ़ावा दे रही है। तथापि, नियोजन, प्रशासन और अभाव पर संसाधनों के आवंटन के विभिन्न स्तर होने के कारण अभाव उन्मूलन के प्रयासों को समग्र रूप नहीं मिल पाता है जिससे वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसीलिए इन सभी अभावों को एक साथ दूर करने के लक्ष्य से विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं के वित्तीय एवं मानव संसाधनों के बीच सेचुरेशन मोड में तालमेल स्थापित करके गरीबी के इस बहु–आयामी स्वरूप को समाप्त करने के लिए ग्राम पंचायत

[1] 01 फरवरी, 2017 को वित्त मंत्री के बजट भाषण (2017–18) के उद्धरण, पैरा सं. 33 पृष्ठ 10

को आधारभूत इकाई मानते हुए तालमेलपूर्ण आयोजना को मुख्य साधन के रूप में अपनाया गया है *(आरेख 1)*। यह राज्य सरकारों की अगुवाई में ग्रामीण बदलाव की साझेदारी होनी चाहिए।

आरेख 1: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत बहु–आयामी दृष्टिकोण

1.6 अधिकांश सरकारी कार्यक्रमों में अंतिम लाभार्थी तक सार्वजनिक सेवाएं पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकाधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी से, जवाबदेही बढ़ने के साथ–साथ, यह भी सुनिश्चित होता है कि लाभ सर्वाधिक पात्र व्यक्तियों तक पहुंचे। ग्राम पंचायत को आयोजना की आधारभूत इकाई मानते हुए और एस.ई.सी.सी. के परिवार संबंधी आंकड़ों का प्रयोग करते हुए, विभागीय योजनाओं के डाटाबेसों से जुड़ी सुदृढ़ एम.आई.एस. की सहायता से, बेसलाइन के संदर्भ में प्रगति को मापने के लिए परिभाषित सूचकांक के आधार पर, निरंतर निगरानी सुनिश्चित करना संभव हो पाएगा। ऐसे सूचकांक की समय–समय पर निगरानी तथा अपेक्षित मध्यावधि सुधारों से परिवारों को विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जा सकता है।

1.7 सितंबर, 2015 में अंगीकृत किए गए सतत् विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) के संबंध में व्यापक वैश्विक प्रतिबद्धता का उद्देश्य विभिन्न देशों के बीच असमानता और अवसरों, संपदा और शक्ति की विषमता की समस्याओं को दूर करना है। 2030 की एस.डी.जी. कार्यसूची में परिणाम के रूप में निरंतर, समावेशी और स्थायी आर्थिक विकास का समर्थन किया गया है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय एस.डी.जी. के प्रथम लक्ष्य के संदर्भ में नोडल मंत्रालय है जो इस प्रकार है: 'सभी स्थानों पर गरीबी के सभी रूपों को समाप्त करना', ऐसे परिणाम की प्राप्ति के लिए, नियोजन योजनाऐं और प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित करने तथा कार्यान्वयन के दौरान सुधारात्मक उपायों के लिए प्रगति की निरंतर निगरानी करना आवश्यक है। यह मंत्रालय आजीविकाओं के अवसरों को विविधता प्रदान करके और बढ़ावा देकर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराकर, ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देकर बहुद्देश्यीय कार्यनीति के माध्यम से ग्रामीण भारत के सतत् और समावेशी विकास के प्रयास कर रहा है।

1.8 इसी संदर्भ में, निर्धारित सूचकांक के आधार पर संबंधित राज्य सरकारों की अगुवाई में तालमेलपूर्ण तरीके से विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, प्रायोगिक परियोजना के रूप में 5,000 क्लस्टरों/50,000 ग्राम पंचायतों में 'मिशन

अंत्योदय' के रूप में शुरू किए जाने का प्रस्ताव है। इस दस्तावेज में मिशन के कार्यान्वयन का फ्रेमवर्क दर्शाया गया है।

1.9 'मिशन अंत्योदय' का कार्यान्वयन फ्रेमवर्क (जिसे इसके बाद 'फ्रेमवर्क' कहा गया है) राज्य सरकारों से ऐसी प्रक्रिया की सिफारिश करता है जिससे, निर्धारित क्लस्टरों में ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण सूचकांक के बेसलाइन आंकड़े तैयार किए जाएंगे और ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तरीय विकास योजना के कार्यान्वयन में मानव और वित्तीय संसाधनों का समयबद्ध तालमेल बिठाया जा सकेगा। इसमें उक्त प्रयोजनार्थ तैयार की गई सुदृढ़ एम.आई.एस. के माध्यम से प्रगति का समय–समय पर अद्यतनीकरण करने की सिफारिश की गई है। आशा है कि इस फ्रेमवर्क से ऐसी ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में तालमेल और सेचुरेशन के माध्यम से मौजूदा संसाधनों से ही बहु–आयामी अभावों को एक साथ दूर किया जा सकेगा।

2. संसाधनों का अभिसरण
(CONVERGENCE OF RESOURCES)

2.1 अभिसरण की आवश्यकता

2.1.1 हालाँकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और गरीबों की आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए काफी सार्वजनिक निवेश किए जा रहे हैं लेकिन मौजूदा तरीके से गरीबी के विभिन्न आयामों को दूर नहीं किया जा सकता। विभिन्न योजनाओं के चयन मानदंडों में अंतर तथा सरकारी योजनाओं के माध्यम से एक ही व्यक्ति/परिवार को प्राप्त होने वाली सहायता में स्थानिक एवं समयनिष्ठ (टेंपोरल) विषमता की वजह से विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य अलग–अलग व्यक्ति/परिवार होते हैं। जमीनी स्तर पर कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करने वाले कर्मी केवल अपनी योजनाओं से संबंधित कार्य करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कार्यक्रमों की क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं हो पाता और अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त नहीं होते। इसके परिणामस्वरूप अक्सर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए ये प्रयास कम पड़ जाते हैं।

2.1.2 इसीलिए विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं के बीच आयोजन, प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन के संदर्भ में तालमेल स्थापित करना आवश्यक है, ताकि एस.डी.जी. में शामिल लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। आयोजना में परिवार और गांवों को आधारभूत इकाई माना जाना चाहिए, जिससे परिवार स्तरीय लघु योजना और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने में मदद मिलती है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत चयन मानदंडों, कार्यान्वयन की प्रक्रियाओं एवं दिशानिर्देशों और इसी के साथ निधियों की उपलब्धता में तालमेल स्थापित किया जाएगा। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं में शामिल वित्तीय और मानव संसाधनों को संचयित करने की आवश्यकता होगी, ताकि उपर्युक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में उनकी भूमिका को तर्कसंगत बनाया जा सके। इसके लिए सरकार के सभी स्तरों पर कार्यक्रमों के बीच तालमेल स्थापित किया जाना आवश्यक है।

2.2. तालमेल के माध्यम से 'सेचुरेशन' दृष्टिकोण

'मिशन अंत्योदय' में 'सेचुरेशन' मोड में व्यक्तिगत, पारिवारिक और समुदाय स्तरीय अभावों को दूर करने के लिए सरकारी योजनाओं को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करके समयबद्ध तरीके से सभी निर्धारित अभावों को दूर करने की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जाता है। अतः चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में सभी संगत विभागों के तालमेल से संपर्कता, आवास, विद्युत, स्वच्छता सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, कृषि और जल संरक्षण, मजदूरी रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य, पोषण, महिला स्व–सहायता समूहों के गठन, औपचारिक ऋण संस्थाओं की उपलब्धता, गैर–कृषि आजीविकाओं सहित आजीविकाओं की उपलब्धता जैसे विभिन्न कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाएगा। केवल गुजर–बसर के स्थान पर बेहतर उत्पादन प्रणालियों को अपनाकर और उपयुक्त पारिश्रमिक प्रदान करने वाले बाजारों से संपर्क और तालमेल स्थापित करके बाजारोन्मुख मूल्य संवर्धन की दिशा में आगे बढ़ने को प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। इसमें हिवरे बाजार गांव के जैसी स्थिति की परिकल्पना की गई है।

बॉक्स 1: 'दिशा'– विकास योजनाओं की प्रगति की तत्काल निगरानी का समेकित प्लेटफॉर्म

वन–स्टेप वाले व्यापक डेशबोर्ड के माध्यम से 'दिशा' विभिन्न विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति से संबंधित तात्कालिक आंकड़े माननीय संसद सदस्यों की अध्यक्षता में गठित जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति को उपलब्ध कराएगी। यह जानकारी पढ़ने में आसानी और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न रूपों में (आंकड़ों, ग्राफ, मानचित्र) प्रस्तुत की जाती है।

इस पोर्टल से माननीय सांसद राज्य के अन्य जिलों की तुलना में अपने निर्वाचन जिले में विकास की स्थिति देख सकते हैं। इस डेशबोर्ड से विभिन्न जिलों का विश्लेषण और एक जिले में विभिन्न योजनाओं के निष्पादन की तुलना भी की जा सकती है।

20 मंत्रालयों/विभागों के 41 निर्धारित कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित आंकड़े (जिनमें एग्रीगेटर, एनेलिटिक्स यूजर इंटरफेस व्यूज शामिल हैं) 'दिशा' प्लेटफॉर्म में एलजीडी (पंचायती राज मंत्रालय की स्थायी शासन डायरेक्टरी) पर आधारित स्थानीय मैपिंग इकाई (राज्य/जिला/ब्लॉक) में दर्शाए गए हैं और सभी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारियां इसी प्रकार दर्शाई जाएंगी।

2.3 संसाधनों और जानकारियों का तालमेल

विभिन्न अभावों को दूर करने के लिए सार्वजनिक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा उनकी उपलब्धता बढ़ाना आवश्यक तो है लेकिन पर्याप्त नहीं है। महिलाओं और युवाओं के शिक्षा एवं कौशल विकास, व्यक्तियों और समुदायों की स्वास्थ्य एवं पोषाहार स्थिति में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों के तालमेल के माध्यम से बाजार लिंकेज को बढ़ावा देने के जरिए आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देना तथा आजीविकाओं के अवसरों को विविधता प्रदान करना भी आवश्यक है। व्यवसायियों, संस्थाओं और उद्यमों के नेटवर्क से साझेदारी के परिणामस्वरूप इन बदलावों में और आधिक तेजी आएगी *(आरेख 2)*। इस प्रयास के अंतर्गत सरकार के 25 से अधिक विभागों/मंत्रालयों से अपेक्षित है कि वे अंत्योदय ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों को अपने कार्यक्रमों के माध्यम से संसाधन प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराएं और संसाधनों के तालमेल एवं सेचुरेशन मोड में प्रदायगी पर जोर दें। संबंधित एम.आई.एस. में एल.जी.डी. कोड दर्ज किए जाएंगे और ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर इन कार्यक्रमों की समेकित जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए ए.पी.आई. की जानकारी दी जाएगी। इससे बेसलाइन आंकड़ों के आधार पर चयनित सूचकांक की प्रगति की निगरानी की जा सकेगी।

आरेख 2: ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में मूल संवर्धन और वर्ष 2022 तक पारिवारिक आय को बढ़ाना

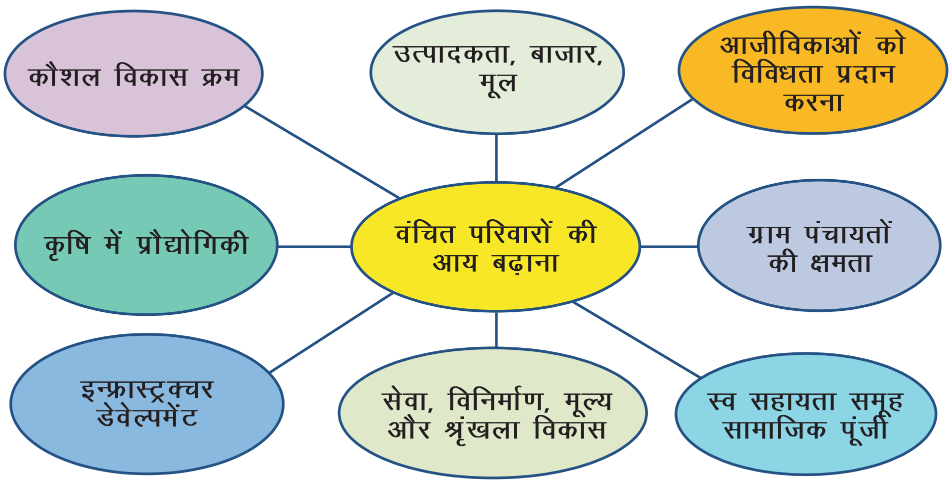

2.4 मुख्य प्रेरक (Enabler) के रूप में एस.एच.जी. संस्था

प्रेरक के रूप में स्वयं–सहायता समूह (एस.एच.जी.) अपनी सामाजिक पूंजी और सामाजिक एकजुटता की अपनी प्रमाणित क्षमता के कारण इस कार्यक्रम का मूल घटक हैं। दीन दयाल उपाध्याय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम.) के अंतर्गत 5 करोड़ से अधिक महिलाओं को 37 लाख स्वयं–सहायता समूहों में संगठित किया गया है। एस.एच.जी. के संघों जैसी संस्थाएं एकजुटता और सामाजिक समावेशन का अच्छा साधन है। तथापि, आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त क्षमता और ध्यान–संकेद्रण की आवश्यकता होती है। आजीविकाओं को बढ़ावा देने के लिए सुशासन और

विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्शों का आयोजन करके 'मिशन अंत्योदय' में तालमेल की कार्य–विधियां निर्धारित की गईं। इन परामर्शों में राज्यों, शिक्षाविदों, व्यवसायियों और संस्थाओं के अच्छे कार्यों से प्राप्त अनुभवों को शामिल करके 'मिशन अंत्योदय' फ्रेमवर्क तैयार किया गया। 10 अक्तूबर, 2017 को आयोजित किए गए राष्ट्रीय स्तर के परामर्श से प्राप्त प्रमुख सिफारिशें *(अनुबंध–6)* में दर्शाई गई हैं।

2.5.2 इन परामर्शों के दौरान सामने आए प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: भू–जलवायु संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर आजीविकाओं को विविधता प्रदान करना और आजीविका कार्यकलापों, सार्वजनिक सेवाओं की प्रदायगी तथा सक्रिय सार्वजनिक सूचना सेवाओं की सहायता से ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारीपूर्ण आयोजना के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाना। मापन योग्य परिणामों के संदर्भ में साक्ष्य पर आधारित कार्यकलाप चलाना, स्वयं–सहायता समूहों के माध्यम से ग्राम–स्तरीय आयोजना को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक पूंजी की आवश्यकता तथा सामुदायिक संगठन एवं स्थानीय शासन तंत्र के बीच राज्य के प्रतिनिधियों की सहायता से संबंधों की स्थापना। यह सलाह भी दी गई कि राज्य स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत सूचकांक में परिवर्तन कर सकते हैं।

2.5.3 सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव दिया कि मूल्य श्रृंखला संवर्धन, इस्तेमाल की जाने वाली प्रौद्योगिकियों, उत्पादक चक्र के साथ मूल्य संवर्धन (विपणन सहित), कौशल प्रशिक्षण, गोदामों की स्थापना, कृषि क्षेत्र में उन्नत वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रक्रियाओं के अनुप्रयोग और क्षेत्र विशिष्ट व्यवसायियों को नियुक्त करके बुनाई, कताई जैसे गैर–कृषि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने से अधिक मूल्य वाले उत्पादों (जैविक कृषि सहित) के लिए कृषि में विविधता लाई जाए। यह पूरी प्रक्रिया प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के दृष्टिकोण के अनुसार चलाई जानी चाहिए। 'मिशन अंत्योदय' के विभिन्न चरणों में उच्च शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रों का सहयोग लेने के सुझाव भी दिए गए।

2.5.4 राष्ट्रीय स्तर के परामर्शों में हैल्प लाइन जैसे उपयुक्त माध्यम की सहायता से नागरिकों और सरकार के बीच परस्पर संवाद सुनिश्चित करने के लिए लोकोन्मुख प्रौद्योगिकी को अपनाने पर जोर दिया गया। चयनित ग्राम पंचायतों में विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा कार्यकलापों के संबंध में समुदायोन्मुख और तालमेलपूर्ण कार्रवाई के लिए विभिन्न विभागों की जमीनी स्तर की संस्थाओं और कर्मियों की भूमिकाओं और दायित्वों के बीच तालमेल स्थापित करने पर भी जोर दिया गया। पाठ्यक्रमों में उपकौशलों को शामिल करने की सिफारिश करते हुए इन परामर्शों में कौशल विकास कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाकर इन कार्यक्रमों को उद्यमशीलता विकास से जोड़े जाने की आवश्यकता रेखांकित की गई है।

बॉक्स 2: ' ग्राम संवाद' ऐप

'ग्राम संवाद' ऐप के माध्यम से ग्रामीण नागरिक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की सभी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं।

हेल्प डेस्क की सहायता से कॉल सेंटर के साथ यह ऐप सरकार और नागरिकों के बीच जानकारियों एवं प्रतिक्रियाओं के आदान–प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराएगा।

इस प्रकार यह ऐप क्लस्टर/ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना प्रक्रिया तथा परिणामों के संदर्भ में निगरानी में सहायता प्रदान करेगा।

विभिन्न विभागों/मंत्रालयों द्वारा चलाई जा रही 35 योजनाओं के ए.पी.आई. के संबंध में जी.पी.डी.पी. के आधार पर ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन अंत्योदय के प्रमुख संसूचकों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस ग्राम संवाद संरचना का विस्तार किया जा सकता है।

2.5.5 उपर्युक्त के अतिरिक्त आई.आर.एम.ए., आणंद द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की रिपोर्ट से भी सुझाव प्राप्त किए गए। आई.आर.एम.ए. की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि तालमेल से आमदनी बढ़ने और गरीबी कम होने के साक्ष्य मौजूद हैं।

2.6. 'मिशन अंत्योदय' क्या है?

'मिशन अंत्योदय' जन जीवन और आजीविकाओं में मापन योग्य परिणामों के आधार पर बदलाव लाने का जवाबदेही और अभिसरण (accountability and convergence) फ्रेमवर्क है।

2.7 साक्ष्य के आधार पर निर्धारण और पात्रता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ लक्षित जन समुदाय तक पहुंचे और पूरी प्रक्रिया की निगरानी समुदाय स्वयं करे, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के विभिन्न

चरणों को आपस में जोड़ना अब प्रौद्योगिकी और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से संभव है। मंत्रालय पहले से ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पी.एम.ए. वाई.–जी) और प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी. एस.वाई.) जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्तियों को ज्यो–टैग करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है। सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिए सामाजिक लेखा परीक्षा और सुदृढ़ सार्वजनिक सूचना (प्रणालियों जैसे कि 'दिशा' और 'ग्राम संवाद' ऐप) का प्रयोग किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से लाभों की प्रदायगी सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित का प्रयोग किया जाए:

- सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011 के माध्यम से पात्रता और ग्राम सभा द्वारा इसकी पुष्टि
- 'आधार' जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से लाभार्थी की पहचान
- समेकित एम.आई.एस. के माध्यम से सेवा प्रदायगी की निगरानी
- निम्नलिखित के माध्यम से जवाबदेही:
  - (क) सूचना प्रौद्योगिकी/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का प्रयोग;
  - (ख) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग;
  - (ग) महिला समूहों तथा सामुदायिक संवर्ग के रूप में युवाओं द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण।

2.8 ग्राम पंचायतों के निष्पादन और परिवारों की खुशहाली का मापन

जनगणना और एस.ई.सी.सी. के आंकड़ों पर आधारित निगरानी सूचकांक को आगे दर्शाए गए 3 पैरा मीटरों में वर्गीकृत किया जा सकता है–

i) अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता;
ii) सामाजिक विकास और संरक्षण; तथा
iii) आर्थिक विकास और आजीविकाओं में विविधता।

01 से 15 अक्तूबर, 2017 तक ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े के दौरान सर्वेक्षण में बेसलाइन आंकड़ों का अद्यतीकरण किया गया है। इस पखवाड़े के दौरान भागीदारीपूर्ण कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार/अद्यतन की गई है। इन बेसलाइन आंकड़ों का प्रयोग न केवल ग्राम पंचायत/क्लस्टर की रैंकिंग के लिए किया जाएगा, बल्कि बेसलाइन के आधार पर उनकी प्रगति का मापन भी किया जाएगा।

2.9 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत प्रमुख प्रक्रियाएं

क) परिवारों का बेसलाइन सर्वेक्षण करना और समय–समय पर उनकी प्रगति की निगरानी करना।

ख) ग्रामीण क्षेत्रों के उद्देश्य वाले कार्यक्रमों/विभागों का तालमेल सुनिश्चित करना।

ग) ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में पंचायती राज संस्थाओं, सामुदायिक संगठनों, गैर–सरकारी संगठनों, एस.एच.जी. संस्थाओं और विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय स्तर के कर्मियों (जैसे कि आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ए.एन.एम.) के बीच संस्थागत साझेदारियां विकसित करना।

घ) संस्थाओं और व्यवसायियों की साझेदारी के माध्यम से उद्यमों को बढ़ावा देना।

2.10 'मिशन अंत्योदय' के प्रमुख परिणाम

'मिशन अंत्योदय' के माध्यम से अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

1. चयनित ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में ग्राम पंचायत विकास योजना/क्लस्टर विकास योजना के अनुरूप योजनाओं के प्राथमिकता प्राप्त कार्यान्वयन के माध्यम से मजबूत अवसंरचनात्मक आधार ।
2. ग्राम पंचायत/क्लस्टर में विभिन्न हितधारकों के सहयोग से योजनाओं की भागीदारीपूर्ण आयोजना और कार्यान्वयन को बढ़ावा देने वाली प्रभावी सामाजिक पूंजी।
3. गैर–कृषि क्षेत्र, ग्रामीण युवाओं और महिलाओं के कौशल विकास, मूल्य श्रृंखलाओं के विकास तथा उद्यमों को बढ़ावा देने सहित आजीविकाओं को विविधता प्रदान करके आर्थिक अवसरों में वृद्धि।
4. पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता विकास, सार्वजनिक प्रकटीकरणों, ग्राम पंचायत स्तर पर औपचारिक और सामाजिक जवाबदेही उपायों (जैसे कि सामाजिक लेखा परीक्षण) के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण।

2.11 परिणामों का मापन

'मिशन अंत्योदय' फ्रेमवर्क का उद्देश्य स्वास्थ्य,

शिक्षा, स्वच्छता, संपर्कता जैसी सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर प्रदायगी तथा ग्रामीण नागरिकों के क्षमता विकास को सुनिश्चित करने के लिए अभिसरण (कन्वर्जेंस) के माध्यम से स्थायी विकास को बढ़ावा देना है। 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत चयनित पैरामीटरों के संबंध में परिणामों का मापन चयनित ग्राम पंचायतों के *तालिका–1* में उल्लिखित बेसलाइन आंकड़ों के आधार पर किया जाएगा। आंकड़ों के संग्रहण के लिए जानकारियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से प्राप्त की जायेगी। यदि संबंधित मंत्रालय के मौजूदा एम.आई.एस./डाटाबेस में किसी पैरामीटर से संबंधित कुछ जानकारियां उपलब्ध न हों, तो ग्रामीण विकास विभाग संबंधित मंत्रालय/विभाग से 'मिशन अंत्योदय' के एम.आई.एस. में दर्शाए जाने वाले यथापेक्षित आंकड़े उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा। ग्राम सभा और क्षेत्रीय सर्वेक्षण के माध्यम से बेसलाइन के संदर्भ में प्रगति का सत्यापन करने के लिए स्वच्छता पखवाड़े की तरह ही वार्षिक सर्वेक्षण किए जाएंगे। 'मिशन अंत्योदय' के कार्यान्वयन में शामिल व्यवसायियों के कार्य निष्पादन का मापन मापदण्डों के आधार पर किया जाएगा, जिनमें निर्धारित पैरामीटर के संबंध में उपलब्धि शामिल हैं।

तालिका 1: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत निष्पादन संकेतक

अवसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता	सामाजिक विकास और संरक्षण	आर्थिक विकास और आजीविकाओं में विविधता
बारहमासी सड़क	पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का %	विविध आजीविकाओं के लिए बैंक ऋण पाने वाले परिवारों का %
बैंक/बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट सहित इंटरनेट संपर्क	0–3 वर्ष की आयु के अल्प वजनी, अविकसित, कमजोर बच्चों का %	डेयरी और मवेशी संसाधनों से आय अर्जन करने वाले परिवारों का %
सुरक्षित आवास में रहने वाले परिवारों का %	प्रसूति लाभ / स्वास्थ्य संरक्षण, आधारभूत दवाईयों और प्राथमिक देखरेख पाने वाले वंचित परिवारों का %	मजदूरी रोजगार/स्वरोजगार पाने वाले परिवारों का %
रोजाना 12 घंटे बिजली आपूर्ति पाने वाले परिवारों का %	खाद्य सुरक्षा और स्वच्छ जल की सुविधा पाने वाले परिवारों का %	बचत खाते में 10,000 रूपए से अधिक धनराशि रखने वाले परिवारों का %
एल.पी.जी. पर खाना पकाने वाले परिवारों का %	माध्यमिक स्कूल की उपलब्धता	कौशलों, बाजारों और बैंक लिंकेज के माध्यम से गैर–कृषि रोज़गार पाने वाले एस.एच.जी. का %
दो फसलों का उत्पादन करने/ संरक्षक सिंचाई सुविधा वाली कृषि भूमि का %	सामाजिक संरक्षण में शामिल जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांगों का %	किसान उत्पादक संगठनों/ प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में शामिल परिवारों का %
खुले में शौच से मुक्त गांव सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली वाले गांव	कौशल प्रशिक्षण/उच्च शिक्षा पाने वाले 18 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं का %	वैतनिक रोजगार/स्व–रोजगार पाने वाली महिलाओं का %

3. कार्यविधि (METHODOLOGY)

'मिशन अंत्योदय' फ्रेमवर्क को राज्य की अगुवाई वाली भागीदारी से 5,000 ग्रामीण क्लस्टरों / 50,000 ग्राम पंचायतों में क्रियान्वित किया जाएगा।

3.1 क्लस्टरों / ग्राम पंचायतों का चयन

वर्ष 2017–18 के बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा 'मिशन अंत्योदय' की घोषणा किए जाने के बाद से ही मंत्रालय 'मिशन अंत्योदय' की अवधारणा पर कार्य कर रहा है। राज्य सरकारों को केवल उन ग्राम पंचायतों और 'मिशन अंत्योदय' के पहले चरण के क्लस्टरों का चयन करने की सलाह दी गई थी जिन्होंने अलग–अलग तरह से संभावित सामाजिक पूंजी और सामुदायिक कार्यकलापों को दर्शाया है। राज्यों ने नीचे दर्शाए गए मानदंडों के आधार पर ग्राम पंचायतों / क्लस्टरों का चयन किया है:–

- खुले में शौच की प्रथा से मुक्त (ओ.डी.एफ.) ग्राम पंचायत
- दीनदयाल अंत्योदय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.एवाई.–एन.आर.एल.एम.) वाली ग्राम पंचायतें
- मिशन जल संरक्षण वाली ग्राम पंचायतें
- सांसद आदर्श ग्राम योजना वाली ग्राम पंचायतें
- रूर्बन क्लस्टर के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतें
- अपराधमुक्त / विवादमुक्त ग्राम पंचायतें
- प्रेरणा प्राप्त और लगनशील ग्राम प्रधान
- अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की विशाल आबादी वाली ग्राम पंचायतें
- विशेष कवरेज / कार्यकलाप के लिए राज्य सरकारों द्वारा चुनी गई ग्राम पंचायतें

चुनी गई ग्राम पंचायतों का राज्य–वार सार *अनुबंध–2* में दिया गया है। ग्राम पंचायतों की विस्तृत सूची मंत्रालय की वेबसाइट (www.rural.nic.in) पर देखी जा सकती है।

3.2 चुनिंदा क्लस्टरों का विकास

राज्यों को इसके अलावा इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया था कि वे ग्राम पंचायतों का चयन करते समय जहां तक व्यवहार्य हो, क्लस्टर दृष्टिकोण (एप्रोच) को अपनाएं। क्लस्टर दृष्टिकोण का बेहतर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आगे इस बात की भी संभावना है कि क्लस्टर में गांवों द्वारा किसी महत्वपूर्ण संकेतक की दिशा में आगे बढ़ने से वे सतत् विकास के एक नए मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। इन चुनिंदा क्लस्टरों को बाद में उनकी क्षमता के अनुसार निम्नलिखित के रूप में विकसित किया जा सकता है:

- कृषि क्लस्टर
- पशुपालन क्लस्टर
- शिक्षा क्लस्टर
- मात्स्यिकी क्लस्टर
- स्वास्थ्य क्लस्टर
- बागवानी क्लस्टर
- विनिर्माण केंद्र (हब)
- जैविक कृषि क्लस्टर
- सेवा क्लस्टर
- पर्यटन क्लस्टर
- वेयरहाउसिंग केंद्र (हब)

3.3 ग्राम पंचायत विकास योजना

3.3.1 'मिशन अंत्योदय' के लिए भागीदारीपरक आयोजना

पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों की भागीदारी से ग्राम पंचायत विकास योजना की अवधारणा को बढ़ावा दिया है। ग्राम पंचायतें प्रत्येक वर्ष इस योजना को तैयार करती हैं। कई राज्यों ने ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने और ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने के लिए विशिष्ट तारीखें निर्धारित की हैं। वर्ष 2016 में 'ग्राम उदय से भारत उदय अभियान' के आयोजन के दौरान भागीदारीपरक आयोजना का कार्य किया गया था। 2,569 चुनिंदा ब्लॉकों में वर्ष 2015–16 में मनरेगा के तत्वावधान में गहन भागीदारीपरक आयोजना कार्य कराया गया था। विगत में तैयार की गई ग्राम पंचायत विकास योजना की

प्रमुख आलोचना इस बात से हो रही है कि अनेक ग्राम पंचायत विकास योजना मात्र एक इच्छा सूची थी क्योंकि इसमें ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों और ग्रामवासियों की प्राथमिकताओं पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया था। एक यथार्थ ग्राम पंचायत विकास योजना/क्लस्टर–स्तरीय आयोजना के लिए यह अनिवार्य है कि पंचायत कर्मियों और ग्राम सभा के सदस्यों के पास संसाधनों की संभावित उपलब्धता के संबंध में जानकारी हो।

3.3.2 ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 1–15 अक्तूबर, 2017 के दौरान आयोजित ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा में 14वें वित्त आयोग अनुदानों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत पंचायतों के लिए उपलब्ध संसाधनों की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा का उपयोग 'मिशन अंत्योदय' के लिए शुरूआती कार्यकलाप के रूप में किया गया है और बेसलाइन आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

3.3.3 ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधन की उपलब्धता

ग्राम पंचायत विकास योजना की सफलता ग्राम पंचायत के पास आयोजना के लिए उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करती है। यह आवश्यक है कि विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं से संबंधित संसाधनों का आकलन न केवल ग्राम पंचायत को एक इकाई मानकर किया जाए बल्कि कुल संसाधनों को एकत्र करके ग्राम पंचायतों को पहले से ही इसकी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए उपलब्ध संसाधन में निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं:

- केंद्र और राज्यों के बजटीय संसाधन
- एस.एच.जी. व अन्य कार्यक्रमों के लिए बैंक लिंकेज
- अतिरिक्त बजटीय संसाधन
- राज्य विशिष्ट विशेष वित्तपोषण व्यवस्थाएं
- कॉरपोरेट सामाजिक जिम्मेदारी – पेशेवरों को शामिल करना
- सभी संबंधित विभागों के संसाधन
- पारिवारिक बचत
- 14वां वित्त आयोग अनुदान
- राज्य वित्त आयोग अनुदान

यह एक सांकेतिक सूची है और स्थानीय संसाधन आधार को देखते हुए इसे बढ़ाया जा सकता है।

3.3.4 क्लस्टर स्तरीय आयोजना

जैसा कि पूर्व पैराग्राफों में दर्शाया गया है, अलग–अलग राज्यों की ग्राम पंचायतों में आबादी और इनके भौगोलिक विस्तार में काफी अधिक अंतर है। राज्यों को ग्राम पंचायतों का आवंटन, अपवर्जन तथा आबादी के आकार के आधार पर, किया गया है। केरल और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों में कई क्लस्टर एक ही ग्राम पंचायत की सीमाओं से सटे होंगे। इन राज्यों में क्लस्टरों के लिए आयोजना अपेक्षाकृत आसान होगी क्योंकि ग्राम पंचायत की क्षेत्र सीमा क्लस्टरों की सीमा से लगभग सटी होगी। अन्य राज्यों में और विशेषकर ऐसे राज्यों में जहां ग्राम पंचायतों का आकार छोटा है, ग्राम पंचायत योजनाओं को क्लस्टर योजना में एकीकृत करने का कार्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा, क्लस्टर स्तर पर इस कार्यकलाप को शुरू करने के लिए कोई संस्थागत व्यवस्था नहीं है। राज्यों को यह चाहिए कि वह ग्राम पंचायत विकास योजना योजनाओं को क्लस्टर योजनाओं में समेकित करने का कार्य ब्लॉक विकास अधिकारियों को सौंप दें। वैकल्पिक तौर पर राज्य अपनी विशिष्ट स्थितियों के आधार पर क्लस्टर में स्थित ग्राम पंचायतों में समन्वयन के लिए एक व्यवस्था तैयार कर सकते हैं।

3.4 ग्राम पंचायत विकास योजना को 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की व्यापक योजना के अनुकूल बनाना

3.4.1 संसाधनों का समन्वय

14वें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) के निर्णय से और एकल ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार किए जाने से सभी संसाधनों में तालमेल, जिसकी जवाबदेही ग्राम पंचायत की है, संभव हुआ है। इससे बजट में प्रभाविकता, निष्पादन में बढ़ी हुई जवाबदेही और विकास की बेहतर डिलीवरी सुनिश्चित होगी। एफ.एफ.सी. अनुदान, जिसका उपयोग केवल स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़क, स्ट्रीट लाइट, खेलों के मैदान, पार्क, कब्रगाह/शवदाह गृह के लिए किया जा सकता है, तथा ग्राम पंचायतों के लिए तैयार की गई अन्य सेवाओं के अलावा ग्राम पंचायत विकास योजना के संसाधन क्षेत्र को प्राथमिकता का अनुपालन करते हुए एकीकृत किया जा सकता है।

बॉक्स 3: योजनाओं में तालमेल के उदाहरण

1. मनरेगा और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के बीच तालमेल (दोनों ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं)

डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. में सूक्ष्म उद्यम विकास के लिए गरीबों की संस्थाओं का निर्माण करके सामाजिक समावेशन पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। मनरेगा एक अधिकार आधारित विधान है जिसका उद्देश्य टिकाऊ स्वरूप की सामुदायिक एवं व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का सृजन करना और मांग के अनुसार ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है। डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. में आजीविका संवर्धन के लिए सामाजिक पूंजी तैयार करने का प्रयास किया जाता है जबकि मनरेगा में भौतिक परिसंपत्तियां सृजित करने का प्रयास किया जाता है। आवश्यकता का मूल्यांकन, मांग का सृजन और परिसंपत्ति सृजन के लिए उचित लक्ष्यीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए समेकित भागीदारीपरक आयोजना कार्य (आई.पी.पी.ई.) फ्रेमवर्क के जरिए राज्यों ने नरेगा श्रम बजट तैयार किया जिसमें एस.एच.जी. नरेगा कार्यों की सूची में एस.एच.जी./परिवार स्तरीय सूक्ष्म योजनाओं के संबद्ध हिस्सों को शामिल करके आई.पी.पी.ई. में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार, डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत महिला समूहों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए मनरेगा के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों अर्थात कंपोस्ट पिट, कैटल शेड, पॉल्ट्री शेड इत्यादि का उपयोग किया है।

2. मनरेगा और डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के बीच तालमेल (दोनों ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं हैं)

इस परियोजना का उद्देश्य डी.डी.यू.–जी.के.वाई. और आर.एस.ई.टी.आई. के साथ तालमेल करके मनरेगा परिवारों के युवाओं के कौशल आधार को बढ़ाना तथा उनमें आत्मनिर्भरता लाना है। इस परियोजना में अन्य के साथ–साथ डी.डी.यू.–जी.के.वाई. के साथ तालमेल की व्यवस्था की गई है ताकि वित्तीय वर्ष 2014–15, 2015–16 या 2016–17 में मनरेगा के अंतर्गत कम से कम 15 दिनों का कार्य पूरा कर चुके मनरेगा परिवारों के सदस्यों को नियोजन से जुड़ा कौशल प्रशिक्षण दिया जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 18–35 वर्ष की आयु के युवाओं को शामिल किया जाता है। महिलाओं, आदिम जनजातीय समूहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों, दिव्यांग व्यक्तियों और अन्य विशेष समूहों के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है।

3. डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. और जनजातीय कार्य मंत्रालय के बीच तालमेल

निर्धन गैर–इमारती वन उत्पाद (एन.टी.एफ.पी.) संग्राही, जिनमें से अधिकांश जनजातीय समुदाय से हैं, को उनके संग्रहण के लिए बाजार और उचित मूल्य आसानी से उपलब्ध नहीं है। मुख्य रूप से उनके निवास स्थल की दूरी और कम फायदे वाली उनके संग्रहण की कम मात्रा को इसके लिए जिम्मेवार ठहराया जा सकता है। ट्राइफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय एन.टी.एफ.पी. के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) का प्रचालन कर रहा है और डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. उनके साथ तालमेल को आगे बढ़ा रहा है जहां ग्राम–स्तरीय उत्पादक समूह (पी.जी.) प्रापण एजेंटों के रूप में स्वयं गांव में एन.टी.एफ.पी. को एकत्र करने की जिम्मेवारी संभालते हैं और एन.टी.एफ.पी. संग्राहियों को उसी जगह भुगतान भी कर देते हैं। तत्पश्चात स्टॉकों को ट्राइफेड में भेजा जाता है और उत्पादक समूह अपना भुगतान एकत्र कर लेते हैं।

4. डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. और पशुपालन विभाग के बीच तालमेल

पशुधन के अंतर्गत, डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. में विशेष रूप से राज्य स्तर पर पशुपालन विभाग के साथ तालमेल बनाया गया है जहां एस.एच.जी. और पशु–सखी (पशुधन विस्तारणकर्मी) विभाग के ब्लॉक स्तरीय पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ग्राम स्तर पर पशु स्वास्थ्य शिविर का आयोजन करते हैं, जहां एस.एच.जी. सदस्य अपने पशुओं को टीकाकरण और उपचार के लिए लेकर आते हैं। इस तालमेल से एस.एच.जी. परिवारों के लिए पशु चिकित्सा सेवाओं और आवश्यक उपचार उपायों की सुविधा बढ़ी है। पशु चिकित्सकों के साथ–साथ पशु–सखी द्वारा भी डी–वर्मिंग और टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। इन पशु शिविरों के दौरान मुख्यतः चारा, स्वास्थ्य और पोषण प्रबंधन तथा अधिकांश परिवारों को साफ–सफाई के बारे में आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। झारखंड, राजस्थान इत्यादि जैसे राज्यों में ये शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं। पशु–सखी डी–वर्मिंग, टीकाकरण, चारा प्रबंधन, विकास प्रबंधन और बाजार सहित बुनियादी पशु–चिकित्सा विस्तारण सेवाएं प्रदान करते हैं।

3.4.2 दरिद्रता शमन

ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत में गरीबी के स्वरूप का निर्धारण करते हुए उसके शमन पर बल दिया जाना चाहिये। गरीब समूहों एवं स्थानों के लिए मूलभूत सेवाओं को वरीयता देने के साथ–साथ विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों में तालमेल करते हुए दरिद्रता शमन पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विशेष रूप से डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत सृजित किए गए गरीबों के संस्थानों और मनरेगा साधनों के जरिए आजीविकाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से विभिन्न कानूनों, कार्यक्रमों और योजनाओं के अंतर्गत दी जाने वाली हकदारियों (पी.ई.एस.ए. अधिकार, वन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण) को प्राप्त किया जा सके।

बॉक्स 4: एस.ए.जी.वाई., व्यापक विकास के लिए तालमेल

'सांसद आदर्श ग्राम योजना' का शुभारंभ 11 अक्तूबर, 2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। यह विनिर्दिष्ट समयसीमा में तालमेल और सैचुरेशन के फ्रेमवर्क पर आधारित है।

एस.ए.जी.वाई. के अंतर्गत चुनी गई ग्राम पंचायतें माननीय संसद सदस्यों के मार्गदर्शन में ग्राम सभाओं को शामिल करते हुए भागीदारीपरक आयोजना के माध्यम से ग्राम विकास योजनाएं तैयार करती हैं।

ग्राम विकास योजना में निजी और स्वैच्छिक कार्यकलापों के अलावा विभिन्न केंद्रीय/राज्य योजनाओं से उपलब्ध संसाधनों के तालमेल के माध्यम से गांव का समग्र विकास करने के लिए समयबद्ध कार्यकलापों की प्राथमिकता प्राप्त सूची होती है। मंत्रालय ने एस.ए.जी.वाई. ग्राम पंचायतों के लाभ के लिए 'समन्वय' पत्रिका प्रकाशित करायी है जिसमें गांव के विकास के लिए चलाई जा रही केंद्रीय क्षेत्र की व केंद्रीय प्रायोजित 223 योजनाऐं और 1,806 राज्य योजनाएं संकलित हैं।

सैचुरेशन के उद्देश्य से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की 21 योजनाओं को संशोधित किया गया है और संबंधित योजनाओं में एस.ए.जी.वाई. को प्राथमिकता देने के लिए उपयुक्त एडवाइजरी जारी की गई हैं। सभी एस.ए.जी.वाई. ग्राम पंचायतों में मुख्य बुनियादी सुविधाओं अर्थात बिजली, पेयजल, सड़क और शिक्षा की शत–प्रतिशत उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय संबंधित विभागों के साथ समन्वयन करता रहा है।

प्रारंभ से अब तक निर्धारित 1,199 ग्राम पंचायतों में से 833 ग्राम पंचायतों ने ग्राम विकास योजना तैयार की हैं और 46,084 कार्यों में से 19,522 कार्य पूरे हो चुके हैं जबकि 7,229 प्रगति पर हैं। (07.11.2017 तक)

3.4.3 मानव विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना में कौशल विकास, स्वास्थ्य, विशेषकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और खाद्य एवं पोषण, शिशु लिंग अनुपात इत्यादि सहित शिक्षा पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। मानव विकास सेवाओं, विशेष रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से उन तक पहुंच बढ़ाकर और संबंधित अवसंरचना की अपग्रेडिंग करके मानव विकास सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप स्पष्ट परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

3.4.4. सामाजिक विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना के द्वारा कमजोर एवं सीमांत समूहों जिनमें अनु. जाति, अनु. जनजाति, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्ति, बुजुर्ग, महिलाएं एवं बच्चे, बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, अधिसूचित न की गई जनजातियां एवं आदिम जनजातियां, मुसीबत के समय पलायन कर गए व्यक्ति, मैला ढोने वाले, ट्रांसजेंडर, अनैतिक मानव व्यापार के शिकार व्यक्ति इत्यादि शामिल हैं, के कल्याण में सुधार किया जाना चाहिये।

3.4.5. आर्थिक विकास

ग्राम पंचायतों को ऐसे कार्यकलाप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो स्थानीय उत्पाद एवं उत्पादकता को बढ़ाएँ, रोजगार एवं रोजगार उन्मुखता में वृद्धि करें, बाजार तक पहुँच और स्थानीय उत्पाद की मार्केटेबिलिटी को बेहतर बनाएं, मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहन दें और बाजार, तालाब, मछलीपालन, पशुधन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई सुविधाओं, डग वैल्स, सिंचाई टैंक इत्यादि जैसी उत्पादक अवसंरचना तैयार करें। चूंकि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान देना होगा इसलिए स्थानीय विनिर्माण विशेष रूप से पारंपरिक उद्योगों और सेवाओं तथा साथ ही वित्तीय समावेशन पर भी ध्यान दिया जाए।

3.4.6. पारिस्थितिकी विकास

जल निकाय, चारागाह, घासभूमि, जलग्रहण क्षेत्र और स्थानीय वन जैसे विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के उन्नयन एवं जैविक संसाधनों अर्थात लघु वन उत्पाद, फायरवुड, चारा, औषधीय पौधे इत्यादि का संरक्षण और उनका संपोषणीय उपयोग को जी.पी.डी.पी. में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए समेकित वाटरशेड प्रबंधन बुनियादी दृष्टिकोण है। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत शुरु किए गए सभी कार्यकलाप पर्यावरण अनुकूल और जैव–विविधता को बढ़ाने वाले होने चाहिएं।

3.4.7. सार्वजनिक सेवा प्रदायगी

प्रमाणपत्रों को जारी करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, लाइसेंस/परमिट जारी करना जैसी सरकारी सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पेंशनों जैसी कल्याणकारी सेवाओं में सुधार को विशेष बल दिए जाने के साथ–साथ सेवाओं की इलैक्ट्रॉनिक डिलीवरी पर जोर दिया जाना चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना में सेवा प्रदायगी एवं उचित रखरखाव की गुणवत्ता और मौजूदा परिसंपत्तियों के

उपयोग पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों को ऐसे उपायों के माध्यम से जिसमें शून्य अथवा न्यूनतम निवेश की जरूरत होती है, स्थानीय विकास को अधिकतम करने पर विशेष बल देना चाहिए। राज्य सरकारें ऐसा करने के लिए ग्राम पंचायतों को सुझाव देने पर विचार कर सकती हैं।

3.4.8 नियत समयसीमा में काम–काज

ग्राम पंचायत विकास योजना और क्लस्टर स्तरीय प्लान का प्रत्येक कार्यकलाप – पर्यावरण सृजन, भागीदारीपूर्ण आयोजना, संबंधित ग्राम सभा की बैठकें, योजना तैयार करना और उनकी स्वीकृति समयबद्ध तरीके से निष्पादित की जानी चाहिए। यह वांछनीय है कि किसी विशेष वर्ष की योजना की आयोजना प्रक्रिया को विगत वित्तीय वर्ष के मार्च माह तक पूरा कर लिया जाए। यह भी वांछनीय है कि प्रक्रिया का तालमेल विभिन्न योजनाओं के चक्र जैसे कि मनरेगा की श्रम–बजट आयोजना के साथ किया जाए ताकि ग्राम सभा की प्रक्रियाओं को दोहराया न जाए और एकल समेकित/तालमेलयुक्त योजनाएं बनाई जाएं। विभिन्न ग्राम पंचायतों के क्लस्टर के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना को क्लस्टर स्तरीय योजना में शामिल किया जाना चाहिए। जहां ग्राम पंचायतें और क्लस्टर अलग–अलग हैं वहां ब्लॉक पंचायत को क्लस्टर योजना तैयार करनी चाहिए।

3.5 सहायक संस्थान और पेशेवर

3.5.1 'मिशन अंत्योदय' कार्यनीति में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण समुदायों के साथ काम–काज करने वाली संस्थाओं को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। हालांकि अवसंरचना के लिए संसाधन सरकार से प्राप्त होंगे, विशेष रूप से आर्थिक क्रियाकलापों और विविध प्रकार की आजीविकाओं के सृजन के लिए नॉलेज आउटपुट और हैंड–होल्डिंग के लिए संस्थागत सहायता की जरूरत होगी। इन संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत कार्यकलापों में अपने आसपास में स्थित ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों को सहायता प्रदान करेंगी।

3.5.2 सार्वजनिक तथा निजी, दोनों क्षेत्रों में कई संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। इनमें से कुछ की सूची नीचे दी गई है:

- कृषि विज्ञान केंद्र/पशु चिकित्सा संस्थान
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान / राज्य विश्वविद्यालय/भारतीय प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

बॉक्स 5: गैर वित्तीय रूचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) के जरिए जन कल्याणकारी संगठनों को तैनात करना

मंत्रालय ने ग्रामीण क्लस्टरों के संबंध में ऐसे क्लस्टरों के आर्थिक और सामाजिक विकास में सरकार के साथ सहयोग करने के लिए जन कल्याणकारी निजी कंपनियों, कॉरपोरेट घरानों द्वारा बढ़ावा दिए गए फाउंडेशनों, गैर–सरकारी संगठनों, समृद्ध व्यक्तियों, अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति तथा वित्तीय एवं क्रियान्वयन क्षमता रखने वाले किसी अन्य निकाय से एक गैर–वित्तीय रूचि की अभिव्यक्ति तैयार की है।

ये संगठन या व्यक्ति राष्ट्र–निर्माण का हिस्सा बनने के अपने आदर्शवाद, लोक–कल्याण और इच्छा की पूर्ति के लिए सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं। ये कई तरह से अपना योगदान दे सकते हैं जैसे कि मेंटरशिप सहायता उपलब्ध कराके, व्यवसाय शुरू करके, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग में मूल्य श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए उत्पादक समूहों की सहायता करके। वे प्रक्रियाओं की निगरानी, प्रौद्योगिकी के उन्नयन में क्षेत्रगत सुविज्ञता का उपयोग कर सकते हैं और अनुमोदित परियोजनाओं को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए सीएसआर निधियों में सामंजस्य बिठा सकते हैं।

ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़ा (1–15 अक्तूबर, 2017) के दौरान 'मिशन अंत्योदय' के चुनिंदा संकेतकों के संबंध में राज्य सरकारों की भागीदारी से 50,000 ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के संबंध में एकत्र किए गए बेसलाइन आंकड़े भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा, सहभागी संगठनों/निकायों के लिए निर्धारित किए गए विकास संबंधी अंतरों, वर्तमान संसाधन क्षेत्र, तालमेल की कार्यपद्धति भी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत्योदय क्लस्टरों में आजीविका सृजन के लिए सरकार के साथ भागीदारी करने के लिए ये सभी बातें निजी पक्षों को प्रोत्साहित करने का काम करेंगी।

- निजी तकनीकी विश्वविद्यालय, स्टार्ट–अप, उद्यमी
- पर्यटन, वस्त्र, विनिर्माण/एम.एस.एम.ई. सहायता संस्थान
- के.वी.आई.सी./सिल्क बोर्ड/कॉयर बोर्ड/समुद्र विकास/मात्स्यिकी/डेयरी कोऑपरेटिव/पॉल्ट्री
- सी.एस.ओ./एन.जी.ओ./फाउंडेशन/सी.एस.आर.
- स्टार्ट–अप/युवा सी.ई.ओ.

3.5.3 ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जाने वाली प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित और राज्य योजनाओं में प्रत्येक योजना के लिए उस स्तर पर निर्धारित स्टाफ नहीं है।

अधिकांश राज्यों में ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध स्टाफ के समूह में पंचायत सचिव, मनरेगा के लिए ग्रामीण रोजगार सेवक, आंगनवाड़ी कर्मी और एक आशा कर्मी होते हैं। तथापि, अधिकांश कार्यक्रमों में तकनीकी सहायता, खाता–बही कार्यों और डाटा–एंट्री के लिए क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर स्टाफ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने श्री सुमित बोस, पूर्व सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जिसने पंचायत स्तर पर मानव संसाधन संबंधी जरूरतों को देखते हुए पंचायत कर्मियों की भर्ती, प्रशिक्षण एवं तैनाती के विषय में सिफारिशें की हैं। मंत्रालय सुमित बोस समिति की उन प्रमुख सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य करेगा जिन्हें सरकार ने 'मिशन अंत्योदय' ग्राम पंचायत/क्लस्टरों में त्वरित क्रियान्वयन करने के लिए स्वीकार कर लिया है।

3.5.4 मिशन के अंतर्गत निम्नलिखित सहायक पेशेवरों का सुझाव दिया गया हैः

- अग्रणी (फ्रंटलाईन) कर्मियों के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत नए सिरे से परिभाषित जॉब विवरण
- ग्राम पंचायत स्तर पर दल
- सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (सी.आर.पी.)
- युवा पेशेवर
- कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जरिए पेशेवर

3.5.5 पेशेवरों का क्षमता विकास

'मिशन अंत्योदय' के क्रियान्वयन से जुड़े पेशेवरों का क्षमता विकास अनिवार्य है। वांछित परिणामों को हासिल करने के लिए चुनिंदा पेशेवरों को क्षमता विकास का प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एन.आई.आर.डी. एंड पी.आर.) नोडल संगठन होगा। इसके बाद चुनिंदा ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में इस प्रेरणा को बरकरार रखने और सामाजिक पूंजी को निरंतर बढ़ाने के लिए बारंबार ऐसे समारोहों का आयोजन भी किया जाएगा।

4. सहभागी मंत्रालय/विभाग
(PARTICIPATING MINISTRIES/DEPARTMENTS)

'मिशन अंत्योदय' विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अंतर्गत संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेंस) पर आधारित है जहां ग्राम पंचायत आयोजना की इकाई होती है। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत निर्धारित ग्राम पंचायत की जरूरतों को (जी.पी.डी.पी.) विभिन्न विकास योजनाओं से जोड़ा जाता है। योजनाओं से प्राप्त संसाधन/सहायता ग्राम पंचायत विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए एक इनपुट है जो कि 'मिशन अंत्योदय' के सूचकांकों से संबद्ध परिणामों की प्राप्ति में मददगार है। आशा है कि सहभागी मंत्रालय/विभाग 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत चुनी गई ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में उन कार्यकलापों को करेंगे जो नीचे दर्शाए गए हैं। इस प्रकार, 'मिशन अंत्योदय' विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा किया जाने वाला एक अंतर्विभागीय प्रयास है *(तालिका–2)*।

तालिका 2: 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत सहभागी मंत्रालय/विभाग

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	वर्ष 2019 तक डेलिवरेबल्स
1.	ग्रामीण विकास विभाग	– बारहमासी सड़कों से जोड़ी गई सभी पात्र बसावटें – सभी के लिए आवास – सभी वंचित परिवारों को एस.एच.जी. के सदस्यों के रूप मे बैंक लिकेंज – मनरेगा के तहत मिशन जल संरक्षण – बुजुर्ग, विधवाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए पेंशन – सभी पात्र युवाओं के लिए प्लेसमेंट आधारित और स्व–रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण – मनरेगा के अंतर्गत आने वाली गांव की सड़कें – ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन
2.	पंचायती राज मंत्रालय	– ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) – निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम पंचायत कर्मियों का क्षमता विकास
3.	भूमि संसाधन विभाग	– समेकित वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)
4.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय	– कल्याण केन्द्र के रूप में स्वास्थ्य उप–केन्द्र – स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत कवरेज – आपातकालीन एंबुलेंस सुविधा – 100% टीकाकरण – 100% संस्थागत प्रसूति – मलेरिया, टीबी, फाइलेरिया, कालाजार के लिए 100% चिकित्सा
5.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	– सभी परिवारों के लिए पाइपों से जलापूर्ति – सभी परिवारों के लिए शौचालय – ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन सहित स्वच्छता

6.	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	– सभी सेवाओं सहित सभी 0–6 वर्ष के बच्चों के लिए पक्के आंगनवाड़ी भवन - एस.ई.सी.सी. के अनुसार सभी महिला मुखिया वाले वंचित परिवारों को समुचित आजीविका विकल्प अथवा सामाजिक सुरक्षा - कम उम्र की विधवाओं को तालमेलयुक्त कार्य योजना के माध्यम से कौशल एवं आजीविका के जरिए पुनर्वास हेतु सहायता
7.	स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता	- विद्यार्थियों की 100% उपस्थिति एवं अधिगम परिणाम - लड़कियों के लिए उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की सुविधा - खेल सुविधा सहित पर्याप्त स्कूल अवसंरचना
8.	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय	- सभी पात्र युवाओं के लिए रोजगार आधारित एवं स्व–रोजगार कौशल प्रशिक्षण
9.	कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण मंत्रालय	- सभी के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड एवं उर्वरकों का अधिकतम उपयोग - समय पर गुणवत्तापूर्ण जानकारी – बीज, उर्वरक, कीटनाशक - जैविक खेती - बागवानी क्षमता का उपयोग - फसल बीमा कवरेज - मूल्य श्रृंखला विकास
10.	पशुपालन विभाग	- डेरी, बकरी पालन, मुर्गीपालन इत्यादि में पूर्ण क्षमता का उपयोग - मछली पालन में पूर्ण क्षमता का उपयोग - पशु संसाधनों एवं पशु चिकित्सा देखभाल के लिए टीकाकरण सेवाएं - नस्ल में सुधार - मूल्य श्रृंखला विकास
11.	दूरसंचार विभाग	- बाधामुक्त इंटरनेट कनेक्टिविटी - माईक्रो ए.टी.एम. युक्त पोस्टल बैंक वाले डाकघर
12.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	- कार्यरत साझा सेवा केंद्र - सभी परिवारों को आधार से जुड़े बैंक खाते
13.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	- अनु.जाति/अनु.जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यकों के लिए छात्रवृत्तियां

14.	दिव्यांग व्यक्ति सशक्तीकरण विभाग	- सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण अथवा सामाजिक सुरक्षा - सुविधाएं एवं उपकरण - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए यूनिसेक्स शौचालय
15.	वित्त मंत्रालय	- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज - अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज - प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत पूर्ण कवरेज - माईक्रो ए.टी.एम. सहित बैंकिंग संवाददाता
16.	जल संसाधन मंत्रालय	- सामुदायिक नेतृत्व आधारित जल सुरक्षा योजनाओं का कार्यान्वयन जैसा कि हिवरे बाजार में किया गया था - उन्नत भूजल निगरानी एवं भूजल आंकड़ों का प्रकटन
17.	विद्युत मंत्रालय	- सभी वंचित परिवारों के लिए बिजली का कनेक्शन - न्यूनतम 12 घंटे बिजली की आपूर्ति
18.	पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	- सभी वंचित परिवारों के लिए प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के अंतर्गत एल.पी.जी. गैस
19.	खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	- पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्य सुरक्षा - बायो–मीट्रिक रीडर सहित पी.ओ.एस. मशीन
20.	नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय	- परिवारों द्वारा सौर ऊर्जा/बायोगैस/अन्य नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग
21.	सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय	- गैर–कृषि रोजगार के अवसरों का सृजन - सामूहिक आर्थिक कार्यकलाप के लिए बैंक लिंकेज
22.	वस्त्र मंत्रालय	- हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट क्लस्टरों का विकास
23.	संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय	- पर्यटन क्लस्टरों का विकास - ग्राम पंचायत स्तर पर सांस्कृतिक कार्यकलाप
24.	युवा कार्य विभाग	- सृजनात्मक एवं रचनात्मक कार्यकलापों के लिए युवा क्लब
25.	खेल विभाग	- ग्राम पंचायत स्तर पर खेल कार्यकलाप
26.	जनजातीय कार्य मंत्रालय	- मिशन अंत्योदय के अंतर्गत कवर की गई जनजातीय ग्राम पंचायतों को केंद्रित संसाधन सहायता प्रदान करना
27.	खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय	- प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के अंतर्गत एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टरों का विकास - पूर्वापरक संपर्क (बैकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज) - प्रशीतन श्रृंखला का विकास - खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार

5. ग्राम पंचायत/क्लस्टर विकास के मापन के मानदंड (PARAMETERS FOR MEASURING GP/CLUSTER DEVELOPMENT)

5.1 'मिशन अंत्योदय' की प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए संकेतक

'मिशन अंत्योदय' के क्रियान्वयन संबंधी फ्रेमवर्क में अवसंरचना, मानव विकास और आर्थिक विकास संबंधी प्रगति की परिकल्पना की गई है। प्रगति पर दृष्टि रखने के लिए संकेतकों को चयन करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए अखिल भारत स्तर पर आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। मंत्रालय ने संकेतकों का एक समूह निर्धारित किया है जिसके आधार पर आवधिक सर्वेक्षणों के माध्यम से ग्राम पंचायत/क्लस्टरों के कार्य–निष्पादन पर दृष्टि रखी जाएगी। संकेतकों और विभिन्न मानदंडों से संबंधित स्कोरिंग पद्धति की सूची *अनुबंध–3* में दर्शाई गई है। 1–15 अक्तूबर, 2017 को ग्राम समृद्धि एवं स्वच्छता पखवाड़े के दौरान राज्य सरकारों द्वारा 5,000 क्लस्टरों/50,000 ग्राम पंचायतों में इन संकेतकों के संबंध में एक बेसलाइन सर्वे कराया गया है। ग्राम पंचायतों की रैंकिंग के अलावा निर्धारित संकेतकों की तुलना में इन ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में प्रगति की निगरानी करने के लिए इसी बेसलाइन आंकड़े का इस्तेमाल किया जाएगा। मंत्रालय इस बेसलाइन आंकड़े को 'मिशन अंत्योदय' की वेबसाइट (www.missionantyodaya.nic.in) पर अपलोड करेगा।

5.2 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत ग्राम पंचायतों के कार्य–निष्पादन का मूल्यांकन

प्रत्येक संकेतक के अंतर्गत एक न्यूनतम बेंचमार्क का प्रस्ताव किया गया है। जब कोई पंचायत किसी संकेतक के लिए न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त कर लेता है तो उसे उस संकेतक में सफलता हासिल करने वाली पंचायत के रूप में चिन्हित किया जाएगा और पूर्वनिर्धारित स्कोर के अनुसार उसे अंक दिया जाएगा। प्रत्येक मानदंड के लिए वेटेज दी गयी है। बेसलाइन आंकड़ों के आधार पर परिकलित कुल वेटेज गांव की मौजूदा स्थिति को तय करेगा। संबंधित ग्राम पंचायत/क्लस्टर में आगे का कार्यक्रम तैयार करने के लिए इन संकेतकों के विषय में हुई प्रगति का आवधिक रूप से मापन किया जाएगा।

5.3 'मिशन अंत्योदय' के क्रियान्वयन से जुड़े पेशेवरों के कार्य निष्पादन का मापन क्रियान्वयन में हुई उपलब्धियों से किया जाएगा।

6. अद्यतन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एम.आई.एस.) और वेब–आधारित रिपोर्टिंग प्रणाली
(ROBUST MIS AND WEB-BASED REPORTING SYSTEM)

प्रगति का मापन लगातार अद्यतन रहने वाली वेब आधारित एम.आई.एस. के माध्यम से किया जाएगा। एल.जी.डी. कोड और ए.पी.आई. के प्रयोग से विभिन्न मंत्रालयों/कार्यक्रमों की संबंधित प्रबंधन सूचना प्रणालियों को ग्राम पंचायत/कलस्टर स्तर पर इन कार्यक्रमों के समेकित परिदृश्य के लिए साझा किया जाएगा। इस संबंध में 'दिशा' और 'ग्राम संवाद' ऐप तथा डेशबोर्डों से संबंधित एक शुरूआत की गई है। इसके अलावा, ऐसे संकेतकों, जिन्हें वर्तमान में योजनाओं के डाटाबेस में शामिल नहीं किया गया है, पर प्रगति मापन हेतु प्रतिवर्ष ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव भी किया गया है।

आरेख 3: 'मिशन अंत्योदय' एम.आई.एस. को निरूपित करने वाला रेखाचित्र

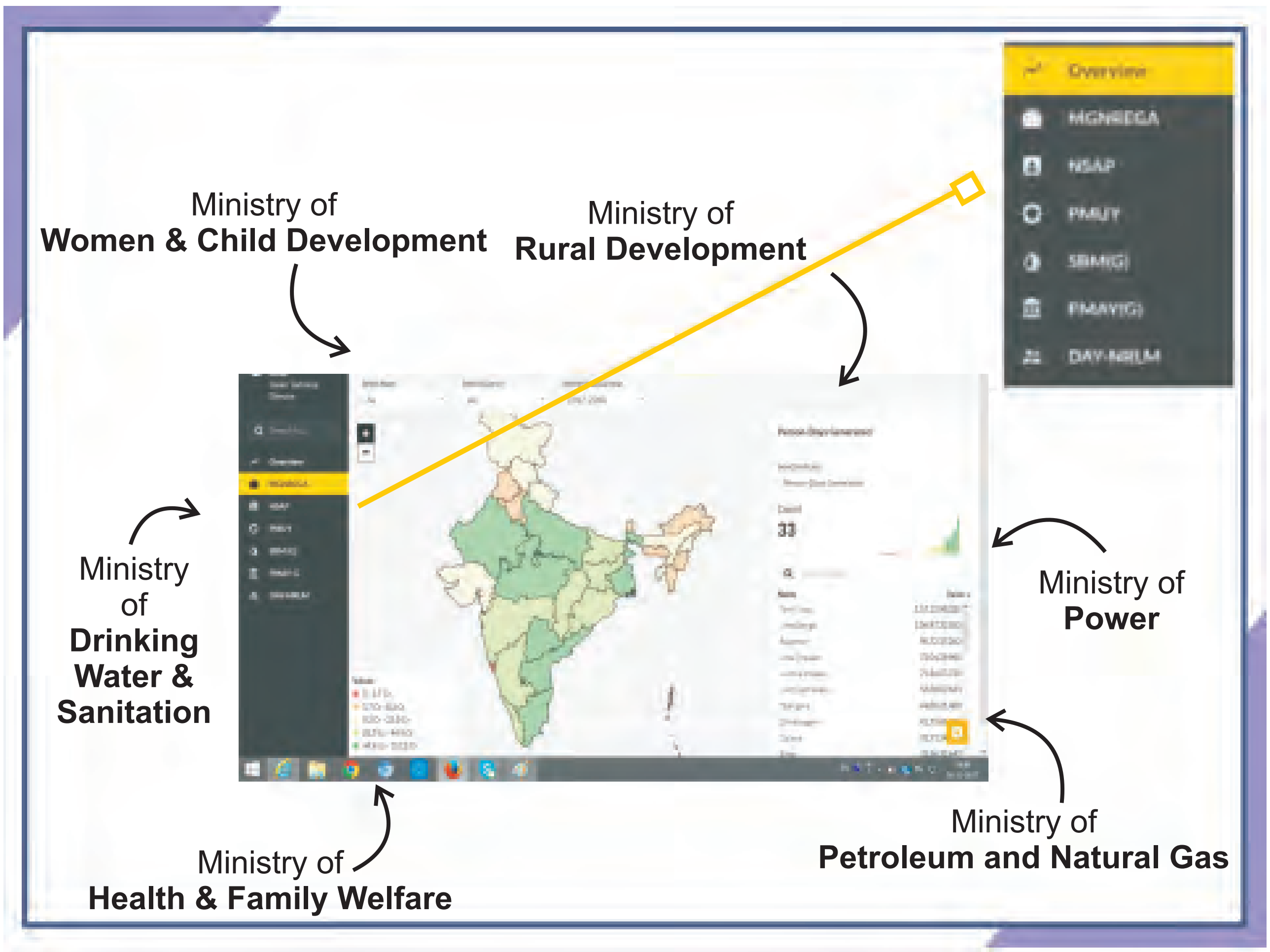

7. समन्वयन व्यवस्था
(Coordination Arrangements)

7.1 समन्वयन संरचनाएं

'मिशन अंत्योदय' का सुगम कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित समन्वयन संरचनाओं का प्रस्ताव किया गया है:

1. संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधित्व वाली ग्रामीण विकास मंत्रालय की राष्ट्र–स्तरीय संचालन समिति
2. राज्यों के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली राज्य–स्तरीय समन्वयन समिति
3. मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली संचालन समिति
4. जिला स्तर पर दिशा समिति
5. ब्लॉक स्तरीय पंचायत समिति
6. ग्राम पंचायत स्तरीय स्थायी समितियां

7.2.2 राज्य स्तर पर स्वतंत्रता

'मिशन अंत्योदय' में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अभिसरित और सेचुरेशन मोड में कार्यान्वयन समुचित स्वतंत्रता दिए जाने की आवश्यकता है। 'मिशन अंत्योदय' के कार्यान्वयन से संबंधित समय–समय पर उठाए गए विभिन्न मुद्दों का समाधान समुचित तंत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए।

7.2.3 ग्राम पंचायत स्तर की आयोजना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार करना

वित्त मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के सामान्य दिशा–निर्देशों पर आधारित और देशभर के सर्वोत्तम कार्यों को अपनाते हुए राज्य 'मिशन अंत्योदय' के तहत ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार के दिशा–निर्देश तैयार करते समय समय–सीमाओं, क्षेत्रीय संसाधन, ग्राम पंचायत स्तर की योजनाओं के कलस्टर स्तर पर समाकलन पर ध्यान दिया जाए ताकि योजनाओं और संभावित योजनाओं के विकास को समेकित और कलस्टर स्तरीय विकास कार्यकलापों के लिए समन्वय तंत्र विकसित किया जा सके।

7.2.4 राज्य स्तरीय संचालन समिति

राज्य स्तरीय संचालन समिति कार्यक्रम की निगरानी करेगी और इसके सफल कार्यान्वयन हेतु योजना बनाएगी। अधिकार प्राप्त समिति का सुझाया गया संगठन इस प्रकार है:

- मुख्य सचिव – अध्यक्ष
- सचिव/आयुक्त – पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास (संयोजक)
- निम्नलिखित विभागों के सचिव प्रभारी:
  – कृषि/पशुपालन/मात्स्यिकी
  – निदेशक, एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर.
  – पेयजल एवं स्वच्छता
  – वित्त
  – खाद्य और सार्वजनिक वितरण
  – वन
  – स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन
  – उद्योग
  – भूमि संसाधन
  – योजना
  – विद्युत
  – जनसंपर्क
  – नवीकरणीय ऊर्जा प्राधिकरण
  – अ.जा./अ.ज.जा. विकास
  – स्कूली शिक्षा
  – कौशल विकास एवं उद्यमिता
  – राज्य मिशन संचालक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
  – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
  – दूरसंचार
  – पयर्टन
  – जनजातीय कार्य
  – महिला एवं बाल विकास
  – युवा कार्य और खेलकूद
- अध्यक्ष द्वारा यथा–अनुमोदित किसी अन्य विभाग का प्रधान सचिव

7.2.5 अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) के कार्य

ई.सी. के कार्यों की व्याख्यात्मक सूची इस प्रकार है:

- मास्टर सरकारी आदेश/मुद्दों के निपटान वाली विभिन्न प्रक्रियाएं और कार्यप्रणालियां
- सभी स्तरों पर अंतर–विभागीय समन्वयन सुनिश्चित करना

- सभी स्तरों पर मानव संसाधनों और तकनीकी सहायता देने सहित योजना और संसाधनों के तालमेल संबंधी निर्देश जारी करना
- मध्यावधि संशोधनों, समस्याओं आदि के लिए यथावश्यक निर्णय लेना
- क्षेत्रों से प्राप्त मामलों के उत्तर संबंधी परिपत्र/स्पष्टीकरण जारी करना
- पूर्ण निर्धारण और अपेक्षित तकनीकी एवं प्रशासनिक सहायता देना तथा समय–समय पर आवश्यक निर्देश/सरकारी आदेश जारी करना
- राष्ट्रीय स्तर पर समिति के साथ यथा अपेक्षित समन्वयन करना
- पूरी प्रक्रिया की निगरानी और संचालन करना
- ई.सी. को संसाधन का दायरा निश्चित करना चाहिए, जो कि 'मिशन अंत्योदय' के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में उपलब्ध रहेगा, जिसे राज्य सरकार सरकारी आदेश (उपयुक्त एम.आई.एस. तैयार करते हुए) के रूप में प्रत्येक ग्राम पंचायत को भेजना सुनिश्चित करे। इसमें निम्नलिखित को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाना चाहिएः
  - चौदहवें वित्त आयोग अनुदान
  - राज्य वित्त आयोग अनुदान
  - स्वयं का संसाधन राजस्व – पिछले तीन वर्षों के वास्तविक राजस्व अनुमानित
  - स्वीकृत श्रमबजट के अनुसार मनरेगा संसाधन
  - प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण
  - राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
  - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना/समेकित वॉटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम
  - बागवानी प्रौद्योगिकी मिशन
  - प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
  - राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम
  - दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना
  - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन
  - ग्राम पंचायतों को सौंपी गई अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाऐं एवं राज्य योजनाऐं
  - ऐसी योजनाएं जिनके लिए ग्राम पंचायत तब भी निर्णय लेती है, जबकि निधियां अंतरित नहीं की गई हों
  - स्वैच्छिक अंशदान (नकद, वस्तु और श्रम) – राज्य यथा उपयुक्त तय कर सकते हैं
  - सी.एस.आर. निधियां ग्राम पंचायतों के लिए यदि आश्वासन दिया गया हो और उपलब्ध हों।

8. मानव संसाधन सहायता (HUMAN RESOURCES SUPPORT)

8.1 ग्राम पंचायतें प्रमुख कार्यों (core functions) के साथ–साथ एजेंसी कार्य भी करती हैं। जहां ग्राम पंचायतों को प्रमुख कार्य हेतु वित्त आयोग अनुदान देता है वही ग्राम पंचायतों को केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत एजेंसी के कार्य भी सौंपे जाते हैं। जहाँ एक ओर प्रमुख कार्य के लिए पंचायत स्तर या राज्यों द्वारा उपलब्ध कराये मानव संसाधन में भारी अंतर है वहीं एजेंसी कार्य में नरेगा को छोड़कर अन्य किसी केन्द्र प्रयोजित योजना में पंचायत स्तर पर कोई पदनामित कार्यकर्ता नहीं है। सूचना प्रौद्योगिकी कार्यों, लेखा और डाटा–एंट्री के लिए गांवों के कलस्टर में विभिन्न स्टाफ उपलब्ध होता है अथवा इसे आउटसोर्स आधार पर उपलब्ध कराया जाता है।

8.2 भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव श्री सुमित बोस की अध्यक्षता वाली 'निष्पादन आधारित भुगतान संबंधी समिति' ने ग्राम पंचायतों के मानव संसाधन आधार को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक सिफारिशें दीं। समिति का यह मत है कि पंचायतों के प्रमुख कार्यों को समुचित रूप से करने पर ही पंचायतों के एजेंसी कार्य अधिक प्रभावी रूप से किए जा सकते हैं। सिफारिशों का सार *अनुबंध 4* में देखा जा सकता है। समिति ने सुझाव दिया है कि 20 हजार और इससे अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों में आई.टी. और लेखा कार्यों के लिए एक पंचायत सचिव, एक तकनीकी सहायक और सहायक स्टाफ होना चाहिए। छोटी ग्राम पंचायतों के लिए आई.टी. और लेखा सहायता कार्य सामान्य सेवा केंद्रों (सी.एस.सी.), एस.एच.जी. नेटवर्क के समुदाय संसाधन व्यक्तियों (सी.आर.पी.) के माध्यम से कराए जा सकते हैं। इसके अलावा समिति ने यह सिफारिश की है कि प्रमुख और एजेंसी कार्यों वाले क्षेत्रों वाली पंचायत में कार्यरत सभी कार्मिक अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होने चाहिए। पात्रता, भर्ती प्रक्रिया, विशिष्ट करियर विकास योजना और प्रशिक्षण फ्रेमवर्क की सिफारिशें भी की गईं हैं।

8.3 अंत्योदय ग्राम पंचायतों/कलस्टरों के लिए ग्राम पंचायतों/कलस्टर स्तर पर मानव संसाधन संरचना में फास्ट ट्रैक मोड पर रोल को तर्कसंगत बनाने, क्षमता–वृद्धि और अभिसरण की जरूरत है। ग्राम पंचायत स्तर अथवा उसके नीचे के स्तर पर नियुक्त किए गए सभी मानव संसाधनों को मिलाकर एक मल्टी डिसीप्लीनरी टीम बनानी चाहिये। इस प्रकार के संसाधन डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम, ए.एन.एम. और स्वास्थ्य संबंधी आशा कर्मियों, सर्व शिक्षा अभियान के अधीन क्लस्टर संसाधक केन्द्र समन्वयकों, मनरेगा के तहत रोजगार सेवकों, आंगनवाड़ी कर्मियों, आजीविका कृषक मित्रों आदि स्वैच्छिक संगठनों एवं क्लस्टर स्तरीय संघों के सदस्य में से लिये जा सकते है। इन कर्मियों/मानव संसाधनों को वेतन/मजदूरी के साथ–साथ कार्य उपलब्धि को लेकर एक मिश्रित प्रणाली के तहत भुगतान किया जा सकता है। मनरेगा के तहत प्रमुख कार्मिकों और अन्य कार्मिकों (अर्थात सहायकों) को बेयरफुट इंजीनियर के रूप में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। इसी तरह से विभिन्न योजनाओं के अधीन डाटा एंट्री ऑपरेटरों को सभी योजनाओं से संबंधित एम.आई.एस. में आंकड़े डालने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

8.4 चूंकि 'मिशन अंत्योदय' में केंद्र सरकार के स्तर पर लगातार समन्वयन, अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की आवश्यकता है, अतः आशा है कि ग्रामीण विकास विभाग में अर्हता प्राप्त कर्मियों वाला समर्पित प्रकोष्ठ सृजित किया जाएगा। यह सिफारिश की जाती है कि राज्यों में उपयुक्त स्तरों पर ऐसे प्रकोष्ठ सृजित किए जाएं।

9. वित्तपोषण
(FUNDING)

9.1 माननीय वित्त मंत्री ने अगस्त, 2017 में इस बात पर बल देते हुए कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2016–17 में 7.1% बढ़ी है, मध्यावधि व्यय फ्रेमवर्क (एम.टी.ई.एफ.) विवरण प्रस्तुत किया है। मनरेगा, एन.एस.ए.पी., डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम., पी.एम.जी.एस.वाई., पी.एम.ए.वाई.–जी., एस.पी.एम.आर.एम. इत्यादि के लिए बढ़े हुए आवंटन के साथ अगले दो वित्त वर्षों में ग्रामीण विकास के बजट में 7%–11% की वृद्धि का अनुमान है। स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल एवं स्वच्छता, कृषि, एम.एस.एम.ई., ऊर्जा जैसे अन्य मंत्रालयों और विभागों से निधियां इकट्ठी करते हुए 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत अभिसरण (convergence) से संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते है। इस अतिरिक्त फंड का एक मुख्य अंश आजीविका हेतु दीनदयाल उपाध्याय–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत उपलब्ध रहेगा। पात्र एस.एच.जी. के लिए परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश निधि संबंधी वित्त पोषण जरूरतों को पूरा करने के प्रयोजनार्थ आजीविका के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध करायी जाएंगी। बढ़े हुए बैंक लिंकेजों के जरिए ये सभी उपाय आजीविका के लिए संसाधनों में वृद्धि करेंगे।

9.2 इसके अलावा, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 2016 में व्यय विभाग द्वारा जारी किए गए 'फ्लेक्सी–फंड्स' दिशा–निर्देशों के उन प्रावधानों का उपयोग कर सकते हैं, जो 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत ग्राम पंचायत के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण उपलब्ध कराने हेतु उल्लिखित प्रक्रियाविधि का अनुपालन करते हुए राज्य को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत आवंटन के 25% का फ्लेक्सी फंड के रूप में उपयोग करने की अनुमति देते हैं।

9.3 चूंकि 'मिशन अंत्योदय' चुनिंदा ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के तय समय सीमा में विकास हेतु विभिन्न डिलीवरी तंत्रों में सामंजस्य लाने के लिये एक मॉडल फ्रेमवर्क है, इसलिये इसमें अलग से किसी बजट शीर्ष की परिकल्पना नहीं की गयी है।

10. सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) कार्यकलाप

(INFORMATION EDUCATION AND COMMUNICATION (IEC) ACTIVITIES)

'मिशन अंत्योदय' पर लिए गए निर्णय के व्यापक प्रचार–प्रसार और ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी के लिए यह जरूरी होगा कि उत्साह दिलाया जाये ताकि जमीनी स्तर पर भागीदारी को प्रेरित किया जा सके। देश में अच्छे कार्यों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं:

- कार्यक्रम को आकर्षक और सार्थक स्थानीय नाम दिया जा सकता है
- साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान आदि की तर्ज पर अभियान चलाया जा सकता है
- ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रमुखों और सदस्यों को मुख्यमंत्री/मंत्री के पत्रों के रूप में औपचारिक संदेश भेजे जा सकते हैं
- कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत अनेक स्तरों पर की जानी चाहिए
- निम्नलिखित को शामिल करते हुए राज्य, जिला और ब्लॉक, ग्राम पंचायत/क्लस्टर स्तर पर स्पष्टीकरण संबंधी बैठकों का आयोजन किया जा सकता है:
    - संसद सदस्यों और विधायकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधि
    - सभी विभागों के अधिकारी
    - संसाधन व्यक्ति और प्रशिक्षक
    - पंचायतों के साथ कार्यरत संगठन
    - समुदाय/नागरिक
    - स्थानीय राय देने वाले, धार्मिक नेता, पारंपरिक नेता
    - राजनीतिक दल, एस.एच.जी., सहकारी संस्थान
    - शैक्षणिक संस्थान
    - मीडिया
    - ग्राम स्तरीय समिति
- समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न, स्थानीय केबल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल, सामाजिक मीडिया, ग्राम पंचायत वेबसाइट आदि पर ध्यान देते हुए मीडिया योजना बनाना
- लोक अभियान एवं नुक्कड़ नाटक, पोस्टर अभियान, विवरणिका/पंफलेट जैसे पारंपरिक और गैर–पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जा सकता है

11. ग्राम पंचायतों को आर्थिक सहायता (INCENTIVES TO GRAM PANCHAYATS)

11.1 ऐसी ग्राम पंचायत/क्लस्टर जो ग्राम पंचायत विकास योजना में यथापरिकल्पित कार्य पूरा करते हैं, उन्हें मिशन मोड के दौरान मिलती रहने वाले फंड की उपलब्धता जारी रहेगी। इसके अलावा ऐसी ग्राम पंचायतों को ऐसी उपलब्धियों के लिए उच्च क्रम वाली परियोजनाओं के माध्यम से मिलने वाली निधि सहायता के अलावा आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा, इसके लिए सरकार ने ऐसी ग्राम पंचायतों को नए विकास पथ पर लाने के लिए पुरस्कृत करने हेतु 15वें वित्त आयोग को संदर्भ तैयार करने के लिए प्रस्ताव दिया है। ऐसी ग्राम पंचायत की आय में गैर–कृषि गतिविधियों द्वारा वृद्धि करने पर ध्यान दिया जाएगा।

11.2 समृद्धि के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की उपलब्धि की मान्यता स्वरूप ऐसी ग्राम पंचायतों में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा स्थापित की जायेगी।

11.3 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत सर्वोत्तम कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के लिए 'अंत्योदय पुरस्कार' का प्रस्ताव है।

12. निगरानी एवं मूल्यांकन (MONITORING AND EVALUATION)

12.1 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत चार–स्तरीय निगरानी फ्रेमवर्क की परिकल्पना की गयी है:

(क) 'मिशन अंत्योदय' में महत्वपूर्ण संकेतकों के आधार पर इस उद्देश्य के लिए बनाए गए एम.आई.एस. के माध्यम से प्रगति को मापने की आवश्यकता है। 'मिशन अंत्योदय' गांवों/क्लस्टरों के लिए डाटा को इस वेब पोर्टल पर राज्य के पदस्थ नोडल अधिकारियों के माध्यम से अपलोड किया जाएगा। क्लस्टरों में लक्षित पहलों के लिए एम.आई.एस. के माध्यम से विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तैयार की जा सकेगी। मिशन अंत्योदय के अंतर्गत एम.आई.एस. के द्वारा महत्वपूर्ण विकास संकेतकों की बेसलाइन डाटा के संदर्भ में प्रगति का मूल्यांकन किया जाना है।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय चुनिंदा ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों निर्धारित विषयों पर 'मिशन अंत्योदय' का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करा सकता है।

(ग) ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है। 'मिशन अंत्योदय' ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में भी सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(घ) जिला स्तर पर 'मिशन अंत्योदय' के वेब पोर्टल को 'दिशा' (DISHA) पोर्टल के साथ जोड़ा जायेगा ताकि 'मिशन अंत्योदय' ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में अभिसरण (कन्वर्जेंस) आधारित कार्यों को बल मिले।

12.2 'मिशन अंत्योदय' के अंतर्गत प्राप्त की गई उपलब्धियों का प्रतिष्ठित तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा 500 दिनों (योजना की प्रगति के दौरान) और 1000 दिनों के बाद मूल्यांकन किया जाएगा। इन मूल्यांकनों संबंधी रिपोर्टों से 'मिशन अंत्योदय' के अगले चरण के अंतर्गत ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों के अगले समूह में पहलों को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

अनुबंध

अनुबंध–1

एस.ई.सी.सी. 2011 में निर्धारित अभाव संकेतक
(Identified Deprivation Indicators under SECC 2011)

विवरण	अभावग्रस्त परिवार	अपेक्षित पहलें
कच्ची दीवारों वाला घर और कच्ची छत वाला शून्य अथवा एक कमरे वाला घर (डी1)	2,37,31,674	• पी.एम.ए.वाई. ग्रामीण डी.ए.वाई.–एन.आर.एल.एम. • मनरेगा योजना • डी.डी.यू.–जी.के.वाई./आर.एस.ई.टी.आई. • एन.एस.ए.पी. • आजीविका • शिक्षा/कौशल • पशु संसाधन • गैर–कृषि विकल्प • बाजार/मूल्य • सामाजिक पूंजी • बैंक लिंकेज • उद्यम • व्यवसायिक • बागवानी • जैविक • स्वास्थ्य • पोषण • एस.बी.एम.
16 से 59 वर्ष के बीच की आयु वाला कोई वयस्क सदस्य नहीं (डी2)	65,15,205	
16 से 59 वर्ष के बीच की आयुवर्ग के बिना वयस्क पुरूष सदस्य वाले महिला प्रमुख परिवार (डी3)	68,96,014	
दिव्यांग सदस्य और विकलांग वयस्क सदस्य वाले परिवार (डी4)	7,16,045	
अ.जा./अ.ज.जा. परिवार (डी5)	3,85,82,225	
25 वर्ष से अधिक आयु वाला निरक्षर वयस्क (डी6)	4,21,47,568	
दिहाड़ी मजदूरी करने वाले भूमिहीन परिवार (डी7)	5,37,01,383	

अनुबंध–2

‘मिशन अंत्योदय’ के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों का आवंटन
(Allocation of GPs to States/UTs under 'Mission Antyodaya')

क्र. सं.	राज्य/सं.शा. प्रदेश	ग्राम पंचायतों की संख्या	ग्राम पंचायतों का आवंटन/10 ग्राम पंचायत का ग्रामीण कलस्टर
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	286	47
2	आंध्र प्रदेश	13713	2584
3	अरुणाचल प्रदेश	2041	356
4	असम	3044	570
5	बिहार	9106	1793
6	चंडीगढ़	15	2
7	छत्तीसगढ़	11158	2287
8	दादरा और नगर हवेली	23	4
9	दमन और दीव	18	3
10	गोवा	207	31
11	गुजरात	14565	2630
12	हरियाणा	6432	1108
13	हिमाचल प्रदेश	3371	541
14	जम्मू और कश्मीर	4867	851
15	झारखंड	4728	898
16	कर्नाटक	6485	1126
17	केरल	1200	195
18	लक्षद्वीप	11	2
19	मध्य प्रदेश	23610	4622
20	महाराष्ट्र	28816	5227
21	मणिपुर	3058	579
22	मेघालय	6260	1268
23	मिजोरम	935	183
24	नागालैंड	1238	247
25	ओडिशा	6665	1342
26	पुदुचेरी	113	20
27	पंजाब	13399	2190
28	राजस्थान	10451	1959
29	सिक्किम	187	33
30	तमिलनाडु	13640	2509
31	तेलंगाना	9211	1622
32	त्रिपुरा	1284	249
33	उत्तर प्रदेश	60618	10783
34	उत्तराखंड	8170	1374
35	पश्चिम बंगाल	3831	764
	कुल	**2,72,756**	**50,000**

अनुबंध–3

ग्राम पंचायत के निष्पादन और परिवार की खुशहाली की स्थिति का मापन (Measuring Gram Panchayat Performance and Wellbeing of Households)

1. Basic Parameters:

राज्य का कोड	**राज्य का नाम**	
जिले का कोड	जिले का नाम	
सी.डी. ब्लॉक का कोड	सी.डी. ब्लॉक का नाम	
ग्राम पंचायत का कोड	ग्राम पंचायत का नाम	
गांव का कोड	गांव का नाम	**गांव का पिन कोड**

आधारभूत पैरामीटर	**वेटेज**
कुल जनसंख्या	
पुरूष	
महिला	
कुल परिवार	
प्रोत्साहित एस.एच.जी. की कुल संख्या	
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
कुल बोया गया क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
कुल असिंचित भूमि क्षेत्र (हेक्टेयर में)	
सिंचित क्षेत्र (हेक्टेयर में) 0%, <20%, 20-40%, 40-60%,60-80%,>80%	>80%=4, 60-80%=3, 40-60%=2, 20-40%=1, <20%=0

II. मुख्य अवसंरचना पैरामीटरः

क्र.सं.	मुख्य पैरामीटर	वेटेज	टिप्पणी
	अवसंरचना संबंधी पैरामीटर		
1.	विशेष रूप से नियुक्त परिवारों का प्रतिशत %		
क.	कृषि कार्यकलाप		
ख.	गैर–कृषि कार्यकलाप	5	>50%
2.	क्या गांव में बैंक है (हां–1, नहीं–2)		यदि हां तो 5
	यदि गांव में उपलब्ध नहीं है, तो जहां सुविधा उपलब्ध है वहां से सबसे नजदीक स्थान का दूरी कोड बताएं; (<3 कि.मी.–1; 3–5 कि.मी.–2; 5–10 कि.मी.–3, >10कि.मी.–4)		विकल्प 1 के लिए 4 विकल्प 2 के लिए 3 विकल्प 3 के लिए 2 विकल्प 4 के लिए 0
3.	यदि गांव में बैंक नहीं है तो क्या इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ बैंकिंग बिजनेस कोरेसपोंडेंट है?	2	यदि हां और प्रश्न 5 का उत्तर 'कोई नहीं' है
4.	क्या गांव में ए.टी.एम. है? (हां–1; नहीं–2)	1	यदि हां
5.	क्या गांव बारहमासी सड़क से जुड़ा है? (हां–1; नहीं–2)	5	यदि हां
6.	क्या गांव में आंतरिक सी.सी./ब्रिक रोड है (हां–1; नहीं–2)	4	यदि हां
7.	क्या गांव में सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध है? (बस–1; वैन–2; ऑटो–3; कुछ नहीं–4)	3	विकल्प 4=0
8.	क्या गांव में इंटरनेट कैफे/आम सेवा केंद्र है? (हां–1; नहीं–2)	2	
9.	क्या गांव में घरेलू उपयोग के लिए बिजली की उपलब्धता है? (1–4 घंटे–1; 5–8 घंटे–2; 9–12 घंटे–3; >12 घंटे – 4; बिजली नहीं है–5)	4	विकल्प 1=1; 2=2; 3=3; 4=4; 5=0
10.	क्या गांव में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) है? (हां–1; नहीं–2)	1	यदि हां
11.	बाजार (मंडी–1; नियमित बाजार–2; साप्ताहिक हाट–3; कुछ नहीं–4)	3	
12.	यदि गांव में नहीं है तो उस स्थान से दूरी का कोड जहां यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है ; (<5किमी.–1; 5–10 किमी.–2; >10 किमी.–3)		
13.	गांव में पाइप के जरिए जलापूर्ति (1) कवर की गई 100% बसावटें (2) कवर की गई 50 से 100% बसावटें (3) कवर की गई <50% बसावटें (4) केवल एक बसावट कवर की गई है (5) कवर की गई	4	विकल्प 1 =4 विकल्प 2 =3 विकल्प 3 = 2 विकल्प 4 = 1 विकल्प 5 = 0
14.	गांव में टेलिफोन सेवा (लैंडलाइन–1; मोबाइल–2; दोनो–3; कोई नहीं–4)	2	
15.	खाना पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने वाले परिवारों की कुल संख्या (एल.पी.जी./बायो गैस)	4	<25% = 1 25%-50%=2 50%-75%=3 >75% =4 स्वच्छ ईंधन प्रयोग करने वाले परिवार = 0

16.	कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले परिवारों की संख्या **कच्ची दीवार**–1 घास/छप्पर/बांस आदि 2 प्लास्टिक/पॉलिथीन 3 गारा/कच्ची ईंट 4 लकड़ी 5 पत्थरों की बिना चूने के चिनाई **कच्ची छत–1** घास/छप्पर/बांस/लकड़ी/गारा आदि 2 प्लास्टिक/पॉलिथीन 3 हाथ से बनाई गई टाइलें	5	<20% = 5 20%-40%=4 40%-60%=3 60-80%=2 >80% = 1
17.	गांव में डाकघर/उप–डाकघर (हां–1; नहीं–2)	1	
18.	गांव में विद्यालय (प्राथमिक–1; माध्यमिक विद्यालय–2; उच्च विद्यालय–3; उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–4; कोई विद्यालय नहीं–5)	4	विकल्प 4 = 4 विकल्प 3=3 विकल्प 2=2 विकल्प 1 = 1 विकल्प 5 = 0
19.	क्या गांव में व्यावसायिक शिक्षा केंद्र/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/ आर.एस.ई.टी.आई./डी.डी.यू.–जी.के.वाई. हैं? (हां–1; नहीं–2)	2	यदि हां
20.	गांव में उप केंद्र/पी.एच.सी./सी.एच.सी.	3	
	यदि गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, तो उस नजदीक स्थान का दूरी का कोड, जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं; (<5कि.मी.–1; 5–10 कि.मी.–2; >10 कि.मी.–3)		<5 कि.मी.- 2 5-10 कि.मी.-1 >10 कि.मी.-0
21.	क्या गांव में पशु क्लिनिक/अस्पताल है? (हां–1; नहीं–2)	2	
22.	यदि गांव में सुविधा उपलब्ध नहीं हैं, तो उस नजदीक स्थान का दूरी का कोड, जहां ये सुविधाएं उपलब्ध हैं; (<5कि.मी.–1; 5–10 कि.मी.–2; >10 कि.मी.–3)		<5 कि.मी.-1 >5 कि.मी.-0
23.	क्या गांव में जल निकासी व्यवस्था है (बंद निकासी–1; टाइल स्लैब से कवर की गई खुली पक्की निकासी–2; बिना ढकी खुली पक्की निकासी–3; खुली कच्ची निकासी–4; कोई निकासी नहीं–5)	4	विकल्प 1=4 विकल्प 2=3, विकल्प 3 =2, विकल्प 4=1 विकल्प 5 =0
	आर्थिक विकास एवं आजीविका		
24.	क्या गांव में मृदा जांच केंद्र है? (हां–1; नहीं–2)	2	यदि हां
25.	क्या गांव में सरकारी बीज केंद्र है? (हां–1; नहीं–2)	1	यदि हां
26.	क्या गांव में उर्वरक दुकान है? (हां–1; नहीं–2)	1	यदि हां
	स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता		
27.	क्या गांव में सामुदायिक अपशिष्ट निपटान प्रणाली है? (हां–1; नहीं–2)	2	यदि हां
28.	क्या गांव में सामुदायिक बायो गैस या उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट का रिसाइकिल (हां–1; नहीं–2)	3	यदि हां
29.	क्या गांव खुले में शौच से मुक्त है (ओ.डी.एफ.) (हां–1; नहीं–2)	3	यदि हां
30.	क्या गांव में आंगनवाड़ी केंद्र है (हां–1; नहीं–2)	1	यदि हां
31.	0–3 वर्ष की आयु समूह के बच्चों की कुल संख्या		
32.	आंगनवाड़ी के तहत 0–3 वर्ष की आयु के पंजीकृत बच्चों की संख्या	2	यदि >80%=2 60%-80%=1 <60%=0

33.	0–3 वर्ष की आयु के प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या	3	यदि >95% =3 90-95%=2 80-90%=1 अन्य 0
34.	आई.सी.डी.एस. रिकॉर्ड के अनुसार अविकसित श्रेणी में रखे गए बच्चों की संख्या	4	>90% = 4,80-90%=3 70-80%=2,60-70%=1 <60%=0
	महिला सशक्तीकरण		
35.	एस.एच.जी. में संगठित परिवारों की संख्या	3	यदि >= 80% = 3,यदि 50% से 80% =2, यदि 25% से 50% = 1, 25% से कम = 0
36.	उत्पादक समूहों (पी.जी.) में संगठित परिवारों की संख्या	2	यदि >= 25% = 2 ; 10%-25% = 1, अन्य 0
37.	गांव आधारित कृषि विस्तार कामगारों द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	1	यदि >= 25% = 1; अन्य 0
38.	गांव आधारित पशुधन विस्तार कामगारों द्वारा सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	1	अन्य >= 25%; अन्य 0
39.	**वित्तीय अंतर्वेशन**		
40.	बैंक ऋण प्राप्त करने वाले एस.एच.जी. की संख्या	3	यदि >= 80% = 3, यदि 50% से 80% =2, यदि 25% से 50% = 1, 25% से कम = 0
	कुल	**100**	

अनुबंध–4

'ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में बेहतर परिणामों के लिए निष्पादन आधारित भुगतान समिति' की सिफारिशों का सार

(Summary of Recommendations by Performance Based Payments Committee for better outcomes in Rural Development Programmes)

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पूर्णकालिक सचिव होना चाहिए जो कि नियमित कर्मचारी हो। 10,000 अथवा इससे अधिक आबादी वाली बड़ी ग्राम पंचायतों के लिए राजपत्रित रैंक/समूह–ख के एक पंचायत विकास अधिकारी की सिफारिश की गई है।

2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक तकनीकी सहायक होना चाहिए। मौजूदा ग्राम रोजगार सहायकों को जलापूर्ति और स्वच्छता से संबंधित कार्यों सहित आवश्यक अभियांत्रिकी कार्य करने के लिए बेयरफुट तकनीशियनों के रूप में औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इन कार्यकर्ताओं को विकास प्रशासन में सचिव की सहायता भी करनी चाहिए। इस व्यवस्था में 10,000 से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों और 10,000 से अधिक आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए डिप्लोमा या डिग्री के साथ एक योग्य कर्मचारी की आवश्यकता की सिफारिश की गई है। यद्यपि, व्यवहार्यता में राज्य छोटे आकार वाली ग्राम पंचायतों के मामले में ग्राम पंचायतों का एक कलस्टर बना सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तकनीकी सहायक के पास पर्याप्त कार्य है।

3. आई.टी. और लेखा के लिए सहायक स्टाफ के संबंध में, छोटी ग्राम पंचायतों (10,000 से कम आबादी वाली) में सामुदायिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) अथवा एस.एच.जी. नेटवर्क से प्रशिक्षित सी.आर.पी. आउटसोर्स करने की सिफारिशें की गई है। बड़ी पंचायतों में प्रशिक्षित सी.आर.पी. को प्राथमिकता देते हुए नियमित स्टाफ अथवा अधिक औपचारिक आउटसोर्स स्टाफ लगाया जा सकता है।

4. सभी कर्मचारियों के पास अनिवार्य रूप से अपना कार्य करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए और मौजूदा कर्मचारियों को राज्य की सहायता से निर्धारित अवधि में जरूरी दक्षता प्राप्त करनी चाहिए।

5. 10,000 से कम आबादी वाली छोटी ग्राम पंचायतों वाले राज्यों में ग्राम पंचायतों के कलस्टर के लिए पर्याप्त अर्हताओं, विशेष रूप से अभियांत्रिकी, लेखा एवं आई.टी. से संबंधित नियमित स्टाफ के पद सृजित किए जा सकते हैं। यदि यह व्यवहारिक न हो तो कम से कम ब्लॉक स्तर पर पद सृजित किए जा सकते हैं ताकि सेवा के प्रकार, दौरों की निरंतरता, निष्पादन का प्रमाणन, जवाबदेही आदि से संबंधित स्पष्ट मानदंडों के साथ ग्राम पंचायत को सेवा उपलब्ध कराई जा सके। समिति का ऐसा मानना है कि मानव संसाधन सहायता का ईष्टतम उपयोग करने के लिए छोटी और कम आबादी वाली पंचायतों वाले राज्यों में पंचायतों का कलस्टर तैयार करना अति महत्वपूर्ण है। पी.ई.एस.ए. और पर्वतीय क्षेत्रों में भौगोलिक आकार, कम आबादी के आधार पर राज्य कार्य निर्धारण कर सकते हैं। (पैरा 3.2, उप–पैरा 1)

6. ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय विभिन्न पदों वाले सभी मौजूदा स्टाफ के लिए व्यापक क्षमता फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए राज्यों की सहायता करें। (पैरा 3.2, उप–पैरा 2)

7. पंचायत सचिवों की नई भर्ती के लिए योग्यता कम से कम स्नातक के साथ कंप्यूटर पर कार्य करने के ज्ञान होना चाहिए जिसे उचित रूप से जांचे जाने की आवश्यकता है। पंचायत सचिवों को दो चरणों में कम से कम 16 हफ्तों का शुरूआती प्रशिक्षण लेना चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 3)

8. ग्राम पंचायत के सभी कार्मिकों को प्रतिवर्ष कम से कम एक सप्ताह का पुनश्चर्या प्रशिक्षण दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

9. राज्यों में मौजूदा स्टाफ की भर्ती पारदर्शी, प्रतिभा आधारित, सही और औपचरिक संस्थाओं द्वारा की जानी चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 4)

10. स्थाई कर्मियों का करियर मार्ग स्पष्ट रूप से परिभाषित होना चाहिए। जहां तक संभव हो उन्हें उपयुक्त राज्य संवर्गों में शामिल होने का निष्पक्ष मौका दिया जाना चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 5)

11. संविदा वाले कर्मियों के लिए न्यूनतम अर्हताएं एवं कठिन चयन प्रक्रिया का सुझाव दिया जाता है। अच्छे निष्पादन के लिए प्रोत्साहन के रूप में राज्य संविदा वाले ऐसे कर्मियों के लिए, जो निर्धारित समयावधि को पूरा कर चुके हैं, पंचायतों में स्थाई पदों के प्रतिशत के निर्धारण पर ध्यान दे सकते हैं बशर्ते उनके पास न्यूनतम योग्यता हो। यह चयन उपर्युक्त उल्लिखित उसी मोड के माध्यम से होना चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 6)

12. आउटसोर्सिंग के मामले में अर्हताएं एवं अनुभव मानदंड भी उल्लिखित किए जाने चाहिएं। (पैरा 3.2, उप–पैरा 7)

13. ऐतिहासिक कारणों से इंटरमीडिएट पंचायतों एवं जिला पंचायतों में सापेक्ष रूप से बेहतर एच.आर. सहायता है। तथापि, इंजीनियरिंग एवं आई.टी. में कार्यभार बढ़ने के कारण, विशेष रूप से ग्राम पंचायत के स्तर पर समिति अनुभव करती है कि इंटरमीडिएट स्तर पर इंजीनियरिंग एवं आई.टी. में पर्याप्त सुपरवाइजरी पद होने चाहिए। जिला पंचायतों के मामले में समिति रिपोर्ट के अध्याय 7 में वर्णित तंत्र की स्थापना की सिफारिश करती है। (पैरा 3.2, उप–पैरा 8)

14. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु पेशेवर सहायता अलग से दी जाती है। ट्रेजरी प्रणाली के माध्यम से निधियों के अंतरण को सरल एवं कारगर बनाया गया है। इसलिए जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण (डी.आर.डी.ए) को बनाए रखने का औचित्य कम है। ऐसे राज्यों में जहां जिला डी.आर.डी.ए को जिला पंचायतों के साथ विलय नहीं किया गया है वहां जिला पंचायतों के साथ डी.आर.डी.ए. का विलय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 9)

15. सभी पंचायत स्तरीय/पंचायत में संबंधित विभागों के ग्राम स्तरीय कर्मियों के कार्य का संबंधित पंचायत द्वारा पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जाएगी। इसमें समावेशी एवं प्रभावी पहुंच एवं सेवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए निष्पादन की समीक्षा, निरीक्षण कार्य, निष्पादन रिपोर्टों एवं व्यवस्थित समुदाय आधारित निगरानी के लिए प्रस्ताव शामिल होगा। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए शिकायतों को पंचायत द्वारा ब्लॉक अथवा जिला स्तर पर भेजा जाएगा। एक कार्यकारी शिकायत निपटान तंत्र होना चाहिए। (पैरा 3.2, उप–पैरा 10)

16. ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों को अनुदेश जारी करेगा ताकि वे मौजूदा योजना–विशिष्ट स्टाफ को विविध कार्य सौंप सके, यद्यपि पर्याप्त सतर्कता रखते हुए ताकि योजना का कार्यान्वयन किसी भी तरीके से प्रभावित न हों। (पैरा 3.2, उप–पैरा 11)

17. ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज एवं पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय संयुक्त रूप से सुनिश्चित करेंगे कि प्रशासनिक लागतों के लिए निर्धारित निधियों को योजनाओं से एकत्र किया जाए और राज्यों को स्वतंत्रता दी जाए कि वे ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर मानव संसाधन संबंधित लागतों के लिए इन निधियों को खर्च करें। (पैरा 3.2, उप–पैरा 12)

18. 1–17 तक सिफारिशों की त्वरित जानकारी मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों/क्लस्टरों में ली जा सकती है।

19. कार्यालय अवसंरचना पर एकबारगी पर्याप्त अपरिहार्य पूंजी लागत के अलावा ग्राम पंचायतों के आकार एवं जनसंख्या में व्यवहार्यता कुशल सेवा प्रदायगी एवं स्थायी मानव संसाधन सहायता दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि नई और छोटी पंचायतों के निर्माण पर

अभी ध्यान न दिया जाए। समिति सिफारिश करती है कि जिन राज्यों में छोटी पंचायतें हैं वे ऐसी पंचायतों के विलय पर ध्यान दें ताकि उन्हें व्यवहार्य बनाया जा सके। (पैरा 3.2, उप–पैरा 14)

20. इन सिफारिशों के परिचालन में महत्वपूर्ण कमी के लिए वित्तीय पोषण आवश्यक होने के घटना क्रम में संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में राज्यों को एच.आर. के सुदृढ़ीकरण के लिए 3 साल की सहायता को शामिल किया जा सकता है। (पैरा 3.4)

21. प्रत्येक ब्लॉक में कनिष्ठ अभियंताओं (जे.ई.) की संख्या वर्तमान स्तर में औसतन 4 अथवा 5 से लगभग 10 तक ऊपर जाएगी। इस सुदृढ़ीकरण के लिए वार्षिक रूप से लगभग 1,000 करोड़ रूपए तक की निधियों की आवश्यकता होगी जिन्हें राज्यों के साथ साझा पद्धति के आधार पर उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

22. पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में पंचायतों को मौजूदा मानव संसाधन सहायता प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सभा संगठितकर्ता, इंटरमीडिएट में एक पी.ई.एस.ए. समन्वयक, जिले में एक पी.ई.एस.ए. समन्वयक तथा अन्य प्रावधानों जैसे नियमित मार्गदर्शन हेतु गैर सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) को ठेका देना, आई.ई.सी. कार्यकलाप एवं पूर्वोत्तर तथा पर्वतीय राज्यों को आवश्यकतानुसार 25% तक उनकी इकाई लागत को बढ़ाने की छूट देने को पारिश्रमिक में उपयुक्त उर्ध्वगामी संशोधन एवं अन्य भत्तों सहित आने वाले वर्षों में जारी रखा जा सकता है ताकि ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मियों को प्रोत्साहित किया जा सके। (पैरा 3.5)

23. एस.एच.जी. नेटवर्क के मानव संसाधनों का उपयोग विशेष कार्यों को करने के लिए प्रशिक्षित कार्यकलाप समूहों के रूप में, विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए एस.एच.जी. में से प्रशिक्षित सी.आर.पी. के रूप में और ग्राम सभाओं के दौरान भागीदारी बढ़ाकर किया जा सकता है। ग्राम पंचायत एवं ग्राम संगठन मानव संसाधनों के प्रावधानों से संबंधित समझौता कर सकते हैं।

24. संभावित सामान्य कार्य जैसे कि ग्राम सभा का आयोजन, सूचना, शिक्षा संचार, समुदाय आधारित निगरानी, सेवाएं, जिनमें एस.एच.जी. के मानव संसाधनों का उपयोग किया जा सकता है। (पैरा 4.9–4.12)

25. मनरेगा योजना के कार्यान्वन में एस.एच.जी. नेटवर्क का प्रयोग उनको मांग का पंजीकरण, कार्यों का निर्धारण, कार्य को संगठित करने एवं रिकॉर्ड कीपिंग, अर्धकुशल कार्यों, बेयरफुट टेकनीक के रूप में पहला निर्धारण, कमियों एवं शिकायतों का निर्धारण (पैरा 4.13) जैसी जिम्मेवारियां सौंपकर किया जा सकता है।

26. ग्राम संगठन (वी.ओ.) का उपयोग ग्राम पंचायतों को सर्वेक्षण करने, बच्चों, वृद्धों, प्राकृतिक संसाधनों, दिव्यांगों तथा इस प्रकार अन्य विषयों पर स्थिति अध्ययनों की तैयारी, छोटे सार्वजनिक कार्यों को निष्पादित करने, महोत्सव एवं अभियान आयोजित करने, देखभाल एवं सेवाभाव की योजनाओं, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एस.डब्ल्यू.एम.) जैसी नागरिक सेवाओं की प्रदायगी में मदद करके किया जा सकता है। (पैरा 4.15)

27. सी.आर.पी. को कार्यस्थल पर्यवेक्षण, कार्य मापन, खातों का रखरखाव, बेयरफुट लेखा परीक्षकों के रूप में लेखा–परीक्षों के रूप में लेखा–परीक्षा कार्यों में मदद करना, कर एवं शुल्क संग्रहण, कृषि एवं कृषि संबंधी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी एक्सटेंशन के लिए प्रमाणपत्र, लाईसेंस इत्यादि जारी करना, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता और ऐसे अन्य जैसे क्षेत्रों में व्यवहार बदलाव संचार जैसे विविध कार्यों के निष्पादन के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। (पैरा 4.16)

28. ग्राम पंचायत एवं एस.एच.जी. नेटवर्क के बीच कार्यकारी एवं प्रभावी भागीदारी के लिए वी.ओ. को औपचारिक रूप से वी.पी. की कार्यकारी समितियों का दर्जा दिया जाए, एस.एच.जी. नेटवर्क की स्वायत्तता सुनिश्चित की जाए, एस.एच.जी. के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं सामग्रियां जैसे हैंडबुक, सी.आर.पी. का निर्धारण एवं प्रमाणीकरण, ग्राम पंचायत

एवं ग्राम संगठन के बीच समन्वयन तंत्र स्थापित करना, ग्राम पंचायत एवं ग्राम संगठन के बीच विवाद के समाधान के लिए समस्याओं के समाधानों के उपाय करना। (पैरा 4.18, उप–पैरा 1–7)

29. स्थानीय आयोजन प्रक्रिया, निर्माण कार्य सर्वेक्षण एवं अध्ययन करने में, सामाजिक जवाबदेही को सुधारने, कर एवं शुल्क अदा करने के लिए सामुदायिक एकजुटता, वन अधिकार कानून (एफ.आर.ए.) एवं पी.ई.एस.ए. के अंतर्गत दावे एवं कानूनी मामले, विवाद समाधान, ग्राम पंचायत एवं अन्य संस्थानों के बीच गठबंधन बनाने में गैर सरकारी संस्थाएं (एन.जी.ओ.) ग्राम पंचायतों की सहायता कर सकती है। (पैरा 4.20)

30. खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से खुली एवं पारदर्शी प्रक्रिया का चयन करना एवं भुगतान के लिए नियमों का उल्लेख भी किया जाना चाहिए। एन.जी.ओ. पंचायत की पार्टनर के रूप में कार्य करेगी न कि एक समानांतर निकाय के रूप में ग्राम पंचायतों में एन.जी.ओ. के निष्पादन के मूल्यांकन एवं फीडबैक देने हेतु पर्याप्त प्राधिकरण होने चाहिए। अपनी पसंद की किसी भी एन.जी.ओ. के साथ कार्य करना ग्राम पंचायतों का विशेषाधिकार होना चाहिए। (पैरा 4.21)

31. कार्यकारी समितियां ग्राम पंचायत को लाभार्थियों के एकत्रीकरण, निर्धारण, पेशेवर सहायता देने, निगरानी एवं गुणवत्ता आश्वासन–जिसके लिए स्पष्ट भूमिका एवं कार्यकारी समितियों के लिए आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। (पैरा 4.23)

32. पंचायतों में सामाजिक जवाबदेही को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएं– ग्राम सभा का सुदृढ़ीकरण (ग्राम सभा बैठकों के आयोजन के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार एवं बैठकों के बाद कार्रवाई की जानी है), ग्राम सभाओं से पहले महिला सभाएं आयोजित करना, ग्राम सभाओं के सुदृढ़ीकरण में शैक्षणिक संस्थानों के विशेषज्ञों का उपयोग करना और विशेष रूप से पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में उनकी बैठकों का प्रबंधन करना। {पैरा 5.6–5.11 (उप–पैरा 1–3)}

33. भागीदारीपूर्ण आयोजना एवं बजटिंग, प्रो–एक्टिव डिस्क्लोजर, जनता सूचना प्रणाली, सार्वजनिक पुस्तकालय, सेवाओं की प्रदायगी का अधिकार, नागरिक चार्टर, शिकायत निपटान, लोगों के कांटेक्ट दिन, निर्धारित बजट के प्रभावी उपयोग के लिए स्थिति अध्ययन की तैयारी, भागीदारीपूर्ण मूल्यांकन, भागीदारीपूर्ण व्यय की जानकारी, समुदाय आधारित निगरानी, नागरिक स्कोर कार्ड, नागरिक ज्यूरी/पैनल, पंचायतों की सामाजिक लेखा–परीक्षा। (पैरा 5.12–5.28)

34. सामाजिक लेखा परीक्षकों का विशिष्ट क्षमता–निर्माण, निर्वाचन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों को संगठित किया जाना चाहिए एवं सामाजिक लेखा–परीक्षा के साथ आंतरिक लेखा–परीक्षा को कारगार बनाया जाना चाहिए। (पैरा 5.29–5.30)

35. मिशन अंत्योदय ग्राम पंचायतों में त्वरित प्रचालन के लिए भागीदारीपूर्ण आयोजना, जनता सूचना प्रणाली, नागरिक चार्टर, डिस्क्लोजर, सामाजिक लेखा–परीक्षा और नागरिक स्कोर कार्ड पर ध्यान दिया जाए। (पैरा 5.31)

36. पंचायतों को केवल लेन–देन आधारित सॉफ्टवेयर का उपयोग करने, लेखांकन की डबल एंट्री प्रणाली अपनाने, ऐसा सॉफ्टवेयर जो मूल्यांकन रजिस्टर में कार्य का प्रस्ताव करने से लेकर कार्य को पूरा करने तक प्रत्येक पहलू को कवर करे; ग्राम पंचायत स्तर पर लेन–देन में मदद करने के लिए पंचायत एन्टरप्राईज सॉफ्टवेयर (पी.ई.एस.) की अपग्रेडिंग और इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिना सॉफ्टवेयर चलाने के प्रावधान हेतु पंचायतों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; सूचना के अधिकार (आर.टी.आई.) के संबंध में, पंचायतों को जवाबदेही, विशेष रूप से सामाजिक लेखा–परीक्षा के लिए डाटा जेनरेट करना चाहिए; राज्य के सर्वर के बीच डाटा के एक्सचेंज के प्रोटोकॉल का उल्लेख करना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर पर उसका रखरखाव एन.आई.सी. द्वारा किया जाये, ग्राम पंचायत के मुख्य स्टाफ के पास पर्याप्त आई.सी.टी. क्षमता होनी चाहिए और स्टाफ की कमी के मामले में, राज्य

सामुदायिक सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) के किसी भी आदर्श अथवा व्यक्ति की आउटसोर्स सेवा पर विचार कर सकते हैं; एस.एच.जी. नेटवर्क के सी. आर.पी. आउटसोर्सिंग आधार पर ग्राम पंचायत में आई.सी.टी. अनुप्रयोग के संचालन हेतु प्रशिक्षित किया जा सकता है; सेवाओं की प्रदायगी की गारंटी से और शिकायत के समाधान से संबंधित कुछ अनुप्रयोग बेहतर स्वामित्व हेतु स्थानीय रूप से बनाए जाने चाहिए, मोबाईल आधारित अनुप्रयोग का उपयोग करते हुए एम–प्रशासन से आम लोगों तक पहुँच बढ़ाने में मदद कर सकता है; एन.आई. आर.डी. एवं पी.आर. को विभिन्न पहलुओं के संबंध में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गए सभी आई.सी.टी. अनुप्रयोगों के विषय में जानकारी के आदान–प्रदान के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करना चाहिए। सभी राज्यों और अन्य स्टेकहोल्डरों को अपनी आई.सी.टी. पहलों एवं जहां उन्होंने काम किया है, को साझा करने के लिए एक साथ आना चाहिए, उन्हें एन.आई.आर.डी. एवं पी.आर. के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज से संबंधित आई.सी.टी. पहलों के साथ शुरू करने के लिए अन्य राज्यों/स्टेकहोल्डरों के साथ शुरूआत करने में मदद करनी चाहिए। (पैरा 6.18–6.26)

37. सार्वजनिक परिसंपत्तियों के निर्माण की समवर्ती निगरानी में मदद करने के लिए किसी भी कार्य अथवा कार्यों के समूह के लिए लाभार्थियों की निगरानी समितियां बनायी जा सकती है; मौजूदा एम.आई.एस. प्रणाली में ग्रामीण पंचायतों/इंटरमीडिएट पंचायत के निष्पादन के नियमित और स्वतः चालित फीडबैक में मदद करनी चाहिए; ग्रामीण पंचायतों की स्थायी समितियों को क्षेत्र दौरों ग्राम सभा सदस्यों के साथ चर्चा करना, रिकॉर्डों का सत्यापन और पंचायतों को औपचारिक फीडबैक उपलब्ध कराना; ग्राम सभा को कार्यों एवं कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करना; एस.एच.जी. नेटवर्क द्वारा भागीदारीपूर्ण निगरानी; ग्राम पंचायतों की अधिकारियों के साथ ब्लॉक स्तरीय निर्धारित बैठक; राज्य स्तर पर प्रोत्साहन प्रणाली बनायी जाए, दुर्गम क्षेत्रों में विभिन्नताओं के लिए; जिला–स्तरीय अधिकारियों के दौरे मुद्दों के समाधान के लिए ग्राम पंचायतों में आयोजित करना; मोबाईल अनुप्रयोगों के माध्यम से सार्वजनिक कार्यों की नागरिक निगरानी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए; राज्यों को प्रारूप बनाने चाहिए और पंचायतों के स्व–मूल्यांकन साथ ही अच्छा निष्पादन करने वाली पंचायतों की रैंकिंग के मूल्यांकन को प्रोत्साहन देना चाहिए; पंचायतों तक जिला–स्तरीय फीडबैक प्रणाली के रूप ग्रामीण पंचायत में हेल्पडेस्क; रिक्तियों की जानकारी के लिए एम.आई.एस. की स्थापना; ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन, उच्च संस्थानों अथवा स्वयं राज्यों द्वारा पुनः आरंभ किया जा सकता है और मानव संसाधन सम्बन्धी मुद्दों के समाधान के सुझाव दिये जा सकते है, (पैरा 7.4, उप–पैरा 1–15)

38. पंचायती राज संस्थाओं (पी.आर.आई.) को निष्पादन हेतु सौंपे गए कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए तंत्र स्थापित करना जिसमें ग्राम विकास योजनाओं के अंतर्गत इंजीनियरिंग कार्य, वाटरशेड़ विकास के लिए शुरू किए गए कार्य, जो कार्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) से संबंधित है, जनजातीय कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुदान कवर किए जाने चाहिए। ग्रामीण कार्यों की विभिन्न श्रेणियों, जिनका निष्पादन अथवा पर्यवेक्षण पंचायती राज संस्थान कार्य (पी.आर.आई.) करती है के लिए गुणवत्ता मानक कस्टमाईज एवं तैयार किए जाने की आवश्यकता है। जिला परिषद के एक इंजीनियर को समर्पित टर्म्स ऑफ़ रिफरेन्स (टी.ओ.आर.) जिसमें उसकी भूमिका एवं जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से उल्लिखित हों, के साथ जिला गुणवत्ता समन्वयक के रूप में नियुक्त किया जाए। ग्रामीण कार्यों के गुणवत्ता कोड़ को एकत्र करने के अलावा, राज्य स्तर पर वरिष्ठ इंजीनियरों का कार्यबल ग्रामीण कार्यों की विभिन्न श्रेणियों की क्षेत्र निरीक्षण रिपोर्टों के लिए टैम्पलेट भी बना सकते हैं। जिला–स्तर पर एक चयन समिति आवश्यक संख्या में जिला गुणवत्ता प्रबंधक तैनात कर सकती है और उनके लिए स्पष्ट भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और रिपोर्टिंग लाईन का उल्लेख कर सकती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक तीसरे पक्ष का गुणवत्ता निगरानी तंत्र स्थापित

किया जा सकता है। एप आधारित निगरानी और कार्यों की गुणवत्ता की अपलोडिंग की जा सकती है जिसका उपयोग नागरिकों द्वारा ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यान्वित कार्यों के मामले में किया जा सकता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय एक एंड्रोईड एप तैयार करने पर भी विचार कर सकती है जिसे जिला गुणवत्ता प्रबंधक के स्मार्ट फोन पर अपलोड किया जा सकता है ताकि सत्यापित परिसंपत्तियों, परिसंपत्तियों के ज्यो–टैग किए गए फोटोग्राफ एवं कुछ मौलिक निष्कर्षों को विस्तृत निष्कर्षों के एकत्रीकरण के लिए इलैक्ट्रोनिक रूप से सूचित किया जाए। (पैरा 7.9, उप–पैरा 1–14)

39. सही गुणवत्ता की सामग्री प्राप्त करना, मानक प्रक्रियाओं का अनुपालन करना, प्रयोगशालाओं में परीक्षण कराना, कार्यों एवं कार्यबल के निष्पादन करने वाले इंजीनियरों द्वारा उपयुक्त दस्तावेजीकरण से लेकर सभी चरणों में इंजीनियरों के प्रशिक्षण के साथ–साथ कार्यों के निष्पादन में सावधानी रखी जाने के लिए आयोजना बनानी चाहिए (पैरा 7.10)

40. पी.एम.जी.एस.वाई. के मामले में इसी तरह की गुणवत्ता निगरानी की प्रणाली बनायी जानी चाहिए। बेंच–मार्किंग के लिए विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के माध्यम से सृजित की जा रही सभी प्रकार की परिसंपत्तियों की गुणवत्ता के लिए भी सत्य है। निगरानी फ्रेमवर्क उपयुक्त वेबसाईट और एंड्रोईड चालित मोबाईल एप्लीकेशन द्वारा समर्थित होना चाहिए ताकि पारदर्शिता एवं स्थान विशिष्ट जानकारी प्राप्त की जाए और निगरानी फ्रेमवर्क की कार्यप्रणाली के संबंध में सभी एम.आई.एस. जेनरेट किए जाए। पंचायती राज मंत्रालय को सभी स्तरों पर पंचायतों से संबंधित आवश्यक डाटा एकत्र करने में आगे रहना चाहिए। इसमें क्षेत्र, जनसंख्या, स्टाफ (उनके स्वरूप, योग्यता, नियुक्ति का मोड़, पारिश्रमिक, सेवा की अन्य शर्तें इत्यादि सहित) एवं पंचायत कार्यालय के लिए जरूरी अवसंरचना की उपलब्धता इत्यादि जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। आयोजना प्रस्तावों के लिए, राज्य सांख्यिकी विभाग एवं लाईन विभाग सभी संबंधित डाटा पंचायत–वार बांट सकते हैं और पंचायतों को सौंप सकते हैं। इसके अतिरिक्त पंचायती राज मंत्रालय ने सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से स्थानीय स्तरीय विकास के लिए मौलिक सांख्यिकी का पुनः दौरा कर सकते हैं और इस अनुभव के आधार पर, डाटा आवश्यकताओं को पुर्नपरिभाषित करना और पंचायतों द्वारा एकत्रीकरण एवं मिलान हेतु व्यवस्थित रूप से प्रणाली बनायी जाए। लागत को प्रशासनिक खर्चों के लिए एफ.एफ.जी. अनुदान से अलग रखी गई 10 प्रतिशत निधि से अदा की जा सकती है। (पैरा 7.11, उप–पैरा 1–7)

41. ग्राम पंचायतों के सभी मौजूदा सचिवों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए और पंचायतों के नए सचिवों को कम से कम 6 महीने के लिए कठिन इंडक्शन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। अन्तर्राष्ट्रीय स्वयं संघ की तकनीकी सहायता से ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया मॉड्यूल ग्राम रोजगार सहायकों के लिए अतिरिक्त कौशल प्रदान करने हेतु मुख्य पाठ्यक्रम सामग्री बन सकती है ताकि वे तकनीकी सहायकों के रूप में कार्य कर सकें। आउटसोर्सिंग के लिए उपयोग में लाए गए एस.एच.जी. एवं सामाजिक लेखा – परीक्षा, लेखांकन एवं आई.टी. संबंधित कार्य में लगे हुए सी.आर.पी. को उपयुक्त प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्य क्षेत्रों में मजबूत बनाया जाना चाहिए। सभी कर्मियों को मौलिक आई.टी. कार्यों से युक्त किया जाना चाहिए। पंचायती राज प्रतिनिधियों सहित विभिन्न कर्मियों के लिए तालमेल आवश्यकताओं के संबंध में विशेष प्रशिक्षण आयोजित किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न कर्मियों के लिए एस.डी.जी. प्राप्त करने हेतु एप्रोच के संबंध में विशेष क्षमता–निर्माण प्रदान किया जाना चाहिए। एस.आई.आर.डी. एवं पंचायती राज में गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। (पैरा 8.4, उप पैरा 1–10)

42. क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क में लक्ष्य समूहों का निर्धारण, इस समिति की सिफारिशों के अनुरूप प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन, मौजूदा क्षेत्रों के अलावा अतिरिक्त विषयों का निर्माण, कास्केडिंग मोड में क्षमता निर्माण का आयोजन किया जाना

चाहिए तथा राष्ट्रीय संसाधन व्यक्ति एवं अन्य संस्थाओं के साथ भागीदारी बनाई जानी चाहिए और पंचायत प्रणाली के समग्र दायरे में आने वाले विभिन्न कर्मियों के कारगर कामकाज के लिए उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इस विशाल कार्य को पूरा करने के लिए संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण एवं पर्याप्त रूप से वित्तपोषण प्रबंधन भी अनिवार्य है। (पैरा 8.6)

43. क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क के घटक से संबंधित ब्यौरों में इन्हें शामिल किया जाना चाहिए– एस.एच.जी., कार्यरत एवं स्थायी समितियों के सदस्य, ठेके पर रखे गए कर्मचारी, नागरिक इत्यादि जैसे लक्ष्य समूह; स्थानीय सरकारों का प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, नागरिकों के साथ वार्ता का प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, समय प्रबंधन, विवाद प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, संस्थाओं का प्रबंधन, नागरिकों को विभिन्न प्रकार की जन सेवाएं प्राप्त करने योग्य बनाना, सामाजिक बुराइयों से लड़ना, विस्तारण सेवाएं, पी.ई.एस.ए. क्षेत्रों में विनियामक कार्य, सेवाओं और मल्टीटास्किंग में तालमेल, नागरिकों के साथ जुड़ाव, नैतिकता और जवाबदेही, महिलाओं, बच्चों, वृद्धों, विकलांगों, ट्रांस्जेंडरों इत्यादि से संबंधित मुद्दों के प्रति सामाजिक संवेदनशीलता जैसे अतिरिक्त विषय; ई–शिक्षण साधनों, इलेक्शन मैनुअल की तर्ज पर बनाए गए मॉड्यूल, स्टाफ और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए क्षमता फ्रेमवर्क, बीकॉन ग्राम पंचायत एन.आई.आर.डी. एंड पी.आर. द्वारा प्रशिक्षकों के प्रमाणन, पंचायतों के कामकाज के विभिन्न क्षेत्रों में एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर. द्वारा किए गए अनुसंधान अध्ययन की मदद से गुणवत्ता को बेहतर बनाना; कर्मियों के रूप में निर्वाचित प्रतिनिधि जिसके माध्यम से अवंतिका फाउण्डेशन द्वारा चलाई गई कार्य अनुसंधान परियोजना में कानून द्वारा सौंपे गए कार्यों के अलावा विशिष्ट कार्यों को पूरा करने में निर्वाचित सदस्यों की प्रभाविकता की पुष्टि की गई है; संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण जिसके जरिए एन.आई.आर.डी. एंड पी.आर. कतिपय अग्रणी कार्य करते हैं जैसे कि एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर. की क्षमता बढ़ाना, एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर. के संकाय और प्रशिक्षण, राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण नेटवर्क तैयार करना। दूरस्थ शिक्षा का आयोजन, जिला स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान चरणबद्ध तरीके से बनाया जा सकते हैं; वित्तपोषण जिसे राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) के मामले में जारी रखा जा सकता है और प्रशिक्षण के बजट की गणना ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली कार्यक्रम निधि में की जा सकती है। (पैरा 8.7, उप पैरा 1–6)

44. ग्राम पंचायतें अलग–अलग विभागों के संसाधनों के साथ तालमेल बिठा सकती हैं। मनरेगा के अंतर्गत अलग–अलग प्रकार के कार्यों के लिए कृषि, बागवानी, रेशम कीट पालन, वाटरशेड प्रबंधन, मछली पालन, पशुपालन और डेयरी विकास, वानिकी इत्यादि जैसे विभागों के मानव संसाधनों का औपचारिक रूप से उपयोग किया जा सकता है। अनिवार्यतः जहां कहीं भी सरकारी विभाग में अतिरिक्त क्षमता हो तो ग्राम पंचायत को औपचारिक रूप से इस क्षमता को प्राप्त करने लायक बनाया जाना चाहिए। कार्यों के चयन और कार्यों के भुगतान के संबंध में ग्राम पंचायतें निर्णायक प्राधिकरण होने चाहिए। (पैरा 9.5, उप पैरा 1)

45. उन्नत भारत अभियान में एक ऐसे देश की परिकल्पना की गयी है जिसमे आई.आई.टी., आई. आई.एम से लेकर ग्रेजुएट कॉलेज तक अपने आस की पंचायतों को विभिन्न प्रकार की सहायता करें – पंचायत में और आस–पास के क्षेत्र में सर्वे... और स्थिति अध्ययन कराने, स्थानीय योजना तैयार करने में सहायता, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी, ग्राम सभा के आयोजन में मदद, सामाजिक लेखा परीक्षा के आयोजन में मदद करने के लिए औपचारिक सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ग्रामीण विकास और पंचायती राज तथा उच्चतर शिक्षा के प्रभारी राज्य विभागों द्वारा संयुक्त रूप से शैक्षिक संस्थाओं के साथ तालमेल के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए। (पैरा 9.5, उप पैरा 4)

46. कम्पनियां अपने कॉरपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी (सी.एस.आर.) के जरिए अत्यंत पिछड़े एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिए सीधे पेशेवरों को या विश्वस्त गैर

सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के माध्यम से सहायता प्रदान कर सकती है। खासतौर पर भारत सरकार के अंतर्गत आने वाली उत्कृष्ट संस्थाओं अर्थात आई.सी.ए.आर. और सी.एस.आई.आर. के साथ तालमेल को अनिवार्य बनाया जा सकता है ताकि ग्राम पंचायतों को उनके फील्ड सेंटरों के आंतरिक इलाकों में तकनीकी सहायता मुहैया कराई जा सके और ऐसी सहायता को उनके नियमित आउटरीच प्रोग्रामों में संस्थागत बनाया जा सके। (पैरा 9.5, उप पैरा 5–6)

47. पंचायतों के बीच एक समान तालमेल जहां वे अपने आप को एक क्लस्टर के रूप में समूहबद्ध कर सकते हैं और खासतौर पर जल आपूर्ति एवं कोष अपशिष्ट प्रबंधन जैसे विकास के क्षेत्रों में पेशेवर सहायता प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटा सकते हैं। यहां केवल एक समान तालमेल के जरिए ही मितव्ययिता बरती जा सकती है। (पैरा 9.5, उप पैरा 7)

48. तालमेल की निबंधन एवं शर्तें स्पष्ट रूप से निर्धारित करनी होंगी और इन्हें सरकारी आदेशों के रूप में जारी करना होगा। तालमेल के स्वरूप एवं तौर–तरीकों के विषय में औपचारिक क्षमता निर्माण तथा ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता एवं निर्णय लेने की शक्ति सर्वदा सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारदर्शिता एवं सामाजिक जवाबदेही बरकरार रखी जानी चाहिए तथा तालमेल मोड में कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए और जहां कहीं भी कमियां हैं वहां व्यवस्थाओं का सर्वेक्षण करने एवं इनमें दखल देने की शक्तियां जिला कलेक्टरों को दी जा सकती हैं। (पैरा 9.6, उप पैरा 1–5)

अनुबंध–5

ग्राम पंचायत स्तर की विकास योजनाएं तैयार करने हेतु दिशानिर्देश*
(Guidelines for preparation of Gram Panchayat level Development Plans)*

विषय सूची

1.	प्रसंग	57
2.	ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन का महत्व	58
3.	राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम	60
3.1	ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन को कार्यान्वित करने पर नीतिगत निर्णय	60
3.2	ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश तैयार करना	62
3.3	राज्य स्तर पर वातावरण का निर्माण	63
3.4	समर्थन तंत्र / व्यवस्था	63
3.5	क्षमता निर्माण	68
3.6	जवाबदेही तंत्र	69
3.7	समय–सीमा	70

*(www.panchayat.gov.in पर 14 नवम्बर, 2017 को उपलब्ध दस्तावेज संख्या M-11015/249/2015-DPE दिनांक 4 नवम्बर, 2015 के अंश)

1. प्रसंग

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243छ में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के उद्देश्य से योजनाएं तैयार करने का अधिदेश दिया गया है और इस प्रक्रिया द्वारा पंचायतों के स्थानीय स्व–शासन की संस्थाओं के रूप में विकसित होने की अपेक्षा की गयी है। इस अधिदेश को जमीनी हकीकत देने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा विगत दो दशकों के दौरान अनेक पहल किए गए हैं। फिर भी, सीमित संसाधन, अपर्याप्त मदद एवं अल्प क्षमता के कारण विकेंद्रीकरण की गति धीमी रही है।

मनरेगा ने स्कीमों के लिए योजनाएं बनाने में पंचायतों को वैधानिक अधिकार देकर एक महत्वपूर्ण अवसर दिया गया है। तथापि, विगत एक वर्ष के भीतर ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में मनरेगा हेतु सहभागितापूर्ण नियोजन के लिए 'गहन सहभागितापूर्ण नियोजन कार्य' (आई.पी.पी.ई.) की दिशा में संगठित प्रयास किए गए हैं।

अब, चौदहवें वित्त आयोग ने पांच वर्षों की अवधि में विशेष रूप से ग्राम पंचायतों के लिए 2,00,292.20 करोड़ रू. का एक बड़ा अनुदान दिया है। इसी अवधि में, वर्तमान प्रवृत्ति को देखते हुए, ग्राम पंचायतों को कम से कम इतनी ही राशि मनरेगा से प्राप्त होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, राज्य वित्त आयोग (एस.एफ.सी.) द्वारा हस्तांतरित निधि, अपने स्वयं के राजस्व स्रोत, और राज्य एवं केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों की निधि प्रवाह से, ग्राम पंचायतों का वित्तीय संसाधन काफी बड़ा हो जाएगा।

ग्राम पंचायतों द्वारा, अपने नागरिकों के लाभ के लिए प्राप्त हुए इस बहुत बड़े संसाधन का इष्टतम उपयोग करने हेतु, एकीकृत विकास योजनाएं तैयार करना जरूरी हो गया है। इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 8.10.2015 के का.ज्ञा. सं. 13(32)/एफ.सी.डी./2015–16 के माध्यम से चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग हेतु जारी दिशानिदेशों के पैरा–4 में इसे अधिदेशित किया है। विभिन्न मंचों पर राज्य सरकारों के साथ विचार–विमर्श के दौरान भी, सक्षमता एवं जवाबदेही के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा स्थानीय स्तर की सहभागितापूर्ण योजनाएं तैयार किए जाने की आवश्यकता को पुरजोर समर्थन मिला है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेंस) के लिए दिनांक 5 अगस्त, 2015 के अपने अ.शा.सं.जे–11016/13/2015–आर.एल. के माध्यम से दिशानिदेश जारी किया है जिसे भी ग्राम पंचायत स्तर की योजनाएं तैयार करते समय ध्यान में रखना है।

"सच्चा लोकतंत्र, केंद्र में बैठे बीस आदमियों से नहीं प्राप्त होगा। यह आधारभूत स्तर से, हर एक गांव के लोगों से प्राप्त होगा।"

– महात्मा गांधी

2. ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन का महत्व

"सबसे अच्छा, सबसे तेज और सबसे सक्षम तरीका सबसे नीचे से ऊपर की ओर निर्माण करना है .... प्रत्येक गांव को एक आत्मनिर्भर गणतंत्र बनाना है।"

....महात्मा गांधी

ग्राम पंचायत विकास योजना, उपलब्ध संसाधनों से लोगों की जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें उचित, समावेशी, पारदर्शी एवं सहभागितापूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से स्थानीय संसाधनों का संघटन किया जाना चाहिए। मुख्य ध्यान होना चाहिए, स्थानीय विकास के मामलों, स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं, समस्याओं एवं उनके हल का स्थानीय स्तर पर विश्लेषण, स्थानीय संसाधनों का प्रबंधन पर व ये सब अंत्योदय के सिद्धांत पर आधारित–एक सामूहिक स्थानीय दृष्टिकोण के तहत होना चाहिए।

ग्राम पंचायत विकास योजना की आवश्यकता, क्यों ?

भारत का संविधान एवं राज्य पंचायती राज अधिनियम, दोनों, पंचायतों द्वारा स्थानीय आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए नियोजन पर बल देते हैं। स्थानीय नियोजन की प्रक्रिया अपनाने के बहुत–से फायदे व लाभ हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:

- इसमें स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं को समाविष्ट किया जाता है।
- इसमें स्थानीय क्षमताओं का बेहतर उपयोग होता है।
- इससे स्थानीय जरूरतों व मांग के आधार पर आधारभूत स्तर से अभिसरण (कन्वर्जेंस) हेतु एक प्रचालन प्रणाली अपनाए जाने की परंपरा कायम होती है।
- यह पंचायत क्षेत्र के भीतर वंचित/छूट गये लोगों तक पहुंच बनाने में मदद करती है।
- यह विभिन्न समूहों की विविधतापूर्ण जरूरतों का ध्यान रखती है।
- यह सभी वर्गों के संघटन एवं शासन में उनकी प्रतिभागिता को समर्थ बनाती है।
- यह स्थानीय विकास प्रयासों में लोगों के ज्ञान एवं उनकी बुद्धि का उपयोग करने का अवसर प्रदान करती है।
- यह नागरिकों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की विकास की समझ को बढ़ाती है।
- यह संसाधनों/हकदारियों/सेवाओं तक आसान पहुंच कायम करती है।
- यह विभिन्न स्रोतों, विशेषकर केंद्रीय प्रयोजित योजनाओं की निधियों का बेहतर उपयोग और समावेशन को सुनिश्चित करती है।
- यह पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के बीच बेहतर संबंध कायम करती है।
- यह उत्तरदायी शासन का नेतृत्व करती है।
- यह बढ़े हुए स्थानीय संसाधन के संघटन को सुलभ बनाती है।
- यह मितव्ययिता एवं सक्षमता को बढ़ावा देती है।
- यह अपने नागरिकों के प्रति स्थानीय सरकार की प्रत्यक्ष जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

- यह सक्रिय ग्राम सभा एवं अन्य स्थानीय संस्थानों और ढांचे को क्रियाशील निकाय के रूप में सक्रिय करने में सहायक है।
- यह नए/कटिंग एज सरकारी कर्मियों को सक्रिय करती है।
- यह स्थानीय लोकतंत्र एवं स्थानीय स्वामित्व को प्रोत्साहन देती है।

ग्राम पंचायत विकास योजना स्थानीय रूप से उपयुक्त एवं कम लागत वाले विभिन्न स्थानीय मॉडल एवं नवाचारों को बढ़ावा देती है। यह ग्राम पंचायतों को स्थानीय स्व–शासन के संस्थानों के रूप में परिवर्तित होने में मदद करती है एवं विकास की संस्था के रूप में ग्राम पंचायतों की पहचान को सुदृढ़ करती है। स्थानीय स्तर पर बनायी गई योजना, अबद्ध संसाधनों को दक्षता एवं जवाबदेही से उपयोग करने का एक मात्र रास्ता भी होगा। यह विभागों को स्थानीय जरूरतों के प्रति उन्मुख करने का जरिया भी है और यह ग्राम पंचायतों के बीच अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की प्रतिस्पर्धा करने को अभिप्रेरित करती है। कुल मिलाकर, एक ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया

- सेवा सुपुर्दगी में सुधार लाएगी
- नागरिक संबंधों को मजबूत बनाएगी
- स्वयंसेवा की भावना को अभिप्रेरित करेगी
- लोक संस्थानों एवं समूहों के परस्पर संबंधों को कायम करेगी
- स्थानीय स्तर पर शासन में सुधार लाएगी

पांचवी अनुसूची क्षेत्रों में ग्राम पंचायत विकास योजना हेतु विशेष प्रक्रिया

अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायतों का विस्तार अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के प्रावधान, क्षेत्र में सभी विकास कार्यक्रमों के नियोजन एवं कार्यान्वयन के प्रयोजन के लिए ग्राम सभा के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने का अधिदेश देते है। इसमें भूमि अधिग्रहण, पुर्नस्थापना एवं पुनर्वास, भूमि पुनः स्थापना (अन्य संक्रामण के मामले में), खनिजों का खनन, मादक पेय का उपयोग, लघु वन उत्पाद का स्वामित्व, ग्रामीण हाट का प्रबंधन, जल निकायों का प्रबंधन एवं महाजनी पर नियंत्रण के क्षेत्रों में भी लोगों को शामिल किए जाने एवं उनकी सहमति प्राप्त करने की भी अधिदेश है।

पांचवी अनुसूची के क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के मामले में, नागरिकों की प्रतिभागिता को पल्ली/गांव के स्तर पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। अन्य ग्राम पंचायतों के मामले में अपनायी गयी प्रक्रिया के समान ही पल्ली/गांव के स्तर पर योजनाएं तैयार किए जाने के उपरांत, इन योजनाओं को बिना किसी बदलाव के गाम पंचायत स्तर पर एकीकृत की जानी चाहिए।

3. राज्य सरकारों द्वारा उठाए जाने वाले कदम

3.1 ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन को कार्यान्वित करने पर नीतिगत निर्णय

3.1.1 ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रकृति एवं विस्तार पर निर्णय

राज्य, ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन को कार्यान्वित करने के लिए, उपयुक्त स्तर पर, तुरंत नीतिगत निर्णय ले सकता है। ग्राम पंचायत विकास योजनाओं की प्रकृति एवं विस्तार पर स्पष्टता रहनी चाहिए। आजकल, अधिकांश राज्यों में मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन और राज्यों द्वारा निर्धारित अन्य स्कीमों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर पृथक रूप से योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इसके साथ ही, ग्राम सभाओं के माध्यम से विभिन्न स्कीमों के लिए लाभार्थियों की पहचान के लिए ग्राम पंचायतें ही मूल एजेंसियां है। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रमुख स्कीमों की निगरानी एवं स्थानीय संस्थानों के कार्यकरण की निगरानी की भूमिका दी गई है और उन्हें विभिन्न कार्यक्रम से संबद्ध समितियों, विशेषकर स्वास्थ्य, स्वच्छता, जल आपूर्ति, जलसंभर/वाटर शेड प्रबंधन, शिक्षा, पोषण, सामाजिक वानिकी, जैव–विविधता एवं जन वितरण से संबंधित समितियों में शामिल किया जाता है। इसके साथ ही, अधिकांश ग्राम पंचायतें अपने परंपरागत सिविल कार्य, विशेषकर स्वच्छता एवं पेयजल आपूर्ति से जुड़े कार्यों को निष्पादित कर रही हैं।

चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के साथ, ग्राम पंचायतों के अधीन सभी संसाधनों को अभिसरित (कन्वर्ज) और इन विभिन्न प्रकार्यों को एकीकृत कर, एक ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के तौर–तरीकों में बदलाव आना चाहिए। यह बजटन में सक्षमता, कार्य निष्पादन में और अधिक जवाबदेही तथा विकास की बेहतर सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए भी जरूरी है। इसके अतिरिक्त, चौदहवें वित्त आयोग अनुदान को मात्र मूल सेवाओं जैसे स्वच्छता, जल आपूर्ति, सड़कें, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था, खेल के मैदान, पार्क, कब्रिस्तान/श्मशान घाट एवं ग्राम पंचायतों को विधि द्वारा अंतरित अन्य सेवाओं के लिए उपयोग में लाया जाना है। इसे निम्नलिखित तत्वों के साथ एकीकृत की जानी हैं:

निर्धनता में कमी

ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत के अंदर निर्धनता पैटर्न की पहचान कर और निर्धन वर्गों व इलाकों के लिए मूलभूत सेवाओं को प्राथमिकता देकर, यह सुनिश्चित कर कि विभिन्न कानूनों, कार्यक्रमों एवं स्कीमों (पी.ई.एस.ए. अधिकार, वन अधिकार, सामाजिक सुरक्षा,खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण), के अंतर्गत उपलब्ध करायी गयी हकदारियां प्राप्त की जा रही हैं। विशेषकर मनरेगा उपकरण एवं डी.ए.वाई–एन.आर.एल.एम. के अंतर्गत स्थापित निर्धन लोगों के संस्थानों के माध्यम से आजीविका में सुधार जैसे विभिन्न स्कीमों व कार्यक्रमों को अभिसरित कर ठोस रूप से निर्धनता में कमी लाने पर ध्यान होना चाहिए।

मानव विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना में कौशल विकास, स्वास्थ्य, विशेषकर लोक स्वास्थ्य और आहार एवं पोषण, बाल लिंगानुपात इत्यादि समेत साक्षरता एवं शिक्षा से जुड़े निश्चित घटक होने चाहिए। मुख्य ध्यान, मानव विकास सेवाओं की गुणवत्ता में, विशेषकर आंगनवाड़ी, विद्यालयों, अस्पतालों, उन तक पहुंच बढ़ाकर और संबंधित ढांचागत संरचना को उन्नत बनाकर, राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप स्पष्ट परिणाम प्राप्त करने के जरिए, सुधार लाने पर होना चाहिए।

सामाजिक विकास

ग्राम पंचायत विकास योजना का लक्ष्य कमजोर एवं हाशिए पर हुए वर्गों जैसे कि:

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जिनमें कमजोर जनजातीय समूह एवं अल्पसंख्यक शामिल हैं।
- अशक्त व्यक्ति
- वृद्ध/बूढ़े व्यक्ति
- महिलाएं
- बंधुआ मजदूर, बाल श्रमिक, गैर–अधिसूचित जनजाति एवं खानाबदोश, विपदाग्रस्त प्रवासी,

हाथ से सफाई करने वाले, हिजड़ा, अवैध व्यापार के शिकार व्यक्ति इत्यादि। जैसे कमजोर वर्गों के कल्याण के स्तर में सुधार लाने पर लक्षित होना चाहिए।

इन वर्गों के लिए निर्धनता में कमी लाने व मानव विकास और आर्थिक विकास हस्तक्षेप करने के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत विकास योजना में इन वर्गों की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक निर्धारकों को संबोधित करने का प्रयास होना चाहिए।

आर्थिक विकास

ग्राम पंचायतों को ऐसी गतिविधियां चलाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जो स्थानीय उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाएं, रोजगार एवं रोजगारपरकता को बढ़ाएं, स्थानीय उत्पाद के लिए बाजार तक पहुंच कायम करें एवं उनकी बिक्री क्षमता में सुधार लाएं, मूल्य संवर्धन को प्रोत्साहित करें, बाजार, तालाब, मत्स्य उद्योग, पशुधन विकास, बागवानी विकास, भूमि विकास, लघु सिंचाई की सुविधाएं, कुऑं, सिंचाई की टंकी/तालाब इत्यादि जैसी उत्पादक ढांचागत संरचनाएं सृजित करें। जहां मुख्य ध्यान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर रहेगा, वहीं स्थानीय विनिर्माण, विशेषकर परंपरागत उद्योग एवं सेवाओं, साथ ही वित्तीय समावेशन पर भी, ध्यान रहेगा।

पारिस्थितिकी का विकास

इसमें जल निकाय, चारागाह, घास स्थल, जल ग्रहण क्षेत्र एवं स्थानीय वन जैसे विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का रख–रखाव एवं उन्नयन और लघु वन उत्पाद, ईंधन की लकड़ी, पशुचारा, औषधीय पौधे इत्यादि जैसे जैविक संसाधनों का संरक्षण एवं उनके स्थायी उपयोग के तरीकों को शामिल किया जाना चाहिए। एकीकृत जल संभर (वाटरशेड) प्रबंधन इस हेतु आधारभूत योजना होगी। ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ की गई गतिविधियां पर्यावरण के अनुकूल और जैव–विविधता को बढ़ाने वाली होनी चाहिए।

लोक सेवा की सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी)

शासन संबंधी सेवाएं जैसे कि प्रमाणपत्र जारी करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण, लाइसेंस/परमिट जारी करना और कल्याणकारी सेवाएं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इन सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक सुपुर्दगी पर जोर देते हुए, लोक सेवा की सुपुर्दगी को विशेष प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत विकास योजना में सेवा सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी) की गुणवत्ता एवं मौजूद परिसंपत्तियों के समुचित रख–रखाव व उपयोग पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि ग्राम पंचायतों को बिना किसी लागत अथवा बहुत कम लागत वाले उपायों से स्थानीय विकास प्राप्त करने पर विशेष जोर देना चाहिए। ग्राम पंचायतों को ऐसा करने की सलाह देने के लिए परामर्शिका जारी की जानी चाहिए।

सुशासन

प्रभावी लोक सेवा सुपुर्दगी (सर्विस डिलेवरी) के साथ–साथ, ग्राम पंचायतों को प्रतिभागिता, विशेषकर हाशिए पर के वर्गों की प्रतिभागिता, पारदर्शिता एवं अग्र सक्रिय प्रकटन (प्रोएक्टिव डिसक्लोजर), समुदाय आधारित निगरानी एवं बजट और व्यय में विधिवत प्रक्रियाओं से संबंधित क्रियाविधि एवं प्रणाली को विकसित करने की जरूरत है। निर्धन लोगों, विशेषकर स्वयं सहायता समूहों और महिलाओं के संस्थानों के साथ, निकट साझा भी जरूरी है। इसके लिए नागरिकों का एक चार्टर समेत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए 'सुशासन' योजना आवश्यक होगी।

3.1.2 राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन

चूंकि ग्राम पंचायत विकास योजना एक नयी पहल है, लिहाजा, सभी ग्राम पंचायतों में एक साथ नियोजन प्रक्रिया आरंभ हो जाएंगी और इसके लिए सभी स्तरों के कई विभागों के बीच समन्वय की जरूरत होगी। इसके साथ–साथ कई मुद्दे, क्षेत्र अनुभव के आधार पर अनवरत उठते रहेंगे और आधारभूत स्तर से सतत उनके स्पष्टीकरण की मांग बढ़ती जाएगी। अतः राज्य स्तर पर एक अधिकार प्राप्त समिति की आवश्यकता है। अधिकार प्राप्त समिति की संरचना के लिए सुझाव हैः

(क) मुख्य सचिव/विकास आयुक्त –अध्यक्ष

(ख) सचिव–पंचायती राज (संयोजक)

(ग) निम्नलिखित विभागों के प्रभारी सचिव

- वित्त
- योजना
- ग्रामीण विकास (यदि यह पंचायती राज का हिस्सा नहीं हैं)

- अनुसूचित जाति विकास
- अनुसूचित जनजाति विकास
- महिला एवं बाल विकास
- पेयजल एवं स्वच्छता
- स्वास्थ्य
- विद्यालय शिक्षा
- कृषि / पशुपालन / मत्स्य पालन
- उद्योग
- वन
- जन संपर्क

(घ) राज्य ग्रामीण विकास संस्थान

अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.)के कार्य होंगे:

(i) विभिन्न प्रक्रियाओं व क्रियाविधि के विवरण के साथ मास्टर सरकारी आदेश / संकल्प तैयार करना

(ii) सभी स्तरों पर अंतर–विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना

(iii) सभी स्तरों पर मानव संसाधन के विवरण के साथ स्कीमों एवं संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेंस) पर अनुदेश जारी करना

(iv) मध्यावधि सुधार, समस्या निवारण इत्यादि के लिए आवश्यकतानुसार निर्णय लेना

(v) क्षेत्र से प्राप्त मुद्दों पर प्रतिक्रिया एवं उनके हल परिपत्रों / स्पष्टीकरण के माध्यम से देना

(vi) संपूर्ण प्रक्रिया की निगरानी एवं संचालन।

अधिकार प्राप्त समिति कम से कम तीन महीनों के लिए प्रत्येक सप्ताह एक निर्धारित दिवस पर निश्चित समय पर बैठक कर सकती है, इसके बाद यह समिति आवश्यकतानुसार बैठकें कर सकती है। अधिकार प्राप्त समिति को सभी प्रचालन संबंधी मामलों को हल करने और समस्त हितधारकों को उपयुक्त अनुदेश एवं निदेश जारी करने का अधिकार होना चाहिए।

3.1.3. संसाधन एन्वेलप पर निर्णय

अधिकार प्राप्त समिति को संसाधन एन्वेलप, (रिसोर्स एन्वेलप) जो कि ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध रहेगा, पर निर्णय लेना चाहिए। इसमें निम्नलिखित अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए:

(क) चौदहवां वित्त आयोग अनुदान

(ख) राज्य वित्त आयोग अनुदान

(ग) स्वयं के राजस्व स्रोत–विगत तीन वर्षों के वास्तविक (एक्चुअलस) के आधार पर परियोजित की जानी है।

(घ) मनरेगा, अनुमोदित श्रम बजट के अनुसार

(ङ) ग्राम पंचायतों को सुपुर्द अन्य केंद्रीय प्रायोजित स्कीम एवं राज्य स्कीम

(च) ऐसी स्कीमें, जिनके लिए ग्राम पंचायतों को निधि हस्तांतरित नहीं किए जाने के बावजूद भी निर्णय लेना है।

(छ) स्वैच्छिक योगदान (रोकड़, वस्तु और श्रम)– राज्य यथोचित मात्रा / राशि का निर्धारण कर सकते हैं।

(ज) सी.एस.आर. निधि पर निर्णय, यदि ग्राम पंचायत को इसका आश्वासन दिया गया है और यह उपलब्ध है।

संसाधन एन्वेलप के तत्वों को अंतिम रूप देने के उपरांत, राज्य प्रत्येक ग्राम पंचायत में उपलब्ध संसाधनों के बारे में लिखित रूप से सूचित करेगा। यदि किसी श्रेणी का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, तो उनके बारे में अच्छी तरह निदेर्शित किया जा सकता है और तदुपरांत उसके ब्यौरे के बारे में सूचित किया जा सकता है।

आदर्श स्थिति यह होगी कि यह सरकारी आदेश के रूप में हो, जिसमें ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर राज्य स्तर अथवा जिला स्तर पर ग्राम पंचायत–वार विवरण दिया हुआ हो।

3.2. ग्राम पंचायत स्तर के नियोजन हेतु विस्तृत दिशानिदेश तैयार करना

वित्त मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय के सामान्य दिशानिदेश के आधार पर एवं देश में उत्कृष्ट कार्यों के अनुकूल, राज्य, ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए विस्तृत दिशानिदेश तैयार कर सकते हैं। जिन राज्यों के पास यदि कोई दिशानिदेश है, वे उनमें उपुयक्त बदलाव ला सकते हैं।

राज्य दिशानिदेश तैयार करते समय, पूर्व के अनुभवों का एक शीघ्र मूल्यांकन किया जाना चाहिए, विशेषकर ऐसे अधिकारियों से परामर्श कर जो निम्नलिखित से संबंधित हों,

(i) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष (बी.आर.जी.एफ.)

(ii) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.)

(iii) मनरेगा का गहन सहभागितापूर्ण नियोजन कार्य (आई.पी.पी.ई.)

(iv) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू.एन.डी.पी)/संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल श्रमिक आपात कोष (यू.नी.से.फ) से सहायता प्राप्त विकेंद्रीकृत नियोजन प्रोजेक्ट।

राज्य निम्नलिखित दस्तावेजों का संदर्भ भी ले सकता है:

- ब्लॉक स्तर पर नियोजन पर कार्यदल की रिपोर्ट (एम.एल. दंतवाला समिति रिपोर्ट); नई दिल्ली, योजना आयोग, भारत सरकार;1978
- जिला योजना पर कार्यदल की रिपोर्ट (सी.एच. हनुमंत राव समिति रिपोर्ट); भाग–I; नई दिल्ली, योजना आयोग, भारत सरकार; 1984
- जिला योजना पर कार्यदल की रिपोर्ट (सी.एच. हनुमंत राव समिति रिपोर्ट); भाग–II; नई दिल्ली, योजना आयोग, भारत सरकार, 1985
- आधारभूत स्तर पर नियोजन, विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट; 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु एक कार्रवाई कार्यक्रम, योजना आयोग, भारत सरकार; मार्च, 2006

(http://planningcommission.nic.in/plans/stateplan/sp_scy2stat.pdf)

- एकीकृत जिला योजना हेतु मैनुअल; योजना आयोग, भारत सरकार; 2008

(http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/mlp_idpe.pdf)

- सांसद आदर्श ग्राम योजना (एस.ए.जी.वाई.) दिशानिदेश जिसमें स्थिति विश्लेषण संबंधी दस्तावेज भी शामिल हैं।

(http://support.saanjhi.in/support/solutions/folders/6000070070)

कतिपय राज्यों में, योजना विभागों द्वारा विकसित प्रणालियों को उपयुक्त तरीके से शामिल किया जा सकता है।

3.3. राज्य स्तर पर वातावरण का निर्माण

ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने पर किए गए निर्णय के बारे में व्यापक रूप से प्रचार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि इस बारे में लोगों में उत्साह का संचार हो जाए और आधारभूत स्तर पर प्रतिभागिता को बढ़ाया जा सके/प्रेरित किया जा सके। पूरे देश में श्रेष्ठ कार्यों के आधार पर, निम्नलिखित परामर्श दिया जाता है:

(i) इस कार्यक्रम को एक आदर्श, आकर्षक एवं सार्थक स्थानीय नाम दिया जा सकता है।

(ii) इसके लिए साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान इत्यादि की तरह एक अभियान का दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है।

(iii) ग्राम पंचायतों के निर्वाचित अध्यक्ष एवं सदस्यों को माननीय मुख्य मंत्री/मंत्री के पत्र समेत औपचारिक पत्राचार

(iv) अनेक स्तरों पर कार्यक्रम की औपचारिक शुरूआत/शुभारंभ

(v) इन्हें शामिल करते हुए राज्य, जिला एवं ब्लॉक, ग्राम पंचायत/ग्राम पंचायतों के समूह स्तर पर व्याख्यात्मक बैठकें:

(क) माननीय सांसद एवं विधायकों समेत निर्वाचित प्रतिनिधिगण

(ख) सभी संबंधित विभागों के अधिकारीगण

(ग) संसाधन व्यक्ति एवं प्रशिक्षकगण।

(घ) पंचायतों के साथ कार्यरत संगठन

(ड.) समुदाय/नागरिक

(च) स्थानीय स्तर पर रायसुमारी करने वाले व्यक्ति, धार्मिक नेता, परंपरागत नेतागण

(घ) राजनीतिक दल

(ज) लोगों का समूह (स्व–सहायता समूह), सहकारी संस्थाएं

(झ) शैक्षिणिक संस्थाएं

(ञ) मीडिया

(ट) ग्राम स्तरीय समितियां

(vi) अखबार, रेडियो, दूरदर्शन, स्थानीय केबल ऑपरेटर, सिनेमा हॉल, सोशल मीडिया, ग्राम पंचायत वेबसाईट इत्यादि।

(vii) लोक अभियान एवं नुक्कड़ नाटक

(viii) पोस्टर अभियान

(ix) विवरणिका/चौपन्ना (ब्रोशर/पैम्फलेट)

3.4 समर्थन तंत्र/व्यवस्था

3.4.1 निधि प्रवाह

राज्यों द्वारा संसाधन स्रोत (रिसोर्स इन्वेलप) में वर्णित निधियों की सभी श्रेणियों हेतु स्पष्ट निधि प्रवाह तंत्र

विकसित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि नियत समय में निधियां ग्राम पंचायतों को प्राप्त हो सकें। चौदहवें वित्त आयोग (एफ.एफ.सी.) की निधियां, प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्मुक्त की जानी है। राज्यों द्वारा इलैक्ट्रानिक निधि तंत्र के सार्वभौमिक (यूनिवर्सल) अपनाव हेतु सभी प्रयास किए जाने चाहिए, इससे ग्राम पंचायतों द्वारा निधियों की प्राप्ति एवं व्यय दोनों की निगरानी में मदद मिलेगी। प्रत्येक श्रेणी के निधि प्रवाह के लिए अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) द्वारा निधि प्रवाह को कारगर बनाने वास्ते विशेष आदेश जारी किए जाने की जरूरत होगी।

3.4.2. जिला एवं ब्लॉक स्तरों पर समन्वय की व्यवस्था ।

राज्य सरकार, जिला पंचायत अध्यक्ष/जिला अधिकारी/सीईओ की अध्यक्षता में और, सभी संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों तथा चुनिंदा ग्राम पंचायतों (जी.पी.) के मुखिया की सदस्यता वाली (रोटेशन के आधार पर) जिला स्तरीय समन्वय समिति का गठन कर सकती है। इन समितियों में शैक्षणिक संस्थाओं और/या स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि को शामिल किया जा सकता है।

इसी तरह, ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष/प्रखंड विकास पदाधिकारी या समकक्ष की अध्यक्षता में और सभी संबंधित विभागों से ब्लॉक स्तर के अधिकारियों एवं निर्वाचित जीपी मुखिया की सदस्यता (यदि आवश्यक हो तो रोटेशन द्वारा) वाली ब्लॉक स्तर समन्वय समिति का भी गठन किया जा सकता है ।

जिला स्तर पर समन्वयन समिति के कार्य:

i. ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) से संबंधित सरकारी आदेशों/संकल्पों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना;

ii. उप–जिला एवं जिला स्तरों पर अंतर्विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना;

iii. योजनाओं एवं संसाधनों के अभिसरण (कन्वर्जेंस) को सुनिश्चित करना– विशेष रूप से मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन;

iv. मास्टर दिशा–निदेश के अनुसार यदि आवश्यक हो तो जी.पी. समूह (क्लस्टर्स) के सीमांकन पर निर्णय करना;

v. जिला स्तर पर वातावरण बनाकर संबंधित गतिविधियों एवं मीडिया योजनाओं का समन्वय करना;

vi. क्षेत्र से संबंधित मामलों का प्रत्युत्तर देना और आवश्यकतानुसार समस्याओं का निवारण करना एवं बाधाओं को दूर करना ।

vii. यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास योजना (जी.पी.डी.पी.) प्रक्रिया हेतु आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हैं तथा इसके लिए स्पष्ट जबावदेही निर्धारित की गई हैं;

viii. सभी संबंधितों के क्षमता निर्माण का समन्वय;

xi. राज्य दिशा निर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत विकास योजना से संदर्भित द्वितीयक (सेकेन्डरी) आंकड़ों की ग्राम पंचायत–वार उपलब्धता सुनिश्चित करना;

x. तकनीकी मूल्यांकन एवं परियोजनाओं का अनुमोदन समय पर सुनिश्चित करना;

xi. जिला स्तर पर पूरी ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया की निगरानी एवं उसका संचालन करना

xii. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना;

xiii. जिले में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति पर, संबंधित मामलों एवं श्रेष्ठ कार्यों के संबंध में अधिकार प्राप्त समिति (ई.सी.) को रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं फीडबैक देना।

ब्लॉक स्तर समन्वयन समिति (सुझाए गए) के कार्य:

i. ब्लॉक/क्लस्टर एवं ग्राम पंचायत स्तर पर अंतर्विभागीय समन्वयन सुनिश्चित करना।

ii. ब्लॉक में ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया हेतु कलस्टर स्तर तकनीकी सहायता टीम तैयार करना ।

iii. योजनाओं एवं संसाधनों का अभिसरण (कनवर्जेंस) सुनिश्चित करना–विशेष रूप से मनरेगा एवं स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) ।

iv. क्षेत्र से संबंधित मामलों का प्रत्युत्तर देना, सभी ग्राम पंचायतों में आवश्यकतानुसार समस्याओं का निवारण एवं बाधाओं को दूर करना ।

v. यह सुनिश्चित करना कि सभी ग्राम पंचायतों में उनके लिए ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया हेतु आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध हैं तथा अंतरालों को पाटने हेतु आवश्यक स्थानीय प्रबंध कराना ।

vi. मानव संसाधन, अवसंरचना एवं उपकरण सहित ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए तकनीकी संसाधन मुहैया कराना ।

vii. क्लस्टर, ग्राम पंचायत (जी.पी.) एवं उप ग्राम पंचायत (सब–जी.पी.) स्तर पर क्षमता निर्माण हेतु तर्कसंगत प्रबंध कराना ।

viii. ब्लॉक एवं जमीनी स्तर पर वातावरण के निर्माण/सृजन से संबंधित गतिविधियों एवं मीडिया योजनाओं का समन्वय करना ।

ix. राज्य दिशानिदेशों के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित द्वितीयक (सेकेन्डरी) आंकड़ों की ग्राम पंचायत–वार उपलब्धता सुनिश्चित करना।

x. तकनीकी मूल्यांकन एवं परियोजनाओं का अनुमोदन समय पर सुनिश्चित करना ।

xi. ब्लॉक स्तर पर पूरी ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया की निगरानी करना ।

xii. ग्राम पंचायत विकास योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना ।

xiii. ब्लॉक में ग्राम पंचायत विकास योजना की स्थिति, संबंधित मामलों पर एवं श्रेष्ठ कार्यों पर जिला समन्वय समिति को रिपोर्ट देना एवं फीडबैक देना।

3.4.3. मानव संसाधन समर्थन

निम्नलिखित के लिए मानव संसाधन समर्थन की आवश्यकता होगी:–

- वातावरण निर्माण
- परिस्थिति का विश्लेषण
- परिकल्पना एवं प्राथमिकता तय करने सहित ग्राम सभा प्रक्रियाएं
- परियोजना तैयार करना
- तकनीकी एवं प्रशासनिक मूल्यांकन एवं अनुमोदन
- कार्यान्वयन
- निगरानी
- प्रशिक्षण

मानव संसाधन की तैनाती के लिए व्यापक श्रेणियों में शामिल होंगे:

- प्रभारी अधिकारीगण
- कार्य बल (टॉस्क फोर्सेज) के सदस्य
- मोबाईल टीम के सदस्य
- तकनीकी मूल्यांकन एवं समर्थन टीम
- क्षमता निर्माण हेतु संसाधन व्यक्ति (रिसोर्स पर्सन)

व्यक्तिगत प्रभार वाले अधिकारीगण (इन्डिविजुअल चार्ज आफिसर) को चिन्हित कर उन्हें विशिष्ट ग्राम पंचायत या ग्राम पंचायतों के क्लस्टर को सौंपा जा सकता है, जो कि समन्वयन, रिपोर्टिंग, समस्या निवारण तथा निगरानी हेतु जिम्मेवार होंगे। जहां मानव संसाधन से संबंधित बहुत बाधाएं हैं, वहां राज्य द्वारा इन्हें बतौर मोबाईल दल तैनात करने की जरूरत पड़ सकती है। विशेष रूप से प्रत्येक ब्लॉक हेतु एक मोबाइल दल होना चाहिए, जिनके पास निम्नवत तीन कार्य होंगे:–

i. प्रत्येक ग्राम पंचायत या कलस्टर भ्रमण हेतु पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विशेष स्थल पर प्रशिक्षण आयोजित करना ।

ii. ग्राम पंचायतों में औचक भ्रमण हेतु प्रोसेस मॉनिटर्स एवं प्रेक्षक के तौर पर कार्य करना ।

iii. ग्राम पंचायतों से सहायता हेतु अनुरोध (ऑन कॉल) प्राप्त होने पर विशेष रूप से प्रत्युतर देना।

ग्राम पंचायत विकास योजना प्रक्रिया से संबंधित विशेष कार्य सौंपे जाने वास्ते प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए संसाधन व्यक्तियों (रिसोर्स पर्सन) को रखा जा सकता है ।

यह सलाह दी जाती है कि इन कार्यों हेतु नियत स्टॉफ को ग्राम पंचायत विकास योजना एवं इसमें उनकी भूमिका तथा जबावदेही पर उपयुक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ।

वे संभावित स्रोत, जिनसे मानव संसाधन को लेकर विभिन्न कार्यों एवं प्रक्रियाओं में संलग्न किया जा सकता है, निम्नवत हैं:

1. मनरेगा–राज्य, जिला एवं फील्ड/क्षेत्र स्तर के आई.पी.पी.ई. संसाधन व्यक्ति
2. डी.ए.वाई. – एन.आर.एल.एम. के सामुदायिक संसाधन व्यक्ति / कलस्टर समन्वयक / क्लस्टर स्तर संघ (सी.एल.एफ.) एवं पंचायत स्तर संघ (पी.एल.एफ.) ।
3. भारत निर्माण वालंटियर्स/स्वैच्छिक कार्यकर्ता
4. एन.वाई.के. वालंटियर्स
5. विभिन्न योजनाओं में कार्यरत युवा उद्यमी

6. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास अध्येता (पी.एम.आर. डी.एफ.)
7. राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) वालंटियर्स
   – सामान्य वर्ग
   – तकनीकी वर्ग
8. ग्राम पंचायत स्तर स्टॉफ (जी.पी सचिव, आशा, समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) कार्यकर्ता, ग्राम रोजगार सहायक)
9. अन्य कटिंग–एज अधिकारी–विशेष रूप से तकनीकी विभाग से,
10. साक्षरता (लिट्रेसी) स्टाफ ।
11. सेवानिवृत्त कर्मचारी/अधिकारी, विशेष रूप से इंजीनियर्स
12. विशेष रूप से कार्यचालन व्यवस्था कर के विभिन्न विभागों से उत्कृष्ट अधिकारीगण ।
13. अतिरिक्त कार्य हेतु प्रोत्साहन राशि भुगतान के आधार पर अन्य विभागों के सरकारी इंजीनियर्स।
14. शैक्षणिक संस्थानों से प्रशिक्षु (एप्रैंटिस), इनटर्नस।
15. बेयरफुट इंजीनियर्स
16. स्वैच्छिक आधार पर सी.एस.ओ./सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/शैक्षणिक संस्थानों से पेशेवर लोग ।
17. सी.एस.आर. प्लेसमेंट्स ।
18. ऊपर विर्णित श्रेणियों से असंबद्ध प्रशिक्षक ।

राज्य, कार्यचालन व्यवस्था, प्रतिनियुक्ति, अतिरिक्त प्रभार देकर मानव संसाधनों का संघटन (मोबिलाइजेशन) हेतु नीतियों एवं प्रणाली का विकास कर सकता है। इसके अलावा, ऐसे आंशिक/पूर्ण कालिक स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं की पहचान की जा सकती है, जिन्हें मात्र उनके लागत का भुगतान कर कार्य लिया जा सकता है।

क्लस्टर में ग्राम पंचायत विकास योजना की जबाबदेही लेने वाले प्रति क्लस्टर (5–6 ग्राम पंचायत) 5–6 सम्मानित एवं अनुभवी निर्वाचित सदस्यों के दल की पहचान की जा सकती है। इस दल को सूचीबद्ध संसाधनों एवं उनके कौशल की एक सूची दी जा सकती है, जिसे कि ग्राम पंचायत दल आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत विकास योजना के विभिन्न चरणों यथा, आकड़े इकट्ठे करने, संसाधन स्रोत को समझने, परिप्रेक्ष्य योजना तैयार करने तथा वार्षिक योजना तैयार करने के क्रम में प्रयोग कर सकता है। प्रत्येक राज्य द्वारा जी.पी.डी.पी. के विभिन्न कौशलों एवं कार्यों हेतु, ऐसी सूचीकरण की प्रक्रिया निर्धारित जा सकती है ।

3.4.4 प्रौद्योगिकी/तकनीकी समर्थन

क्षमता निर्माण हेतु सैटकाम सुविधा, बजटन एवं लेखा हेतु आईटी अनुप्रयोग तथा संचार एवं निगरानी के लिए मोबाइल अनुप्रयोग जैसी आवश्यक प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी सहायता राज्य सरकार एवं भारत सरकार दोनों के द्वारा दी जायेगी ।

राज्य, जल संभर बाटरशेड प्रबंधन, आजीविका, उपयुक्त भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जलापूर्ति एवं स्वच्छता जो कि राज्य के लिए प्रासंगिक हैं, के मामलों के बारे में, सरल रूप में तकनीकी सूचना समेकित करेगा एवं उपलब्ध करायेगा। इन प्रौद्योगिकियों के प्रसार हेतु आवश्यक क्षमता निर्माण का भी प्रबंध किया जायेगा ।

उन राज्यों में, जहां परिसंपत्ति मानचित्रण के जी. आई.एस. अनुप्रयोग तथा स्थानिक नियोजन एवं निगरानी हेतु प्रायोगिक कार्य चल रहे हैं, ऐसे प्रायोगिक कार्यों के मापन पर विचार किया जा सकता है ।

3.4.5. प्रशासनिक एवं तकनीकी अनुमोदन

14वें वित्त आयोग की स्वीकृत सिफारिश के अनुसार, ग्राम पंचायतों की पसंद की परियोजनाओं, जो कि प्रशासनिक एवं तकनीकी दिशा–निदेश के अनुसार हैं, को किसी भी उच्च प्राधिकारी द्वारा नहीं बदला जाना चाहिए। तथापि, जहां लागत या तकनीकी मापदंड का उल्लंघन हुआ है, वहां ग्राम पंचायत को संबंधित परियोजना को परिशोधित करने वास्ते कहा जा सकता है। प्रत्येक राज्य द्वारा योजना अनुमोदन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण किए जाने की जरूरत है, निर्धारित तकनीकी एवं प्रशासनिक दिशा–निदेश ग्राम पंचायतों को स्पष्ट रूप से सूचित किये जाने चाहिए ताकि वे तद्नुसार निर्णय ले सकें ।

वे परियोजनाएं, जिन्हें विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन एवं मंजूरी की आवश्यकता होती है, उन्हें अनुमोदन हेतु उपयुक्त तरीके से तकनीकी समिति को भेजी जा सकती है। पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु पंक्ति प्रणाली (क्यू सिस्टम) होना चाहिए। ग्राम पंचायतों को परियोजनाओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्राक्कलन (एस्टीमेट) तैयार करने तथा

तकनीकी अनुमोदन संबंधी मामलों के जबावदेह अधिकारियों के नाम एवं पदनाम स्पष्ट रूप से सूचित किया जाना चाहिए।

3.4.6. क्रियान्वयन की व्यवस्था

एक बार ग्राम पंचायत विकास योजना अनुमोदित हो जाने पर, योजना के समयोचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आवश्यक प्रबंध करना होगा। एक अभिसारी (कनर्वजेंट) योजना के कार्यान्वयन में बहुआयामी या हितधारक (भविष्य पर स्टेकहोल्डर) होते हैं तथा कार्यान्वयन हेतु जिम्मेवार बहुत से कर्मियों का ग्राम पंचायतों के साथ एक संस्थागत/इंटरफेस नहीं भी हो सकता है। कई ग्राम पंचायत के कार्य, नियमित कर्मियों की कमी के कारण बाधित होंगे। फील्ड/क्षेत्र स्तर पर विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों के साथ ग्राम पंचायत का एक स्पष्ट प्रबंधन होना है। इसलिए यह प्रस्तावित है, किः

निर्धारित समयावधि के दौरान, विशेषकर सार्वजनिक कार्यों के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विभागों, एजेंसियों तथा कार्यालयों की भूमिका एवं जिम्मेवारी को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए तथा लोगों का नाम तथा पद से काम सौंपा जाना चाहिए ।

- अधिकार प्राप्त समिति, यह सूचित करेगी की विभिन्न कर्मचारियों की सेवाएं ग्राम पंचायतों द्वारा किस प्रकार उपयोग में लायी जायेंगी ।
- उपयुक्त तरीके से प्रकाशित अनुसूची के अनुसार ग्राम पंचायत विकास योजना के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने, प्रचालनात्मक समस्याओं का निवारण करने, लोगों की समस्याएं सुनने तथा शिकायत दूर करने वास्ते अवसर प्रदान करने हेतु निर्धारित दिनों में ग्राम पंचायत में आने वाले सभी ग्राम स्तर अधिकारियों/कर्मियों के लिए सही व्यवस्था करनी होगी ।
- स्थानीय संस्थानों जैसे आंगनवाड़ियों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों/अस्पतालों आदि तथा जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण, स्कूली शिक्षा, जल–संभर, वानिकी आदि से संबंधित स्थानीय समितियों में ग्राम पंचायतों की भूमिका स्पष्ट करते हुए संबंधित विभागों के साथ संयुक्त रूप से विस्तृत परिपत्र जारी किया जा सकता है।
- सामुदायिक संघटन, लाभार्थियों एवं स्थलों का चयन, परिसंपत्तियों के प्रचालन एवं प्रबंधन, सामुदायिक संविदा, सेवाओं की सुपुर्दगी हेतु पूरी संबद्धता वास्ते विशेष संदर्भ के साथ क्रियान्वयन में स्वयं–सहायता समूह एवं गामीण संगठनों को स्पष्ट भूमिका दी जा सकती है।

3.4.7. समीक्षा निगरानी एवं मूल्यांकन

(क) एक अच्छी ग्राम पंचायत विकास योजना को प्रभावी क्रियान्वयन की जरूरत होगी। प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ठोस निगरानी एक पूर्वापेक्षा है। अभिसरण (कन्वर्जेंस) के लिए कई स्तरों पर अधिक निगरानी की आवश्यकता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि निम्न स्तरों पर समीक्षा हेतु एक तंत्र होना चाहिए:

i. ग्राम सभा
ii. ग्राम पंचायत
iii. मध्यवर्ती पंचायत
iv. जिला समाहर्त्ता / मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद / मुख्य विकास अधिकारी

(ख) यह वांछनीय है कि समुदाय आधारित निगरानी, यदि आवश्यक हो, तो सी.एस.ओ. से सहायता लेकर, एस.एच.जी. नेटवर्क के उपयोग से स्थापित की जाए।

(ग) उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों को ग्राम पंचायत विकास योजना की निगरानी के साथ संबद्ध किया जा सकता है।

(घ) निगरानी की दूसरी पद्धति, राज्य/जिला स्तरों पर चिन्हित अधिकारियों एवं गुणवत्ता परिवीक्षकों (मॉनीटर) द्वारा फील्ड निगरानी, को अपनाया जा सकता है।

(ङ) जहां कहीं भी राज्य अपनाने हेतु तैयार हैं, ज्यो–टैग्ड, परिसंपत्तियों, टाइम स्टैंप सहित परिसंपत्तियां के फोटोग्राफ के माध्यम से आई.टी. आधारित निगरानी की जा सकती है ।

(च) अग्रसक्रिय प्रकटन (प्रोएक्टिव डिस्कलोजर) प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसके लिए उपयुक्त प्रपत्र डिजाइन किए जा सकते हैं ।

(छ) फील्ड भ्रमण के भाग के तौर पर, राष्ट्रीय स्तर के परिवीक्षक (नेशनल लेवल मॉनिटर्स) ग्राम पंचायत विकास योजना की तैयारी एवं क्रियान्वयन की निगरानी करेंगे ।

(ज) राज्य, स्वतंत्र मूल्यांकन को भी व्यवस्थित रखें तथा पंचायती राज मंत्रालय के साथ निष्कर्षों को साझा करें।

(झ) परियोजना–वार प्राप्त वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से संबंधित मासिक प्रगति रिपोर्ट (एम.पी. आर.) को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र में तैयार करने की आवश्यकता है तथा इसे पर्यवेक्षण प्राधिकारियों के साथ साझा किया जाए।

(ञ) सामाजिक अंकेक्षण, जो कि यह सुनिश्चित करने के काम आता है कि कार्यक्रम एवं कर्मी ग्राम सभा के प्रति जबावदेह हैं, अपनाया जाए।

(ट) ग्राम पंचायत स्तर पर योजनाएं तैयार किए जाने की प्रगति की निगरानी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज कार्यक्रमों की जांच करने हेतु गठित, राज्य एवं जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियों द्वारा समीक्षा के जाने के लिए समीक्षा मद बनाया जा सकता है।

3.4.8. प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन

ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन में श्रेष्ठ कार्यों का प्रलेखीकरण (डॉक्यूमेंटेशन) एवं उनका व्यापक प्रचार–प्रसार वांछनीय है। श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों की पहचान कर उन्हें पथ–प्रदर्शक पंचायतों के रूप में कार्य करने हेतु विकसित किया जाए, जो कि स्थानीय स्तर पर प्रायोगिक विद्यालय (प्रैक्टिस स्कूल) के रूप में कार्य करे। विशिष्ट प्रोत्साहनों में शामिल हैंः

(क) सभी पंचायतों के प्रदर्शन की उद्देश्यपरक रैंकिंग प्रणाली की संस्थापना तथा राज्य सरकारों द्वारा विकसित मानदंड प्रक्रिया के आधार पर श्रेष्ठ कार्य करने वाली पंचायतों को पुरस्कार प्रदान करना ।

(ख) राज्य के भीतर एवं पड़ोसी राज्यों में श्रेष्ठ कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन भ्रमण (एक्सपोजर विजिट) की व्यवस्था करना।

(ग) श्रेष्ठ कार्य करने वाले निर्वाचित प्रतिनिधियों, एवं कर्मचारियेां/कर्मियों की पहचान करना एवं संसाधन व्यक्ति के रूप में उनका विकास करना।

3.5. क्षमता निर्माण

व्यवस्थित क्षमता निर्माण, इस पूरे कार्य–कलाप का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। प्रत्येक राज्य को क्षमता निर्माण हेतु स्पष्ट कार्यनीति एवं कार्य योजना तैयार करनी है। योजना के मूलभूत घटकों में शामिल होने चाहिएः–

(i) समन्वयन एवं मार्ग दिखाने के लिए एक राज्य स्तरीय संस्थान। आदर्श रूप में, ये संस्थान एस. आई.आर.डी. एंड पी.आर./पंचायती राज ट्रेनिग इंस्टीटयूट होने चाहिए। राज्य किसी दूसरे संस्थान को इसे सौंपने हेतु स्वतंत्र है।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्षित समूह की पहचान, उनके द्वारा अपेक्षित निष्पादित कार्यों के आधार पर की जानी चाहिए। वे लोग, जो समान प्रकृति का कार्य करते हों जैसे कि प्रभार अधिकारी, समान कार्य बलों के सदस्य आदि को एक साथ प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। सामान्य लक्षित समूह में शामिल हैंः–

क. राज्य स्तर पर शामिल विभागों से नीति निर्धारक, विभागाध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारीगण ।

ख. जिला समाहर्त्ता/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद/मुख्य विकास अधिकार तथा अन्य संबंधित जिला स्तरीय अधिकारीगण ।

ग. प्रखंड विकास ऑफिस एवं संबंधित प्रखंड (ब्लॉक) स्तरीय अधिकारीगण ।

घ. शामिल विभागों के सभी कटिंग एज स्तर के अधिकारीगण/कर्मी, पंचायत सचिव, कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक, ग्राम सेवक, ग्राम रोजगार सहायक, आईसीडीएस सुपरवाइजर/ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पी.एच.सी. डाक्टर, ए.एन.एम. /आशा, विद्यालय प्रधानाध्यापक, अध्यापक, वनरक्षक/कार्यकर्ता (फारेस्ट गार्ड/वर्कर) कृषि/पशुपालन अधिकारी /सहायक।

(iii) मुख्य लक्षित समूह में निर्वाचित प्रमुख तथा अन्य निर्वाचित कर्मी एवं निर्वाचित सदस्य होंगे। हालांकि योजना एवं कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण का मुख्य ध्यान ग्राम पंचायत पर रहेगा, अन्य स्तरों को भी सरलीकरण एवं अभिसरण के दृष्टिकोण से भी शामिल किया जाना चाहिए ।

(iv) एस.एच.जी. नेटवर्क, स्थानीय सी.एस.ओ., प्रस्तावित कार्यबलों के सदस्य, विभिन्न ग्राम पंचायत/ग्राम स्तर समितियों के प्रमुख सदस्य, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत चिह्नित स्वैच्छिक कार्यकर्ता, गहन सहभागितापूर्ण दलों के सदस्य, भारत निर्माण स्वयंसेवक आदि को भी ठीक से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए ।

(v) आदर्शतः प्रशिक्षण हेतु संसाधन व्यक्ति केवल दो स्तर पर होने चाहिए–राज्य स्तर पर मास्टर प्रशिक्षक तथा ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षक। राज्य स्तर संसाधन व्यक्ति वरिष्ठ कर्मियों के साथ–साथ ब्लॉक स्तर संसाधन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करेंगे, जो कि इसके बाद अन्यों को प्रशिक्षित करेंगे। संसाधन व्यक्तियों को आस–पास एवं सरकार के बाहर से चिन्हित करना चाहिए तथा वे ठीक से प्रशिक्षित हों। संसाधन व्यक्ति की पहचान करते समय साक्षरता, स्वास्थ्य, मनरेगा, स्वच्छता, आजीविका, जल संरक्षण आदि से संबंधित कार्यक्रमों में जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन करने वाले अनुभवी लोगों को वरीयता दी जानी चाहिए। डी.ए.वाई. – एन.आर.एल.एम. के सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों और वर्तमान एवं विगत समय के निर्वाचित प्रतिनिधियों, जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन निष्पादन किया है, उन्हें भी बतौर प्रशिक्षक/मास्टर प्रशिक्षक शामिल करना चाहिए।

(vi) यह सुझाव दिया जाता है कि विषयपरक प्रशिक्षण, एक विशेष समय पर निष्पादित होने वाले कार्य के अनुसार, चरणों में आयोजित किए जाएं ।

(vii) प्रत्येक विषय हेतु माड्यूल्स को सावधानी पूर्वक तैयार करने की जरूरत है ।

(viii) प्रशिक्षकों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा कार्यान्वयन अधिकारियों के लिए स्थानीय भाषा या जहां कहीं भी आवश्यक हो, स्थानीय बोली में सरल हैंड बुकों को तैयार करना चाहिए।

(ix) शिक्षा शास्त्र (अध्ययन–अध्यापन प्रक्रिया) परस्पर विचार–विमर्श एवं कार्यकलाप से अर्थात् अंतःक्रियात्मक एवं सहभागी होनी चाहिए ।

(x) जहां कहीं भी संभव हो, पूरक व्यवस्था के लिए ऑडियो–विजुअल सामग्री का प्रयोग किया जाए।

(xi) प्रशिक्षण योजना में गुणवत्ता एवं कवरेज को सुनिश्चित करने वास्ते एक निगरानी एवं फीडबैक तंत्र भी स्थापित किया जाना चाहिए।

(xii) एस.आई.आर.डी. एंड पी.आर. में एक हेल्पलाईन सहित हेल्पडेस्क की स्थापना की जा सकती है, जिसका उपयोग निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी तथा संसाधन व्यक्ति आसानी से कर सकें।

क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण हेतु आवश्यक संसाधनों को राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान, मनरेगा, एन.आर.एल.एम., एस.बी.एम. तथा राज्य निधि जैसे विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाए ।

3.6 जबावदेही तंत्र

पारदिर्शिता एवं जबावदेही को सुनिश्चित करने वास्ते निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं:–

1. ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधन स्रोतों (रिसोर्स एन्वेलप) का व्यापक डिस्कलोजर/प्रकटन।
2. सहभागितापूर्ण ग्रामीण मूल्यांकन (पी.आर.ए) के प्रोडक्ट, परिस्थिति विश्लेषण तथा विजनिंग, प्राथमिकता हेतु अपनाए गए मापदंडों, स्थलों/लाभार्थियों की पहचान हेतु अपनाए गए मानदंड का अग्र–सक्रिय प्रकटन (प्रो–एक्टिव डिस्कलोजर) ।
3. संसाधन व्यक्तियों तथा विभिन्न कार्य–बलों एवं समितियों के सदस्यों के नाम का प्रकटन।
4. इस बात को सुनिश्चित करना कि ग्राम पंचायत की प्रमुख बैठकें यथा संभव अधिक से अधिक नागरिकों की उपस्थिति में व्यापक प्रचार–प्रसार के पश्चात् आयोजित की जाएं ।
5. नियोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के व्यय विवरणों को प्रकाशित करना
6. अनुमोदित योजना एवं प्रत्याशित परिणामों के विवरणों का प्रकटन ।
7. ग्राम पंचायतों में सही स्थलों पर वॉलपेंटिंग कराना तथा सूचना वोर्ड लगाना।
8. सभी कार्य स्थलों पर नागरिक सूचना बोर्ड लगाना ।
9. सभी प्रलेखों/दस्तावेजों के साथ ग्राम पंचायत कार्यालय में "वर्कस फाईल" रखना
10. ग्राम सभा, एस.एच.जी. बैठकों, मनरेगा कार्य स्थल आदि में मुख्य सूचनाओं का मौखिक पठन।
11. योजना–तैयारी पर चर्चा करने हेतु ग्राम सभा बैठक की नोटिस निर्वाचन क्षेत्र के संबंधित माननीय विधायकों तथा संसद सदस्यों को देना।
12. पंचायत भवन एवं ग्राम पुस्तकालयों में सभी दस्तावेजों की प्रतियां रखना ।
13. उपरोक्त सभी सूचनाओं को बेवसाईट में डालना।

इन जबावदेही उपायों की प्रत्येक पद्धति एवं रीति को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की आवश्यकता है। इसके अलावा नागरिकों एवं ग्राम पंचायत के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र भी उपलब्ध होना चाहिए ।

3.7 समय सीमा

राज्य सरकार (विशेष रूप से अधिकार प्राप्त समिति) यह सुनिश्चित करे कि ग्राम पंचायत विकास योजना की प्रत्येक गतिविधि वातावरण सृजन, सहभागी योजना, संबंधित ग्राम सभा बैठकें, योजनाओं को तैयार करने एवं उनका अनुमोदन का कार्य, सभी एक समयबद्ध तरीके से निषदित किए जाएं। एक विशेष वर्ष की योजना प्रक्रिया को पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च माह तक पूरा करना वांछनीय है। यह भी आवश्यक है कि प्रक्रियाएं गहन सहभागितापूर्ण नियोजन कार्य (आई.पी.पी.ई.) लेबर बजट योजना के साथ–साथ चले, जिससे कि ग्राम सभा की प्रक्रियाओं में दोहराव न आने पाए तथा एकल समेकित/अभिसारी योजनाएं तैयार की जा सके। जब समय–सीमा निर्धारित की जा रही हो, तो संबंधित गतिविधियों की क्षमता निर्माण जरूरतों तथा इन्हें निष्पादित करने हेतु आवश्यक समय का ध्यान रखना आवश्यक है ।

अनुबंध–6

'ग्रामीण प्रौद्योगिकी और ग्रामीण विकास' पर 10 अक्टूबर, 2017 को 'मिशन अंत्योदय' पर आयोजित बैठक में राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श की सिफारिशों का सार

(Summary of recommendations of National level consultation on Rural Technology and Rural Development held on 10-11 October, 2017)

श्री नानाजी देशमुख जिन्हें स्वास्थ्य, शिक्षा व ग्रामीण जनता को आत्मनिर्भर बनाने में उल्लेखनीय कार्य का श्रेय प्राप्त है, की जन्मशती समारोह के उपलक्ष्य में 10–11 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय स्तरीय परामर्श का आयोजन किया गया। 500 से अधिक प्रतिनिधि जिनमें नीति निर्माता, विकास कार्यकर्ता, शिक्षाविद और तकनीकीविद शामिल थे, ने पांच व्यापक विषयों पर चर्चा की जो इस प्रकार है: क. ग्रामीण आजीविकाएं; ख. कृषि, नवाचार एवं नवीन प्रौद्योगिकी; ग. प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन; घ. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं शिक्षा; तथा ड. कौशल विकास; 'मिशन अंत्योदय' के संदर्भ में ग्रामीण आजीविकाओं के विविधिकरण के लिये इन पांच विषयों पर चर्चा के द्वारा निम्नलिखित सिफारिशें दी गयी:

ग्रामीण आजीविकाएं

1. भागीदारीपरक प्रक्रिया अपनाई जाये, जिसमें गरीबों को एक लाभार्थी के रूप में न लेकर सक्रिय हितधारक के रूप में शामिल किया जाये।
2. आजीविका के अन्तर्गत पहलों (interventions) के द्वारा ग्रामीण परिवारों के व्यापक विकास पर बल दिया जाना चाहिये। इसमें आय वृद्धि को केन्द्र में रखा जाना चाहिये।
3. सभी पहलें स्थानीय संसाधनों जैसे स्थानीय बीज, स्थानीय नस्लें, जैविक खेती, परंपरागत ज्ञान व कौशल को ध्यान में रखकर की जानी चाहिये।
4. स्व–सहायता समूह के संघ जैसी संस्थाएं मोबिलाइजेशन और सामाजिक समावेशन के लिए अच्छी होती हैं। तथापि, आजीविका वृद्धि के लिए विशेष क्षमता एवं ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। आजीविका वर्धन के लिए निर्धनों द्वार चलाये जा रहे उद्यमों को उत्पादक उपक्रम के रूप में संगठित कर उनमें आत्मनिर्भरता व सशक्त प्रक्रियाएं स्थापित करने की आवश्यकता है। ऐसी संस्थाएं विस्तार–सेवाओं की सुपुदर्गी और इनपुट आपूर्ति और वित्तीय–सेवाओं के लिंकेज में विविध भूमिकाएं निभाएगी।
5. कृषि, गैर–कृषि और सहायक क्षेत्रों में क्षमता, उत्पादकता और मूल्य वृद्धि के लिए उपयुक्त, किफायती और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरूआत जरूरी है।
6. आजीविका कार्यकलापों और उत्पादक उपक्रमों को वित्तपोषित करने के लिए विश्वसनीय मॉडल तैयार करने की आवश्यकता है।
7. सार्वजनिक संसाधनों जैसे वन, सामान्य भूमि आदि पर गरीबों के समान अधिकारों के लिए फ्रेमवर्क स्थापित किया जाये।
8. विभिन्न विभागों व एजेंसियों द्वारा चलायी जा रही अनेकों योजनाओं के सुचारू कार्यान्वयन हेतु जनसाधारण के लिये सिंगल विंडो प्रणाली कार्य में लायी जाये।
9. आजीविका पहलों को बढ़ाने और इनका विस्तार करने में कुशल दक्ष मानवीय संसाधनों की कमी बहुत बड़ा कारण है। आजीविका क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन का विकास व स्थापना के लिये भरसक प्रयास किये जाने चाहिये। स्थानीय कर्मियों के क्षमतावर्धन पर जोर दिया जाना चाहिये।

कृषि, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी

किसानों की आय को दोगुना करने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यनीति अपनाई जा सकती है:

1. जल का प्रभावी उपयोग करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना। सिंचाई के लिए अवसंरचनात्मक निवेश को वरीयता दी जानी चाहिए।

2. देश भर में कृषि संबंधी प्रमुख वस्तुओं में समेकित मूल्य श्रृंखला तैयार करना, और कृषि संबंधी वस्तुओं के वैज्ञानिक संग्रहण को एवं परिवहन को बढ़ावा देना।

3. फलों एवं सब्जियों की खेती में नवीन कृषि कार्य और प्रौद्योगिकी का प्रयोग।

4. डेयरी पशुओं के स्वास्थ्य और उनका प्रजनन प्रबंधन बेहतर करके डेयरी सेक्टर विकसित करना।

5. किसानों को अधिक लाभांश पहुंचाने के लिए मूल्य श्रृंखला का संवर्धन करते हुए मूल्य श्रृंखला उत्पादों के लिए कृषि का विविधिकरण करना।

6. उत्पादन में बढ़ोत्तरी करने के लिए छोटी भूमि के जुताई के लिए कृषि मशीनरी और उपकरण तैयार करना।

7. जैसे–जैसे आबादी बढ़ रही है, वैसे–वैसे खाद्य सुरक्षा, खाद्य की उपलब्धता और इस तक पहुँच बनाना चिंता का विषय बन रहा है। किसान जलवायु प्रवृत्तियों के अनुसार कृषि कार्य, इनपुट और संसाधनों पर्यावरण एवं स्थायी आधार पर उपयोग तथा उत्पादकता में होने वाले जोखिम को कम करने के लिए आई.सी.टी. का उपयोग कर सकते हैं।

8. अच्छे बीजों से उच्च गुणवत्ता वाली फसलें और सुदृढ़ खाद्य आपूर्ति सुनिश्चित होती है। उन्नत फसलें तभी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, जब उनके बीजों को बड़े पैमाने पर उगाकर कम कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए। सीड जर्मप्लास्म तकनीक, बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, संकरण जैसी अन्य तकनीकें बीजों को मिट्टी के अनुरूप बनाती है। बीज का उपचार कर उसकी उर्वरक आवश्यकता को कम करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग, बीज की सही बुवाई के लिए उपग्रह से प्राप्त जानकारी का प्रयोग तथा संसरों के प्रयोग से बीजों की ओवरलेपिंग रोकने व सही व एकरूप गहराई पर बुआई सुनिश्चित करना आदि तकनीकी विकल्प कृषि उपज के सुधार के लिए नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त कर सकते है।

9. भौगोलिक संबंधी जानकारी के सभी स्वरूपों को दर्ज, स्टोर, अद्यतन करने के लिए जी.आई.एस. के उपयोग से भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाने में सहायता हो सकती है तथा मिट्टी तथा उसकी भिन्नताओं के संबंध में विशेष क्षेत्रों की आवश्यकता के अनुरूप आंकड़े उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

10. 'जैविक कृषि' के संवर्धन करने के प्रयाय किये जाने चाहिये। इसके अलावा किसानों को उनके उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें सुनिश्चित करना। स्थानीय बाजारों में बिक्री करने के लिए जैविक खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्लस्टर का निर्धारण किया जा सकता है, इसके परिणामस्वरूप आय–सृजन करने वाले कार्यकलाप बढ़ सकेंगे।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन

1. आजीविकाओं के विविधिकरण व समेकित कृषि से आय में वृद्धि की जा सकती है।

2. जल का खराब उपयोग रोकने के लिए प्रणालीगत कृषि पद्धति पर विचार किया जा सकता है।

3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मनरेगा और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन घटकों को जिला सिंचाई योजना की आयोजना का एक भाग बनाना चाहिए।

4. मनरेगा कार्यों को उन क्षेत्रों में वरीयता के आधार पर शुरू करना चाहिए, जहां समुदाय वन अधिकार आवंटित किए गए हैं। वन विभाग और मनरेगा कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच समन्वय महत्वपूर्ण है। दोनों विभागों द्वारा संयुक्त पत्र प्रभावी रहेंगे।

5. जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को रोकने के लिए जलवायु आधारित संरचनाऐं बनाई जानी चाहिए।

6. सामुदायिक स्तर पर जल संसाधन साक्षरता दी जानी चाहिए।

7. कार्यों की आयोजना, निगरानी, निष्पादन और प्रबंधन में स्पेस और रिमोट सेंसिंग टेकनोलॉजी का प्रयोग किया जाये।

8. सृजित प्राकृतिक संसाधन परिसंपत्तियों की सामाजिक लेखा–परीक्षा से अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने की सीमा निर्धारित की जी सकती है।

9. प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के प्रचार कार्य आदि को स्थानीय सांस्कृतिक प्रथाओं के अनुसार परिवर्तित किया जाये।

ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता और शिक्षा

1. परस्पर सेवायें सुनिश्चित करने के लिए जन–केंद्रीय प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है। इसके माध्यम से सरकार से लोगों तक संचार एवं सूचना का आदान–प्रदान करने में मदद मिलेगी। उदाहरण के तौर पर महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के परिणामों की जानकारी वॉइस मेल के माध्यम से भेजना – उनको विभिन्न सुविधाओं के बारे में बताना ताकि वे इनका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही फीडबैक और शिकायतों से संबंधित जानकारी भी सरकार के साथ साझा की जाये। ऐसी हेल्पलाइन बनाई जाए, जो निर्धारित समय के अन्दर शिकायत आदि का निपटान कर सके।

2. ग्रामीण लोगों के विकास के लिए लोकतंत्र को साकार करने, समुदाय को शामिल करते हुए जमीनी स्तर पर विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी के लिए जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को समुदाय संबंधी मुद्दों और चुनौतियों की जानकारी होना आवश्यक है। जन केंद्रित आयोजना के माध्यम व संसाधन का आवंटन किया जाये।

3. समय–समय पर स्वास्थ्य/आरोग्य ग्राम सभाएं आयोजित कराई जाए।

4. ग्राम स्तर पर रिपोर्टिंग करना – अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कुपोषण, कम पोषण वृद्धि से संबंधित आंकड़ों को इकट्ठा किया जा सकता है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए इन आंकड़ों के परिणामों को लोगों के देखने के लिए लगाया जाए।

5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा कार्यों में सहायता करने के लिए सकारात्मक सहायता प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सफलता का निर्धारण करने के लिए निष्पादन आधारित रिपोर्टों का उपयोग किया जाए। दूसरों को प्रेरित करने के उद्देश्य से बेहतर कार्यों को सम्मानित किया जाये व उनका प्रसार किया जाये।

6. ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत स्वच्छता को वरीयता दी जाए।

7. ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजना, कार्यान्वयन, निगरानी और स्वास्थ्य की लेखा–परीक्षा, स्वच्छता एवं शिक्षा कार्यक्रलापों में एस.एच.जी. संघ की भागीदारी के लिए संस्थागत स्वरूप तैयार किया जाए।

8. अन्य अवसंरचनाओं जैसे पाइप से जल आपूर्ति, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ओ.डी.एफ. गावों को वरीयता देने से ग्रामीण स्वच्छता को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

9. ग्राम पंचायत स्तर पर मानदंडों का उल्लंघन रोकने के लिए विशेष उपाय किए जाए।

10. विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं सहित स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना।

11. स्वच्छता, साफ–सफाई संबंधी व्यवहार और व्यवहार परिवर्तन संवाद आदि बच्चों के दैनिक कार्यकलापों का हिस्सा होना चाहिए। यह न केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए, बल्कि इसे बच्चों के खेलों और नाटकों में भी शामिल कर इसे नैतिक जीवन का भी हिस्सा बनाया जाना चाहिए।

12. डायरेक्ट टू होम (डी.टी.एच.) आधारित समाधानों के माध्यम से विद्यार्थियों और समुदाय के बीच पारस्परिक विचार–विमर्श कराया जाए, जिसमें कक्षाओं की रिकोर्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए सभी दूरवर्ती क्षेत्रों में भी 22 अनुसूचित भाषाओं और सभी स्तरों (प्राथमिक, प्रारंभिक, उच्चतर माध्यमिक) पर इसे उपलब्ध कराया जाये।

13. अध्यापकों को उनकी आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षकों की अनुपस्थिति में इसे डिजिटल ट्रांसमिशन के माध्यम से किया जाए।

14. प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अध्यापकों पर प्रशासनिक एवं प्रबंधकीय कार्य करने के लिए पड़ने वाले दबाव को भी समान रूप से दूर किया जाए।

15. विभिन्न स्तरों पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बच्चों, अध्यापकों और विद्यालयों का मूल्यांकन किया जाए ताकि विद्यालयों को ग्रेड दिए जा सके और आगे सुधारात्मक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

कौशल विकास

1. समान सामाजिक–आर्थिक परिस्थितियों वाले गांवों को कौशल विकास हेतु क्लस्टर के रूप में जोड़ना प्रभावी है। प्रत्येक पंचायत में ग्राम विकास प्रेरक होना चाहिए।
2. भविष्य और बाजार की मांगों को ध्यान में रखते हुए कौशल विकास विस्तार रणनीति तैयार की जाए।
3. कौशल कार्यक्रमों को मजदूरी रोजगार की अपेक्षा उद्यमिता विकास से जोड़ना अनिवार्य है।
4. स्मार्ट सिटी इंडेनस की तरह रूरल डिजिटल इंडेक्स तैयार किया जाए।
5. सॉफ्ट स्किल के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने की आवश्यकता है। इसके माध्यम से प्रशिक्षु प्रतियोगी बाजार में अपनी जगह बेहतर बना सकेंगे।
6. प्रोजेक्ट कार्यान्वयन एजेंसी (पी.आई.ए.) को कार्यक्रम का प्रभावी और बेहतर कार्यान्वयन करने के लिए मध्य–स्तरीय प्रबंध के प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किए जाने की आवश्यकता है।
7. माइग्रेंट ट्रैकिंग सिस्टम तैयार किया जाना चाहिये।

सत्यमेव जयते

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

कृषि भवन, नई दिल्ली-110001